पंचम माला, खंड 26, अंक 31, मंगलवार, 3 अप्रैल, 1973/13 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVI, No. 31, Tuesday, April 3, 1973/Chaitra 13, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
24-8-72
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुवादित संस्करण है और इसमें हिन्दी/अंग्रेजी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc in Hindi/English]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 31, मंगलवार, 3 अप्रैल, 1973/13 चैत्र, 1895 (शक)

No. 31, Tuesday, April 3, 1973/Chaitra 13, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
583	सिन्दरी उर्वरक कारखाने के कार्य का मूल्यांकन	Assessment regarding working of Sindri Fertilizer Plant . .	1—4
584	कुकिंग गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas .	4—5
586	ताप्ती नदी बांध परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र से सर्वेक्षण रिपोर्ट	Survey Report from Maharashtra on Tapti River Dam Project . .	5—6
587	गैर सरकारी कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा	Security of services of Employees in Private Companies . . .	6—8
589	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की 'बल्क' औषधियों के बारे में सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के कारण	Reasons for delay in implementing the recommendations of the Bureau of Industrial Costs and Prices on Bulk Drugs .	8—9
591	तापीय बिजली घरों के लिये आरक्षित (कैप्टिव) खानें	Captive Mines for Thermal Power Stations . .	9—10
593	प्रबंध तथा श्रम संबंधी निगमित उपक्रम समूह द्वारा दिए गए सुझाव	Suggestions made by Corporate Enterprise Group of Management and Labour . . .	10—11
594	देश में निर्मित तथा आयातित टर्बो जेनरेटर सेटों के रखरखाव के बारे में किया गया अध्ययन	Study regarding Maintenance of Indigenous and Imported Turbo Generator Sets . . .	11—12
595	नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश को पूरा करना	Execution of Nagarjuna Sagar Project, Andhra Pradesh . . .	12—13

The sign * marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

किसी नाम पर अंकित यह * इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

LIBRARY
72 (14)
1.12.73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No s.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
581	रेलवे सुरक्षा बल के पुनर्गठन में हुई प्रगति	Progress made for reorganisation of R.P.F.	13
582	कोट्टावालसा और किरन्दूल (दक्षिण रेलवे) के बीच लाईन	Railway line between Kottavalsa and Kirandool (S.E. Railway) . .	13
585	कर्वी स्टेशन से चित्रकूट (मध्य रेलवे) तक रेलवे लाइन बढ़ाना	Extension of Railway line from Karwi Station to Chitrakoot (Central Railway) . . .	14
588	त्रिपुरा, मिजोरम और पूर्वी भारत के अन्य भागों को बंगला देश से बिजली की सप्लाई	Supply of power to Tripura, Mizoram and other parts of Eastern India from Bangladesh . .	14
590	पुराने रेल इंजनों के स्थान पर नये इंजन	Replacement of Old Railway Engines . .	14
592	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा तेल शोधक कारखानों का विस्तार	Expansion of Refineries by Foreign Oil Companies .	14—15
596	उत्तरी बंगाल के जिलों में बिजली की अनुमित आवश्यकता	Estimated Power Requirements in North Bengal Districts . . .	15
597	नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए आधुनिक तरीके अपनाना	Unorthodox Methods for Laying New Railway Lines . . .	16
598	विदेशी विमान कम्पनियों के विमानों को भारतीय तेल निगम द्वारा भारत में तेल भरने की सुविधा	Refilling of Aircraft of Foreign Air-lines in India by I.O.C. . . .	16
599	बिहार की सिंचाई योजना के लिये सहायता	Assistance for irrigation Scheme of Bihar .	16—17
600	परिसीमन आयोग का गठन	Constitution of Delimitation Commission .	17

अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
5700	आंध्र प्रदेश के आन्दोलन का तमिलनाडु से कोयले के वहन पर असर	Impact of agitation in Andhra Pradesh on movement of coal from Tamil Nadu . .	17

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5701	उड़ीसा मिनरल डवेल्पमेंट कम्पनी लिमिटेड के अंशधारी	Shareholder of Orissa Mineral Development Co. Ltd. . . .	18
5702	कोचीन तेल शोधक काखाने के प्रबंध निदेशक को पदमुक्त करना	Relieving of Managing Director of Cochin Oil Refinery . . .	18
5703	आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइने बिछाने के लिए योजना आयोग का सुझाव	Planning Commission's suggestions for Railway lines in Adivasi/Backward Areas . .	18—19
5704	गोलचा प्रोपर्टीज लिमिटेड के ऋणदाताओं को आदायगी	Payments to Creditors of Golcha Properties Ltd.	19
5705	मध्य प्रदेश में दानेदार उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Granulated Fertiliser Plant in M.P.	19
5706	हावड़ा स्थित डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय की आपरेटिंग एकाउन्ट्स ब्रांच में अनियमितताएं	Irregularities in Operating Accounts Branch, D. S. Office, Howrah . .	19—20
5707	तीसरी योजना अवधि में उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा को अधिक कोयला ढोने के लिए बाक्स वैगनों के स्थान पर अन्य वैगन लगाने की योजना	Assessment of the Scheme to replace "Box" Wagons to carry more Coal to Uttar Pradesh, Punjab and Haryana introduced during Third Plan Period	20
5708	इंडियन मेटल एण्ड फैरो एलायज, भुवनेश्वर को लकड़ी का कोयला सप्लाई करने हेतु उमारिया को रेल वैगनों का आवंटन	Allotment of Wagons to Umaria for Supply of Charcoal to Indian Metal and Ferro Alloys, Bhubaneswar .	20
5709	पूर्वी रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल की गई धनराशि	Amount realised from Ticketless Passengers on Eastern Railway .	20
5710	मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल की गई धन राशियां	Amount Realised from Ticketless passengers on Central Railway . .	21
711	मध्य रेलवे में गत पांच महीनों में अपराधों और हत्याओं की घटनाएं	Incidents of Crimes and Murders on Central Railway during Last Five Months . . .	21
712	बाघा बीलीमोरा नैरो गेज लाइन को मीटर गेज में बदलना	Conversion of Wagha Bilimora Narrow Gauge into Metre Gauge . .	21

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5713	विरमगांव और हावड़ा के बीच गाड़ी चलाना	Introduction of a Train between Viramgam and Howrah . . .	22
5714	हिमाचल प्रदेश में नैरो गेज लाइन को पठान कोट से हरिपुर गुलेर तक बढ़ाना	Extension of Narrow Gauge line from Pathankot to Haripur Gulair in Himachal Pradesh .	22
5715	महाराष्ट्र में ताप्ती नदी परियोजना	Tapti River Project in Maharashtra . .	22
5716	1973-74 में नई रेल गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of New Trains during 1973-74 . .	23
5717	रूमानिया के सहयोग से बिहार में तापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station in Bihar in Collaboration with Rumania . . .	23
5718	कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी	Paid up Capital of Companies . . .	23
5719	वैगनों की सप्लाई के लिए केरल के टाइल निर्माताओं द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Tile Manufacturers of Kerala for Supply of Wagons	23—24
5720	केरल के लिए विद्युत योजना	Power Plan for Kerala .	24
5721	रेल कर्मचारियों को स्थानान्तरण भत्ता दिये जाने के बारे में पंच निर्णय	Award of Transfer Allowance to Railway Employees . . .	24
5722	अशोधित तेल के निक्षेप	Deposits of Crude Oil .	25
5723	पुरानी मशीनों के कारण सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का असंतोषजनक कार्य	Poor Performance of Public Sector Fertilizer Plants due to Outmoded Machinery . . .	25
5724	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में हानि के कारण	Causes of Losses in Public Sector Fertilizer Units .	25
5725	रेल वैगनों को रोके रखने के लिए हिन्दुस्तान स्टील से वसूल किया गया विलम्ब शुल्क	Demurrage Charges realised from Hindustan Steel for Detention of Railway Wagons . .	26
5726	काबानी सिंचाई परियोजना, मैसूर के लिये दुबारा स्वीकृति	Revised Sanction for Kabani Irrigation Project, Mysore	26
5727	मद्रास के महानगरीय परिवहन आयोजन संगठन का विघटन	Disbanding of M.T.P.O. in Madras . . .	26—27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5728	मिरज स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के स्टेशन मास्टर की मृत्यु	Death of Station Master, Miraj Station (South Central Railway) . .	27
5729	डीजल जेनरेटिंग सेटों का आयात	Import of Diesel Generating Sets . . .	27
5730	दिल्ली में उपनगरीय रेलवे का जाल बिछाना	Suburban Railway network for Delhi . .	27—28
5731	केरल में कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियां	Companies registered under Companies Act in Kerala	28
5732	उर्वरक उद्योग के विस्तार की प्रतिशतता	Percentage of Growth of Fertilizer Industry .	28
5733	शां वैलेसे एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	Shaw Wallace and Co., Calcutta . . .	28—29
5734	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में विस्फोट	Explosion in Sindri Fertilizer Plant . . .	29
5735	1972-73 के दौरान गुजरात की कोयले की आवश्यकता	Coal Requirements of Gujarat State during 1972-73 . . .	29—30
5736	ठेकेदारों की गलती के कारण परियोजनाओं के पुरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Projects due to Fault of Contractors . .	30
5737	उड़ीसा राज्य विधान सभा के लिये निर्वाचन कराना	Holding of Elections to the Legislative Assembly in Orissa . . .	30—31
5738	नामरुप में पेटो-रसायन परियोजना हेतु असम को ऋण देना	Grant of Loans to Assam for Petro-Chemical Project at Namrup . .	31
5739	मैसूर में परमाणु तापीय परियोजनाओं की स्थापाना	Setting up of Nuclear Thermal Projects in Mysore . . .	31
5740	उर्वरक कारखानों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन तेल	Fuel Oil used in Fertilizer Plants . . .	31
5741	मेन लाइनों को मीटर गेज से बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में नीति	Policy on Conversion of Main Lines from Metre Gauge to Broad Gauge	32
5742	भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये रेल वैगन	Railway Wagons for Bhilai Steel Plant . .	32

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5743	खैरार, खुरहण्ड, डिंगवा ही और अतर्रा रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था	Arrangement of Drinking Water at Khairar, Khurhand, Dingwahi and Atarra Railway Stations	32
5744	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनों के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव	Madhya Pradesh Government's Proposal for new Railway Lines in M.P. .	32—34
5745	पांच वर्ष से अधिक की सेवा वाले पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees having served for more than five years on North Eastern Railway .	34
5746	पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों का अलाटमेंट	Allotment of Petrol Filling Stations . . .	34—35
5747	पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों के डीलरों द्वारा चोरबाजारी	Black Marketing by Petrol Filling Station Dealers .	35
5748	भारत में विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Owned and Foreign Controlled Companies in India	35—36
5749	कच्चे तेल और पेट्रोलियाम उत्पादों के लिये पाइपलाइन बिछाने की योजना	Scheme for laying Pipelines for carrying Crude Oil and Petroleum Products . . .	36
5750	देश में लगाये गये देशीय टर्बो जेनरेटर	Indigenous Turbo Generator Sets Installed in the Country . . .	36—37
5751	कोटागाडन और केवूर के बीच पांचवीं योजना में रेल सम्पर्क	Rail Link between Kothagadan and Kabur in Fifth Plan Period .	37
5752	उत्तर बंगाल की जलढाका पनबिजली परियोजना	Jaldhaka Hydro Project, North Bengal . .	38
5753	सियालदह और न्यू बंगईगांव के बीच वातानकूलित चेयर कार रेलगाड़ी चलाना	Running of an Air-Conditioned Chair Car Train from Sealdah to New Bongaigaon . .	38
5754	सियालदह से बोलपुर तथा फरक्का होकर न्यू बंगईगांव तक एक्सप्रैस गाड़ी चलाना	Introduction of an Express Train from Sealdah to New Bongaigaon via Bolpur and Farakka .	38
5755	उत्तरी बंगाल में तापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण	Construction of Thermal Power Plant in North Bengal . . .	38—39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5756	बाढ़ से होने वाले विनाश को रोकने के लिए बक्सर से कोइलवर तक बांध का निर्माण करने की योजना	Scheme for construction of Dam from Buxer to Koilwar to avoid destruction by floods .	39
5757	विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Power Generation Projects . . .	39—40
5758	रेल वैगन रिलीज करने में देरी पर रेलवे बोर्ड की चिन्ता	Railway Board's concern over delay in Wagon release .	41
5759	मियां भाई न्यायाधिकरण पंचाट के परिणामस्वरूप वित्तीय भार	Financial burden due to Mian Bhai Tribunal's award . .	41
5760	रेलवे के सर्तकता संगठन द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के आरक्षण कार्यालयों की अचानक जांच	Surprise checks by Vigilance Organisation of Railways on Reservation Office at Delhi and New Delhi Stations (Northern Railway) . . .	41
5761	उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य निरीक्षकों का नियत अवधि पर स्थानान्तरण	Periodical transfers of Health Inspectors on Northern Railway .	42
5763	इन्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के निर्देशक बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstruction of Board of Directors of Indo-Burma Petroleum Company Limited . .	42
5764	विदेशी कम्पनियों और बड़े औद्योगिक गृहों के बीच आपसी संबंध	Inter-connections between Foreign Companies and Large Industrial Houses	42—43
5765	चकिया स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) से बालिका उच्च विद्यालय तक अपरोच रोड का निर्माण	Construction of Approach road from Station to Girls High School at Chakia (N.E. Rly.) .	44
5766	"भागीरथ" पत्रिका का प्रकाशन	Publication of 'Journal Bhagirth' . .	44
5767	बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि	Funds for Implementation of Rural Electrification schemes in Bihar .	44—45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5768	फरक्का, खजूरियाघाट और कोरापट, बस्तर परियोजनाओं के रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to Railway Employees of Farakka, Khajuriyaghat and Korapet Bastar Projects . . .	45
5769	पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of Uniforms to Employees of North Eastern Railway . .	45—46
5770	विभिन्न नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में समिति का गठन	Setting up of a Committee on sharing of waters of different Rivers . .	46
5771	केरल में थान्नीरमुकोम बांध तथा थोट्टापल्ली 'स्पिल वे' का निर्माण	Construction of Thanneermuckom Bundh and Thottappalli Spillway in Kerala . . .	46
5772	थान्नीरमुकोम परियोजना, केरल के निर्माण से प्राप्त लाभ	Benefits achieved from Construction of Thanneermuckom Project, Kerala	47
5773	त्रिवेन्द्रम में जनरल स्टोर्ज डिपो एवं स्क्रेप शाप की स्थापना	Setting up of General Stores Depot-cum-Scrap Shop in Trivandrum .	47
5774	केरल में तेलीचेरी स्टेशन तथा टेम्पल गेट में रेलवे के उपरी पुलों का निर्माण	Construction of Railway Over-Bridges at Tellicherry Station and Temple Gate in Kerala .	47
5775	केरल में उपरी पुलों का निर्माण	Construction of Over Bridges in Kerala .	48
5776	पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Northern States in Punjab, U.P., Bihar and Madhya Pradesh . . .	48
5777	मीठापुर परियोजना के लिये मंजूरी देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss caused due to delay in sanctioning Mithapur Project . . .	48
5778	कोचीन और बरौनी उर्वरक परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning Cochin and Barauni Fertilizer Project . .	49
5779	विदेशों से अशोधित तेल का आयात	Countries from which Crude Oil was imported .	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5780	रेलवे द्वारा कर्मचारियों पर गबन के लिये मुकदमें चलाया जाना	Prosecution by Railways against Employees for misappropriation .	49
5781	चीनी, गुड़, चाय, वस्त्रों और मशीनों की हानि, क्षति, चोरी और उठाईगीरी के लिये मुआवजा	Compensation for loss, damage, theft and pilferage of Sugar, Jaggery, Tea, Textile and Machinery	50
5782	बिजली घरों को कम कोयला पहुंचाया जाना	Decline in movement of Coal to Power Stations	50
5783	राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद् (नैशनल रेलवे यूजर्स कंसलटेटिव कांउसिल)	National Railway Users Consultative Council ·	51
5784	जामनगर और मोरवी मालिया (पश्चिम रेलवे) के बीच रेल सम्पर्क	Rail connection between Jamnagar and Morvi-Maliya (Western Railway) . . .	51
5785	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से नमक ढोने के लिये वैगन	Wagons to carry salt from Saurashtra Region in Gujarat · · ·	51
5786	बड़े संचालन केन्द्रों (आपरेशनल सेन्टर्स) को समेकित संचार व्यवस्था से मिलाना	Linking of Major Operational Centres with Integrated Communication System · · ·	52
5787	भारत और पाकिस्तान के बीच तेल की खोज के लिये करार	Agreement between India and Pakistan for exploration of Oil · · ·	52
5789	दहापुरोड और दोहद के बीच नई रेलवे लाइन	New Railway line between Dahapuroad and Dohad	52
5790	रेलवे में फायरमैनों का तबादला	Transfer of Fireman on Railways · · ·	53
5791	तृतीय श्रेणी के प्रत्येक यात्री को बैठने के लिए स्थान देना	Providing sitting accommodation to each Third Class passenger · ·	53
5792	क्षेत्रीय समितियों के कार्य में सुधार	Improvements in the working of Zonal Committees	53—54
5793	ईंधन तेल पर आधारित प्रथम उर्वरक कारखाना चालू किया जाना ।	Commissioning of first fuel oil based fertilizer plant	54
5794	उड़ीसा में इंडियन मेटल्ज एन्ड फेरो एलायज लिमिटेड द्वारा शेयरों की खरीद	Purchase of Shares by Indian Metals and Ferro Alloys Limited of Orissa	54

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5795	रूस से मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosene from Soviet Union · ·	54
5796	मध्य प्रदेश के साथ सोन नदी जल विवाद के मामले में प्रधान मंत्री की मध्यस्थता	Prime Minister's arbitration in Sona River water dispute with Madhya Pradesh · · ·	55
5797	ट्राम्बे के उर्वरक संयंत्र में उत्पादन का कम होना	Loss in production of fertilizer at Trombay ·	55
5798	दिल्ली-मेरठ रेलवे लाइन पर बहु-उद्देश्यीय सिगनल प्रणाली	Multi-purpose Signal Device on Delhi-Meerut Railway Line ·	55
5800	विदेशी फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के कार्य संचालन को नियमित करना	Regulating the working of Foreign Pharmaceutical Companies · · ·	56
5801	वर्ष 1972-73 में अशोधित तेल का आयात और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को इसका वितरण	Import of Crude Oil during 1972-73 and its allocation to Public and Private Sector Agencies ·	56—57
5802	गुजरात में तेल कूपों पर 40 करोड़ रुपये की कथित बरबादी	Alleged Wastage of 40 crores on Oil Wells in Gujarat	58
5803	हावड़ा आमता और हावड़ा-शीलखाला लाइट रेलवे के पुनर्वास कार्य के लिए पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अधिकारियों की समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना	Report submitted by Committee of Officers of Howrah Division of Eastern Railway for Rehabilitation of Howrah-Amta and Howrah-Shealkhala light Railway · ·	58
5804	बिजली परामर्शदात्री सेवाओं के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार	Monopoly of Private Sector in the Field of Power Consultancy Services ·	59
5805	बिजली योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध करना	Linking of Power Planning with Five years Plans .	59
5806	इलाहाबाद के लोको शैड के फिटरों द्वारा अभ्यावेदन दिया जाना	Representation from Fitters of Loco Shed, Allahabad	59—60
5807	रेल दुर्घटनाओं में जान और माल की हानि की क्षतिपूर्ति	Compensation for Loss of Life and Property in Railway Accidents ·	61
5809	शोरानूर-निलम्बूर रेलवे लाइन का कालीकट तक बढ़ाया जाना	Extension of Shoranur-Nilambur Railway line up to Calicut · ·	61

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5811	मलयेशिया से विद्युत संयंत्रों के लिए उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment from Malaysia for Power Plants . . .	61
5812	नई दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त पार्सल क्लर्कों का कालका स्टेशन को स्थानान्तरण रद्द करना	Cancellation of Transfer of Parcel Clerks at New Delhi Station to Kalka Station . . .	62
5813	आदिवासी क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछानें का मापदंड	Criteria for Laying New Railway Lines in Adivasi Areas . .	62—63
5814	दिल्ली और गाजियाबाद के बीच दूध विक्रेताओं का यात्री डिब्बों पर चढ़ना	Occupation of passenger bogies by Milk vendors between Delhi and Ghaziabad . . .	63
5815	पलवल और दिल्ली के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी	Electric Train between Palwal and Delhi .	63
5816	कम्पनियों द्वारा लाभ की राशियों के वितरण पर रोक	Curbs on Distribution of Profits by Companies	64
5817	ब्राड गैज श्रेणी की एक किलोमीटर रेलवे लाइन पर काम में लगे कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का अनुपात	Proportion of Skilled and Unskilled Labour engaged in 1 Kilometre of Railway line in B.G. Category . . .	64
5818	आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के परामर्शदाता के साथ विद्युत संकट पर हुई बातचीत	Talks held with Andhra Pradesh Governor's Advisor on Power Crisis . .	64—65
5819	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases Pending with Andhra Pradesh High Court .	65
5820	आंध्र प्रदेश में बिजली की कटौती	Power cut in Andhra Pradesh . . .	66
5821	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण मैसर्स स्मिथ एण्ड नेफ्यू और मैसर्स एग्लो-थाई कारपोरेशन के विरुद्ध कार्यवाही	Action against M/s. Smith and Naphew and Naphew and M/s. Anglo-Thai . Corporation for Contraing Industries (Development and Reg.) Act	66
5822	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की विटामिन सी परियोजना के कार्य में विलम्ब	Delay in Vitamin C. Project of Hindustan Antibiotics Limited	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5823	पाली (मारवाड़) रेलवे स्टेशन पर पानी के कूलर की व्यवस्था	Provision of Water Coolers at Pali (Marwar) Railway Station . .	67
5824	मारवाड़ जंक्शन में गन्दे पड़े प्रतीक्षालाय	Dirty Waiting Rooms at Marwar Junction .	67
5825	टिकिट चेक करने वाले अधिकारियों के लिए बैज (बिल्ले)	Badges for Ticket Checking Officials . . .	67
5826	उड़ीसा में रेलवे यात्रियों का आंदोलनकारियों के हिंसात्मक दंगों से सामना	Passengers faced violent troubles from Demonstrators in Orissa . .	68
5827	यात्रियों के लिये बेहतर सुविधाएं	Better Amenities to Passengers	68—69
5828	विदेशों के सहयोग से तेल शोधक कारखानों की स्थापना	Setting up of Oil Refineries in Collaboration with Foreign Countries .	69
5829	समाज विरोधी तत्वों द्वारा चल टिकट परीक्षकों का पीटा जाना	Assault on Travelling Ticket Examiners by Anti-social Elements .	69—70
5830	विलम्ब शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व	Revenue earned in the Form of demurrage .	70—71
5831	रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों पर बेची जाने वाली पुस्तकें	Nature of Books sold at Book Stalls at Railway Stations . . .	71—72
5832	वर्ष 1972 में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से वसूल किया गया जुर्माना	Penalty realised from Ticketless Passengers during 1972 . .	72
5834	दावों से संबंधित कर्मचारियों के साथ अनुचित गठबन्धन के कारण व्यापारियों को दावों के भुगतान में वृद्धि	Increase in Payment of Claims to Traders due to unholy Alliance with Claim Staff . .	72—73
5835	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये क्वार्टर	Quarters for Station Masters and Assistant Station Masters . .	73
5836	जोनल और डिवीजनल मुख्यालयों में पांच वर्ष से अधिक तक रखे जाने वाले अधिकारी	Officers kept at Zonal and Divisional Headquarters for more than Five Years	73
5837	विद्युत के विकास के लिए समेकित योजना	Integrated Plan for Power Development . .	73
5838	केरल उच्चन्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending with Kerala High Court . .	74

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5839	उत्तर प्रदेश में कई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for New Lines in Uttar Pradesh .	75
5840	वर्ष 1971 और 1972 के दौरान रेलवे कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance paid to Railway Employees during 1971 and 1972 .	75
5841	भारतीय रेलवे के शौर्य और अन्य पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं के नाम व पते	Names and Addresses of Recepients of Gallantry and other awards on Indian Railways	75
5842	पेय जल, चाट स्टालों तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था से रहित स्टेशनों के नाम	Names of Stations where there is no provision for drinking water, tea stalls and waiting rooms . . .	75—76
5843	चोरी और उठाईगीरी को रोकने के उपाय एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन	Measure to Prevent Thefts and Pilferages and composition of State Level Committees .	76—77
5844	हिमाचल प्रदेश में सीमेन्ट की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी	Shortage of Wagons for Transportation of Cement in Himachal Pradesh . . .	77
5845	बंगला देश को अशोधित तेल की सप्लाई में अनियमितताएं	Irregularities in Supply of Crude Oil to Bangladesh	77—78
5846	1 दिसम्बर, 1972 के बाद एकाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	Report submitted by Monopolies Commission after 1-12-1972 . .	78
5847	अय्यर आयोग द्वारा दोषी पाया गया भारतीय उर्वरक निगम का अधिकारी	Officer of F.C.I. found guilty by Ayer Commission . . .	78
5848	भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धक निर्देशक, (उत्पादन और विपणन) और वित्त निदेशक के त्यागपत्रों पर निर्णय	Decision on Resignation of Managing Director, Director (Production and Marketing) and Finance Director of FCI . .	78
5849	भारतीय उर्वरक निगम के झगड़े का निपटारा	Row over Fertilizer Corporation of India Resolved . . .	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5850	भारतीय उर्वरक निगम में निर्देशक (विपणन) की नियुक्ति	Appointment of Director (Marketing) in F.C.I. .	79
5851	गत तीन वर्षों में हटाई गई खतरे की जंजीरें और जंजीर खींचे जाने के मामले	Removal of Alarm Chains and cases of Chain pulling during last three years . .	79—80
5852	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेशों को रद्द करना	Cancellation of Transfer Orders of Staff of Chittaranjan Locomotives Works .	81
5853	इद्दीकी होकर कोट्टायम से बोदीनायकन्नूर के बीच रेल संम्पर्क संबंधी केरल सरकार का प्रस्ताव	Kerala Government Proposal for Rail Link from Kottayam to Bodinaikannur via Idikki .	81
5854	शोरनूर-मंगलौर लाइन को दोहरा करना	Doubling of Line from Shornur to Mangalore	81
5855	रेलवे सुरक्षा बल पर होने वाला व्यय	Expenditure on R.P.F. .	81
5856	रेलवे कर्मचारियों को स्थानान्तरण भत्ता देना	Grant of Transfer Allowance to Railway Employees . . .	82
5857	पश्चिम रेलवे के भूतपूर्व ए० आई० ओ० डब्ल्यू० जो अब उत्तर रेलवे में ए० पी० डब्ल्यू० आई० के पद पर काम कर रहे हैं, की सेवा-अंतराल को क्षमा करना	Condonation of Break in Service of Ex-A.I.O.Ws (Western Railway) now Working as A.P.W.Is. on Northern Railway	82
5858	मनमद-धौन रेलवे लाइन पर उपरी पुल बनाना	Construction of Over bridges of Manmad-Dhon Railway Line .	82
5859	सुरक्षित कोटे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Officers belonging to Scheduled Caste Scheduled Tribes against Reserved Quota	83
5860	हिमाचल प्रदेश की पन बिजली उत्पादन योजना	Himachal Pradesh Hydel Power Generation Plan	83
5861	उत्तर रेलवे के तुग़लकाबाद स्टेशन पर दुबारा तोले बिना लोहे से भरे बैगनों की डिलीवरी देना	Wagons of Iron Delivered without reweighment at Tughlakabad (N.R.)	84
5862	लखनऊ तथा कासगंज के बीच डकैती	Robbery between Lucknow and Kasganj . .	84—85

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5863	ताम्बरम रेलवे स्टेशन की सोडा वाटर की दुकान से लाइसेंस शुल्क को कम करना	Licence Fee levied on Soda Water Stall at Tambaram Railway Station . . .	85
5864	छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में रेलवे स्टेशनों से इमारती लकड़ी के हटाये जाने के लिये वैगन	Wagons for Removal of Timber from Railway Stations in Chhatisgarh (M. P.) . . .	85
5865	अखिल भारतीय बालचर संस्था द्वारा यात्रियों को शिक्षित करने का अभियान	Campaign to Educate Passengers by Akhil Bhartiya Balchar Sanstha . . .	86
5866	सिंदरी तथा अन्य कारखानों में रासायनिक खाद के उत्पादन में वृद्धि	Increasing the Production of Chemical Fertilizers in Sindri and other Factories . . .	86
5867	राजस्थान नहर पर कार्य	Work on Rajasthan Canal	87
5868	राज्यों में बिजली की उत्पादन लागत	Cost of Production of Electric Power in States	87
5869	विद्युत की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Power. . . .	87
5870	बोनस के बारे में आल इण्डिया रेलवे-मैन फैडरेशन का रवैया	All India Railwaymen's Federation Stand on Bonus. . . .	88
5871	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई	Irrigation of Drought-affected areas . .	88
5872	पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता	Requirements of Petroleum Products . .	88—89
5873	वर्ष 1969 से अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in Crude price since 1969 . .	89
5874	गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to B.E.S.U. by Private Contractors	89
5875	व्यास इलैक्ट्रीसिटी वर्कर्स यूनियन चण्डीगढ़ की कोआर्डिनेशन कमेटी से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Co-ordination Committee Beas Electricity Workers Union, Chandigarh	89—90
5876	मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों में ताप बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station in Coal Fields in Madhya Pradesh	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5877	राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से विद्युत का उत्पादन	Generation of Power through National Grid .	90—91
5878	रेलवेमैनों की सहकारी आवास समितियों को दिल्ली क निकट भूमि का आवंटन	Allotment of Land near Delhi to Co-operative Housing Societies of Railwaymen . .	91
5879	सिचाई और विद्युत विभाग में काम कर रहे इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही	Move by Engineers and Technical Staff working in Department of Irrigation and Power	91
5880	रेलवे द्वारा बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Electrically run Trains by Railways . . .	91
5 881	उड़ीसा में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Basties in Orissa . .	92
5882	बायरी और धनमंडल रेलवे स्टेशनों (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच बारीथानगड्डा पर नये रेलवे स्टेशन खोलना	Opening a new Railway Station at Bari-Thangada between Byree and Dhanmandal Railway Stations (S.E. Railway) . . .	92
5883	पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने के लिये सर्वेक्षण	Survey for laying Railway Lines in Hilly Areas	92—93
5884	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये रेलगाड़ियां	Trains for Hilly Areas	93
5885	बड़ी एवं मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सूखा राहत कार्य	Drought Relief Measures on Major and Medium Irrigation Schemes .	93
5886	कमी वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिये मिरजलातूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Miraj-Latur Narrow Gauge Line into Broad Gauge as Scarcity Relief Measure . .	93—94
5887	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन बनाई जाने वाली नई रेल लाइनें	New Railway Lines proposed for Fifth Five Year Plan . .	94
5888	मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के समापन के लिये उड़ीसा को तदर्थ सहायता	Ad hoc Assistance to Orissa for Completion of Medium Irrigation Projects . . .	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5889	पतनों से खाद्यान्न की ढुलाई के लिये किये गये प्रबन्ध	Arrangements made for the Transportation of Foodgrains from Ports of Arrival . . .	94
5890	मनीपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार	Extension of Railway line upto Manipur .	95
5891	भारतीय उर्वरक निगम के कुप्रबन्ध के बारे में संसद सदस्यों से मिली शिकायतें	Complaints from Members of Parliament regarding mis-management in F.C.I. . .	95
5892	बहुप्रयोजनीय बैरक परियोजना	Multipurpose Barak Project . . .	95
5893	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में हिन्दी कार्य के लिये स्वीकृत पद	Posts sanctioned for Hindi Work in the Ministry of Irrigation and Power . .	95—96
5894	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्य अध्ययन एकक में काम कर रहे कर्मचारी	Employees working in Work Study Unit of C.W. & P.C. . .	96
5895	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये की गई व्यवस्था	Arrangements made for implementation of Official Language Act in the Ministry of Irrigation and Power. .	96—97
5896	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्य अध्ययन यूनिट की सिफारिश	Recommendation of Work Study Unit of C.W. and P.C.	97
5897	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का कार्य अध्ययन विभाग	Work study Unit of C.W. & P.C. . . .	97—98
5898	बोंगाई गांव से गोहाटी के बीच की मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Line from Bongaigaon to Gauhati into Broadgauge	98
5899	पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि	Increase in Ticketless Travelling on North Eastern Railway . .	98—99

मंगलवार, 3 अप्रैल, 1973/चैत्र 13, 1895 (शक)	Tuesday, April 3, 1973/ Chaitra 13, 1895 (Saka)	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	99
लोक लेखा समिति--79वां प्रतिवेदन--प्रस्तुत किया गया	Public Accounts Committee—79th Report—Presented	99
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill . . .	99—100
संयुक्त समिति में सदस्यों का नाम निर्देशन--खान (संशोधन) विधेयक	Mines (Amendment) Bill—Nomination of the Members of Joint Committee	100
एक सदस्य का नामनिर्देशन और संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि का बढ़ाया जाना	Nomination of a Member and Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee	100
रामनाथपुरम जिला में सूखा राहत के लिए निधि के नियतन के बारे में	Re. Allotment of Funds for Drought Relief in Ramanathapuram District	101
उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में	Re. Atrocities on Harijans in Uttar Pradesh .	101
अजमेर रेलवे स्टेशन पर श्री लालजी भाई संसद-सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में	Re. Alleged Maltreatment of Shri Lalji Bhai, M. P. at Ajmer Railway Station	101
अनुदानों की मांगें, 1973-74—	Demands for Grants, 1973-74— . . .	102
औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Ministry of Industrial Development and Department of Science and Technology . .	102
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	102
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury .	103

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	104
श्री ए० दुराईरासो	Shri A. Durairasu . .	105
श्रीं वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	106
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peje	106
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjiv Jha	107
श्री जियाउररहमान अंसारी	Shri Ziaur Rahman Ansari . . .	108
श्री तारकेश्वर पाण्डे	Shri Tarkeshwar Pandey	109
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal .	110
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal . .	111
श्री सी० सुब्रहमण्यम	Shri C. Subramaniam .	111
भारी उद्योग मंत्रालय	Ministry of Heavy Industry . .	116
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	117
श्री राम रत्न शर्मा	Shri R. N. Sharma	117
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	118
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	119
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	121
श्री कार्तिक उराँव	Shri Kartik Oraon . .	122

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगल वार, 3 अप्रैल, 1973/13 चैत्र, 1895 (शक)

Tuesday, April 3, 1973/Chaitra 13, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सिन्दरी उर्वरक कारखाने के कार्य का मूल्यांकन

*583 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री बीरेन्द्रसिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यकरण में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं ; और

(ग) इस कारखाने के कार्यकरण में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुवा) :

(क) से (ग) : समय समय पर सिन्दरी कारखाने के कार्य का पुनरीक्षण किया जाता है और इस के कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिये उचित औपचारिक उपायों को अपनाया गया है अथवा अपनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

(क) से (ग) : गत तीन वर्षों में सिन्दरी कारखाने के उत्पादन के रुप में कार्य-निष्पादन और वित्तीय परिणाम का ब्यौरा निम्नप्रकार है :

1964 में इस कारखाने की प्राप्य क्षमता प्रतिवर्ष 99,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के रूप में मुल्यांकित की गई थी। मई, 1972 में निगम के बोर्ड द्वारा नियुक्त एक तकनीकि समिति ने मूल्यांकित किया था कि आगामी पांच वर्षों के दौरान में प्राप्य क्षमता की प्रतिवर्ष 75—80 हजार मीटरी टन नाइट्रोजन से अधिक होने की आशा नहीं हो सकती है।

गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन निम्नप्रकार था :–

1970-71	1971-72	1972-73
84.50	74.00	65.7 (सम्भावित)

इस कारखाने में 1967-68 के अन्त तक लगभग 16 करोड़ रुपये का संचयी लाभ दर्शाया। गत तीन वर्षों से कारखाने को हानि हो रही है जिसका ब्यौरा निम्नप्रकार है :–

	(लाख रुपये में)
1969-70	25.76
1970-71	157.95
1971-72	346.97

हानियों के कारणों की जानकारी की गयी है। ये हैं :—कच्चे मालों के मूल्यों में वृद्धि, प्लांट एवं मशीनरी के शीघ्र घिस जाने से उत्पादन की हानि और कोक-भट्टी की बैटरियों जिनके पुराने प्लांट में पाये जाने की आशा है, कि निबल अवस्था; भाड़े दरों में वृद्धि ; अतिरिक्त विद्युत उत्पादन शुल्क; प्लांटों के पुराने हो जाने से उनकी देख-रेख की लागत में वृद्धि और जिप्सम एवं कोयले की घटिया किस्म के कारण इन दोनों पदार्थों जैसे कच्चे मालों की अधिक खपत।

इस कारखाने के कार्य-संचालन की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये (उत्पादन को बढाते हुए) कई उपायों (अल्प कालीन एवं दीर्घ कालीन दोनों) को अपनाया गया है अथवा अपनाया जा रहा है। इस पुराने संयंत्र के विभिन्न खण्डों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के अतिरिक्त सिन्दरी में ट्रिप्ल सुपरफास्फेट के विनिर्माण के लिये एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना, प्राकृतिक जिप्सम, जिसकी किस्म एवं सप्लाई इस समय कठिनाई प्रस्तुत कर रही है , की निर्भरता को समाप्त करेगी और अमोनिया सल्फेट के उत्पादन के लिये उपोत्पाद जिप्सम की नियमित सप्लाई को भी सुनिश्चित करेगी। उपर्युक्त नवीनीकरण के व्यय के अतिरिक्त इस योजना पर होने वाला खर्च लगभग 35 करोड़ रुपये होगा।

क्योंकि ये उपाय कुछ सीमा के पश्चात् इस कारखाने के कार्यकरण की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये स्वयं समर्थ नहीं हो सकेंगे, इस लिये बहुत पैमाने पर विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने का भी विचार है। योजना, जो प्रतिवर्ष लगभग 90,000 मीटरी टन से लगभग 2,55,000 मीटरी टन तक नाइट्रोजन के उत्पादन के लिये क्षमता को बढ़ायेगी, कोक/कोक भट्टी गैस, जो इस समय सिन्दरी में सम्भरण सामग्री के रुप में प्रयोग की जा रही है, के स्थान पर हैवी पेट्रोलियम क्रेक्शन्स के रुप में सम्भरण सामग्री पर आधारित होगी। इस योजना पर लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय ने सिन्दरी कारखाने में होने वाले घाटे के अनेक कारण बताये हैं परन्त इनके अलावा मेरी जानकारी के अनुसार कारखाने को इसके प्रबन्ध निदेशक, श्री चक्रवर्ती द्वारा राजनीति का खेल खेलने के कारण भी हानि हुई है। क्या महाप्रबन्धक श्री आर० के० घोष ने माननीय मन्त्री से उन्हें स्थायी किये जाने की अपील की थी क्योंकि महाप्रबन्धक सरकारी उद्यम ब्यूरो के अनुमोदिन के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं बना रहे हैं और उन्होंने श्री चक्रवर्ती द्वारा अपमानित होने की अपेक्षा भारतीय उर्वरक निगम से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव किया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है (**अन्तर्बाधा**) क्या भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री घोष को प्रबन्ध निदेशक के किराये के गुंडों द्वारा पीटा गया था ?

जैसा मैंने पहले कहा है मंत्री महोदय द्वारा बताए गये कारणों के अलावा प्रबन्ध निदेशक शक्ति राज नीति का खेल भी खेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो व्यक्ति नहीं हैं , उसका नाम आप यहां नहीं ले सकते आप उनका पदनाम ही ले सकते हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरा प्रश्न यह है कि क्या भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री खन्ना को प्रबन्ध निदेशक के किराये के गुंडों ने पीटा था और जब कर्मचारी प्रबन्धक ने उन्हें निलम्बित कर दिया तो प्रबन्धक निदेशक ने उन्हें बहाल कर के श्री खन्ना को छुट्टी पर जाने को कहा गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका अनुमान है ?

श्री डी० के० बरुआ : यह हमारा अनुमान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बहुत विशिष्ट है, अत: आपका उत्तर भी उसी तरह का होना चाहिये।

श्री डी० के० बरुआ : इसीलिये तो मैंने कहा है कि यह मेरा अनुमान नहीं है।

Shri Birendra Singh Rao : May I know the percentage of the Installed Capacity utilised in the Plant during the past years ?

It is a fact that General Managers were changed one after another and were the losses sufferred not due to old machinery but managerial inefficiency ?

Was it alleged in the Rajya Sabha recently that the Managing Director is spreading corruption and that he is ousting honest people and that some politicians receive money therefrom ? If so, the steps taken by Government in this regard and whether Government is prepared to conduct a C.B.I. enquiry in the matter ?

श्री डी० के० बरुआ : 65 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है जो किसी उर्वरक कारखाने के लिये कम ही है । इसे कम से कम 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये । आरोपों के बारे में पहले भी बताया गया था कि विभागीय जांच चल रही है । उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है जो अभी अभी प्राप्त हुआ है और उस पर विचार चल रहा है और जैसे ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुचेंगे, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Chandra Shailani : May I know whether the Chairman and the Managing Director have submitted their rerignations to avoid C.B.I. Enquiry and if so, whether these have been accepted ? Is the Managing Director destroying all records pertaining to allegations against him and if so, should not be tried as a traitor ?

Shri D.K. Borooah : We want to reorganise the F.C.I. and I had made an announcement to this fact in Rajya Sabha. He has sent resignation in pursuance thereof and this has not been accepted as yet.

Shri Mohammed Jamilurrehman : Sir, With your permisson, I want to quote two lines from the statement. The production target was 99,000 tonnes but in 1970-71 it was 84·50 which came down to 74 in 1971-72 and only 65 in 1972-73. Regarding estimated loss it was Rs. 25·76 lakhs in 1969-70, 157·95 lakhs in 1970-71 and it rose to 346·97 lakhs in 1971-72. If the parts etc. were defective and could not give estimated production, did the General Manager ever report to the Ministry for their replacement ? Was any such requisition received by the Ministry since 1964 and if so, what action was taken thereon ?

Shri D. K. Barooah : Enquiry has been conducted two or three times in the matter. A basic principle has been adopted. An amount of Rs. 25 crores has been set apart for its improvement and renovation and a scheme has also been drawn up. At present old machinery is functioning. Complete renovation has been agreed to in principle and action has started.

Shri Ram Narain Sharma: May I know who the General Manager was during the three years covered in the statement and whether a permanent General Manager has been arranged before removing the temporary incumbent ?

The Hon. Minister stated that a scheme is being prepared for its expansion based on heavy petroleum. Till recently the basis was coal. Work is in progress in Barauni for that and a question relevant to this was different. A team had made an assessment in 1972 which had stated that the production had been 65 per cent as against 80 per cent. I want to know the remedy for all these ills.

Shri D. K. Barooah : It is a fact that till recently Ammonia was being manufactured therewith coke-oven gas. It has now being changed to use heavy petroleum and furnace oil and this oil is expected from Barauni. With the installation of modernised plant, we propose to step up productio i from 90,000 tonnes to 2,55,000 tonnes and we wa it it to become a viable unit.

Regarding the first question of the Hon. Member I think that from his experience he was a regular General Manager.

Shri Ram Narain Sharma : No Sir, only the Deputy General Manager was acting as such.

श्री जो० विश्वनाथ : विवरण के अनुसार सरकार का विचार सिन्दरी कारखाने पर 131 करोड़ रुपये खर्च करने का है। क्या इसमें मशीनरी, नवीकरण और पुर्जे बदलना आदि भी शामिल है ? यह राशि कितने वर्ष में खर्च की जायेगी और नया प्लांट कब तक मिल जायेगा ?

श्री डी० के० बरुआ : पूरी योजना पूरी होने में चार वर्ष लग जायेंगे।

***श्री कृष्ण चन्द्र हालदार** : मंत्री महोदय के विवरण से पता चलता है कि 1969–70 से कारखाने का उत्पादन निरन्तर कम होता गया है और घाटे बढते गए हैं जिसका कारण कुप्रबन्ध है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि प्रबन्धक मंडल को नया रूप देने के लिये वह क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरे क्या उक्त मंडल श्रमिकों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे ताकि घाटे को रोका जा सके और लाभ कमाना आरंभ हो ?

श्री डी० के० बरुआ : मैं यह कहना चाहूंगा कि घाटे का एक मात्र कारण कुप्रबन्ध है। जहां तक श्रमिकों के प्रतिनिधि लेने की बात है, यह बांछनीय है और मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

कुकिंग गैस की कमी

*584. **श्री वकरिया** :

श्री अरविन्द सम० पटेल :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में और विशेष रूप से गुजरात में कुकिंग गैस की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ)

(क) और (ख) : यद्यपि तरल पैट्रोलियम गैस (जो आम तौर पर खाना पकाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है) का उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है ; किन्तु यह देश में तेजी से बढ़ती हुई मांगों की तुलना में कम ही रहता है। इस के परिणाम–स्वरूप कमियों की शिकायतें, नये कैनक्शनों को प्राप्त करने के लिये लम्बी प्रत्याशी सूचियां तथा नये उपनगरों आदि में इसके विक्रय के विस्तार के लिये प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते हैं।

(ग) उत्पादन एवं वितरण व्यवस्थाओं का सम्भाव्य अधिकतम मात्राओं तक विस्तार किया जा रहा है।

श्री वकारिया : उत्तर मे बताया गया है कि उत्पादन कम हो रहा है जबकि गुजरात में हम ने देखा है कि गैस जलाई जा रही है। इसका क्या कारण है।

श्री डी० के० बरुआ : मेरे विचार में माननीय सदस्य प्राकृतिक गैस जलाये जाने की बात कर रहे हैं। यह तो प्रश्न साफ की हुई गैस के बारे में है। प्राकृतिक गैस को तरल बनाया जा सकता है परन्तु यह मेंहगा सौदा है। प्राकृतिक गैस को उर्वरक बनाने के काम में लाया जाता है।

श्री वकारिया : जब इसे तरल बनाया जा सकता है तो कमी दूर करने के लिये सरकार ऐसा क्यों नहीं करती ?

*मूल बंगला में पूछे गये प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

श्री डी० के० बरूआ : साफ की हुई गैस तो तेल शोधनशाला से ही मिल सकती है अतः यह वहां उपलब्ध गैस पर निर्भर है जितना तेल साफ होगा उतनी ही गैस उपलब्ध होगी। कोयला कारखाने में 60,000 टन गैस तैयार होती है विद्यमान कारखने के विस्तार द्वारा या नए कारखाने लगा कर जब हम अधिक तेल साफ करने लगेंगे तभी इस गैस का उत्पादन भी बढ़ जायेगा।

Sbri Arvind M. Patel : The reason for the shortage of L.P.G. as stated by the Minister does not appeal to us. Actually gas cylinders are scarce. Where as cooking as is being produced in ample quantity, gas cylinders are not available in adequate numbers. I want to know whether any steps are contemplated to step up their production and whether there is any control on their production and if not whether Government propose to make them indigenously.

Shri D. K. Barooah : I agree that cylinder shortage is also one of the reasons. Cylinders which we are making require alluminium killed quality steel which is being manufactured in TISCO and H.S.L. and not in adequate quantity. But I still think that the main reason is shortage of gas.

Shri Phool Chand Verma : Sir, the Hon. Minister has just admitted in his reply that Government is unable to cope with the demand of gas in the country. I find that in Madhya Pradesh gas is not available for months together. Same is the situation in Delhi. I therefore want to know whether Government is trying to import the steel required to manufacture cylinders if it is not available in the country or whether it would be got manufactured through some indigenous firm.

Shri D. K. Barooah : Perhaps the Hon. Member could not understand what I had stated. I had said that this type of steel was being manufactured by TISCO and H.S.L. A special type of steel known as Alluminium Killed Quality Steel is required and we are manufacturing it here. Moreover, Finance Ministry or the Department concerned has been appointed for importing it. All the same the shortage of gas is also there.

Survey Report from Maharashtra on Tapti River Dam Project

586. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether the Maharashtra Government have submitted the survey report regarding Tapti River Dam Project to the Central Government ; and

(b) if so, the action taken by the Central Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power

(Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

The Upper Tapti Project which envisages construction of a gated weir across Tapti river near village Hatnur in Jalgaon district with a right bank canal to provide irrigation benefits to an area of 1·37 lakhs acres in Maharashtra was accepted in March, 1970 for implementation in the developmental plans at Maharashtra and the project is now under construction.

The Governments of Maharashtra and Madhya Pradesh have contemplated to take up Stage II of the project envisaging two Storage dams, power houses and canals as a joint venture. These proposals are being investigated by the two Governments and the project report and estimates have not so far been received.

Shri G.C. Dixit : The Tapti River Originates from Madhya Pradesh and its maximum flow is in Madhya Pradesh. I want to know whether provision was made in the Survey Report, prepared by Madhya Pradesh Government under which a dam is being constructed near Hatnur village in Jalgaon District to irrigate the lands in Madhya Pradesh also through this project ? Would this project be of any advantage to Madhya Pradesh ?

डा० के० एल० राव : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारों ने दोनों राज्यों के उपयोग के लिये ताप्ती नदी का विकास करने हेतु एक बहुत ही अच्छा समझौता कर लिया है । इस नदी के संबंध में तीन प्रस्ताव हैं--एक बांध खेरिया पर' दूसरा नवाथा पर' तथा तीसरा हतनुर पर । हतनुर बांध निर्माणाधीन है तथा अन्य दो स्थानों के बारे में जांच की जा रही है । दोनों सरकारों ने इसका लाभ उठाना तथा इसके जल का उपयोग करने आदि के बारे मे अपनी अपनी स्वीकृति दे दी है और उन्होंने इस वर्ष जून तक प्रतिवेदन भेज देने का वायदा किया है । जब प्रतिबेदन प्राप्त होगा, तब उन दोनों परयिोजनाओं पर विचार करके स्वीकृति दी जायेगी; और फिर महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को पानी मिल जायेगा ।

Shri G. C. Dixit : The Hon. Minister has stated about the Second Stage. I want to know about the work already done in the first stage. Would that benefit Madhya Pradesh ?

डा० के० एल० राव : जिसे हम अपर ताप्ती स्टेज--II कहते हैं उसका अभिप्राय खेरिया तथा नवाथा पर बांधों का प्रस्तावित निर्माण है । हतनुर पर बनने वाले बांध का मध्य प्रदेश को कोई लाभ न होगा । अन्य दो जलागार मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचायेंगे ।

गैर-सरकारी कम्पनियों के कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा

*587. **श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गैर--सरकारी फर्मों तथा कम्पनियों के कार्यकारी तथा अन्य अधिकारियों की सेवा तथा सेवा शर्तों को सांवधिक संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

(क) तथा (ख) : कंपनी अधिनियम 1956 केवल इसकी धारा 2 की उपधारा (24) और (26) में परिभाषित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां या उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को सहायक हों या निजी कम्पनियां, जो अधिनियम की धारा 43क के अन्तर्गत पब्लिक कम्पनी समझी गई हों, के निदेशकों एवं प्रबंधकों की नियुक्ति एवं देय पारिश्रमिक को विनियमित करता है । प्रबन्धकीय कार्मिकों के अतिरिक्त व्यकितयों को आच्छादित करने के लिये, इन उपबन्धों के क्षेत्र को प्रबधित करने के लिये कम्पनी अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (घ) में यथा अन्तर्विष्ट "कर्मकार" की परिभाषा 500 रु से न्यून मजदूरी लेने वाले कर्मकारों के लिये निषिद्ध है और वह मुख्य रूप से प्रबन्धकों या प्रशासकीय रूप में नियुक्त व्यक्तियों या पर्यवेक्षण कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है । प्रश्न कि क्या "कर्मकार" की यह परिभाषा, इसके क्षेत्र को समस्त या कर्मचारियों की कोई अन्य श्रेणियों को प्रबधित करने हेतु पुनः परिभाषित की जानी चाहिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विचार का मामला है ।

श्री भोगेन्द्र झा : यह सर्वविदित है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबंधक तथा मालिक लोग स्वाभावतः ही "हायर एण्ड फायर" की नीति अपनाने तथा उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिये सभी अधिकारी-गण अपनी जीविका के लिये उन पर आश्रित रहते हैं तथा कम्पनी अधिनियम, आयकर विक्रय अधिनियम, श्रमिक कानूनों सुरक्षा नियमों आदि का उल्लंघन करने में प्रबंधकों का समर्थन करते हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उन्हीं नियमों तथा सेवा-शर्तों को लागू करने में क्या कठिनाई है जो कि सरकार क्षेत्र में लागु है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गैर-सरकारी फर्मों तथा कंपनियों के कार्यकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवा संबंधी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि कंपनी कानून को लागू करने की सरकार को प्राप्त शक्ति भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 44 के अन्तर्गत शासित है। इस प्रविष्टि के अनुसार सरकार को कंपनियों को निगमित करने, नियमित करने तथा उन्हें परिसमाप्त करने हेतु कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस कानूनी शक्ति के अनुकरण में 1956 का कंपनी अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम से स्पष्ट है कि गैर-सरकारी फर्मों तथा कंपनियों के कार्यभारी कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों की सेवा-सुरक्षा, सेवा-शर्तों कानून कपनी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसीलिये अपने उत्तर के अन्तर्गत पैरे में मने कहा है कि अद्योगिक विवाद अधिनियम दिये गये "कर्मकार" की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाने का प्रस्ताव है। अब शब्द "कर्मकार" के अन्तर्गत वही कर्मचारी आते हैं जिनको 500 रुपये से कम वेतन मिल रहा है। अब यह प्रस्ताव है कि इसे व्यापक बनाकर 1000 रुपये तक वेतन पाने वालें कर्मचारियों पर भी यह परिभाषा लागू की जाये। और यही बात मैं कह चुका हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय शायद अपने आप को विवश पाते हैं। जबकि वह अनुभव कर हैं कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिये, तब भी वह कानून अथवा संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सरकार ऐसे मामलों में संबंध को विवश अनुभव करती है।

जब श्री भागवत झा आजाद श्रम मन्त्री थे, तब उन्होंने तथा श्री जगजीवन राम ने खुले रूप से यह आश्वासन दिया था कि टाटा कंपनियों में काम करने वाला कोई भी कर्मकार बर्खास्त नहीं किया जायेगा ; और यह आश्वासन मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री की सलाह पर किया था। परन्तु इस आश्वासन के बाद भी 34 कर्मचारी बर्खास्त कर दिये थे ।

अभी हाल ही में फरीदाबाद के निकट एक फर्म के ल्विनेटर आफ इंडिया लिमिटेड ने एक सेल्ज असिटेंट श्री बी० एन० सिंह को, बिना किसी औचित्य के बर्खास्त कर दिया था तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र तक स्वीकार नहीं किया था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि रुकावट क्या है ? यदि सरकार यह समझती है कि किसी कानून में संशोधन करना जरुरी है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवा-शर्तों आदि से संबंधित कानून सरकारी क्षेत्र के कानून के समान हो जायें, तो फिर उसमें क्या रुकावट अनुभव होती है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : जैसा कि मैं अभी अभी कह चुका हूं, जिस मामले का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वह औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत आता है :- (व्यवधान) संविधान के अधीन, इन कर्मचारियों को जिनका माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया है, सेवा सुरक्षा प्रदान करना कंपनी कानून की सीमा के बाहर की बात है,

श्री भोगन्द्र झा यदि सरकार ऐसा समझती है तो फिर कानून में संशोधन क्यों नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : जो भी उत्तर दिया गया है वह आपके सम्मुख है।

श्री डी० पी० शर्मा : अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम को 500 रु० के प्लान पर 1000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विचार है। तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे बहुत से और कर्मचारी भी इस श्रेणी में आजायेंगे जिन पर उक्त कानून लागू करना होगा, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चय करने का है कि श्रेणी III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के आधीन लाया जाये ?

श्री डी० आर० चव्हाण : यह प्रश्न श्रम मंत्री से किया जान चाहिये ..... (व्यवधान) मैं इस प्रश्न का उत्तर इसलिये दिया है क्योंकि अन्यथा इस प्रश्न को श्रम मंत्रालय को भेजना पड़ता। इसलिये मैंने जानकारी एकत्रित करके उसके आधार पर उत्तर दे दिया।

श्री भगवत झा आजाद : मैं केवल इसी मंत्रालय से संबोधित अनुपूरक पूछूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि गैर सरकारी कम्पनियों के इन कर्मचारियों क्या अधिकारियों जिनको कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो कानूनों में संशोधन किया जाये, क्या सरकार ने ऐसा कोई अनुमान लगाया है कि ये गैर-सरकारी कंपनियों वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत भी अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से सेवा की सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं करती हैं ?

श्री डी० आर० चव्हाण : जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई अनुमान नहीं किया गया है।

श्री दीनन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय के कथन का क्या यह अर्थ है कि इस समय 500 रुपये की आशेष वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवा संबंधी कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है ? यदि ऐसा है तो क्या कम्पनी अधिनियम में कोई उपबन्ध किया जा सकता है ? जैसा कि श्री भोगेन्द्र झा ने कहा यदि उन ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को कानून के अधीन सेवा की सुरक्षा प्रदान करदी जाये तो आप बहुत से कदानगरों को समाप्त कर सकते हैं। क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ?

श्री डी० आर० चव्हाण : इस सबंध में सोचा जा सकता है :

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की 'बल्क' औषधियों के बारे में सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के कारण

*589. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा कुछ 'बल्क' औषधियों के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अनुसार नियमों और मूल्यों का पालन शीघ्रता से क्यों नहीं हो रहा ?

पैट्रोलियम और रहसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : कुछ प्रपुंज औषधी आदि के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट सक्रिय विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है। कार्यकारी दल ने 24 प्रपुंज औषधी (गिलेटीन कैपसूलों को सम्मिलित करते हुए) के मूल्य निर्धारण एवं सूत्रयोगों के मूल्य संचालन के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं तथा ऐसी सिफारिशों के सम्पूर्ण औषधी उद्योग पर हुए प्रभावों द्वारा जो कठिनाइया आयेंगी उनका कठिनाइयों के सन्दर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। भेषज संगठनों से प्राप्त हुए अनेक अभ्यावेदन को भी ध्यान में रखना होगा।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कार्यकारी दल ने 24 नहीं बल्कि 26 वैधक औषधियों के विक्रय मूल्य की सिफारिश कि 4 तारीख को की थी ? बस्तुत: उस दल ने अपना प्रतिवेदन कब पेश किया था ? सरकार कब से इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

श्री डी० के० बरुआ : औषद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के तत्वावधान में कार्यकारी दल ने 25 वैधक औषधियों की जांच की थी तथा ट्रांसफ्यूजन सोल्यूशन नामक एक औषध को वैधक औषधियों की श्रेणी में नहीं माना था और इसी लिये इसे औषध को कार्यकारी दल की अध्ययन -परीधि से बाहर रखा गया था। पहले यह संख्या 25 थी और बाद में क्योंकि यह औषध निकाल दी गई इस लिये संख्या 24 रह गई थी। इसे बैधक औषध नहीं समझा गया था। प्रतिवेदन अक्तूबर, 1972 में पैदा किया गया था। इसमें 50,000 प्रकार की औषधियां हैं और यह एक विस्तृत तथा व्यापक विषय है। और इसलिये इस में कुछ समय लग रहा है। फिर भी हम 15 मई तक निर्णय कर लेने की आशा रखते हैं।

श्री पी० एम० महता: उन्हें कब यह कार्य सौंपा गया था ?

श्री डी० के० बरुआ : यह कार्यकारी दल सितम्बर, 1970 में गठित किया गया था। उन्होंने अपने प्रतिवेदन अप्रैल से अक्तूबर 1972 के मध्य प्रस्तुत किये। अन्तिम प्रतिवेदन अक्तूबर, 1972 में पेश किया गया।

श्री पी० एम० मेहता : इस प्रकार उन्हें दो वर्ष लगे अब मेरा इधर प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि 15 से 20 विदेशी-प्रमुख बोली फर्में औषध-उद्योग को नियंत्रित कर रही हैं और इस प्रकार 360 करोड़ में से 260 करोड़ रुपए के महत्व का व्यापार इनके नियंत्रण में है। यही कारण है कि वे भारी मुनाफे कमा रही है तथा लाभांशों मुनाफों तकनीकी जानकारी, रामहरी आदि के नाम पर बड़ी धनराशि बाहर भेज रही हैं ? वे इन सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहतीं और न ही कोई कार्यवाही करना चाहती हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। क्या ओ० पी० पी० सी० नामक संगठन उनके मंत्रालय पर इस आशा से कोई दबाव डाल रहा है ताकि इस संबंध में कोई कार्यवाही न की जाये अथवा कार्यवाही में विलम्ब या अड़चने पैदा की जायें ?

श्री डी० के० बरुआ : मैं माननीय मदस्य से सहमत हूं कि औषध उद्योग में विदेशी कम्पनियों तथा ऐसी विदेशी कंपनियों जिनमें भारतीय इम्बिटियों हैं का प्रभुत्व है परन्तु क्रियान्वित न करने का कारण उनका दवाब नही है। दूसरी ओर मेरे मंत्रालय का विचार है कि हमें भारतीय ड्रग तथा फ़ार्मेस्यूटिकल्स निर्माताओं को हर संभव सहायता देनी चाहिये। इसलिये विदेशी कंपनियों के दबाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Bibhuti Mishra : By what time would the Government decide upon the recommendations and may I know whether or not the drugs reaching villages and hospitals would certainly have prices printed on them ?

Shri D.K. Barua : I have decided in principle to finish the work before 15th May. It is a good suggestion from Shri Bibhuti Mishra that prices should also be written thereon. We shall consider it.

Shri Bibhuti Mishra : You have said you would get it done, but I want to know whether you are considering it or not ?

Shri D. K. Barua : The Government is considering it and when Shri Bibhuti Mishra was for it we feel strengthened.

श्री के० एस चावड़ा : क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य संबंधी अध्ययन दल ने विदेशी प्रभुत्व वाली फर्मों को नियंत्रित तथा नियमित करने के बारे में भी कोई सिफारिश की है क्योंकि वे औषधियों के मामले में भारी मुनाफा कमा रही है ?

श्री डी० के० बरुआ : यह भी हमारी नीति है कि विदेशी कंपनियां अपनी इम्बिटियों को समाप्त करके भारतीय भागीदारों को लें । परन्तु सारे प्रश्न पर संसद सदस्यों तथा विशेषज्ञों की समिति विचार करेगी कि कैसे विदेशी औषध कंपनियों क प्रभुत्व को धरापर लायें।

तापीय बिजली घरों के लिए आरक्षित (कैप्टिव) खानें

*591. **श्री भान सिंह भौंरा** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सुझाव को क्रियान्वित किया गया है कि तापीय बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये इन तापीय बिजली घरों के लिये आरक्षित (कैप्टिव) खानें होनी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर और किस प्रकार ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) :(क) और (ख) : कोयले की आवश्यकताओं को दीर्घकालिक आधार पर पूर्ति करने के लिये विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को विशिष्ट कोयला खानों के साथ जोड़ा जा रहा है । विद्युत उत्पादन तथा कोयला उत्खनन, दोनों के अब सार्वजनिक क्षेत्रों में होने के कारण, विद्युत केन्द्रों के लिए अपनी, अलग कैप्टिव खानें रखना आवश्यक नहीं है ।

इस समय, नेवेली लिग्नाइट निगम को अपने यहां किस्त ताप विद्युत केन्द्रों को लिग्नाइट सप्लाई करने के लिए अपनी निजी खानें हैं ।

श्री भान सिंह भौंरा : कोयले की कमी के कारण जल विद्युत संयन्त्रों से बिजली की सप्लाई में कमी हो जाने के कारण यह सुझाव दिया गया था । यदि यह सच है तो सरकार ने इस सुझाव को किस आधार पर रद्द किया है ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि कुछ बिजलीघरों की कोयले की मांग को पूरा करना संभव नहीं है । इसलिये खानों के मुहानों पर जल विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस समय भी कुछ जल विद्युत केन्द्रों खानों के मुहानों पर स्थित है परन्तु वहां भी कोयले की सप्लाई पूरी नहीं है । अब क्योंकि कोयला खानें सरकार के हाथ में हैं अतः हम इन परियोजनाओं के लिये अलग खानों की व्यवस्था नहीं चाहते ।

श्री भान सिंह भौंरा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब के निकट कोई कोलरी अथवा कोयला खान नहीं है, सरकार भटिंडा जलविद्युत संयंत्र को किस कोलरी से सम्बद्ध करने जा रही है ?

डा० के० एल० राव :– यह सच है कि पंजाब में कोयले की कमी है । इसीलिये वहां कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्रों को मंजूरी देने में हिचकिचाहट है । परन्तु आवश्यकता की तत्परता को देखते हुए मीटिंग विद्युत संयंत्र की स्थापना पंजाब में की गई है । इस विद्युत केन्द्र को बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों से जोड़ा जायेगा, इसके पश्चात जब सैन्ट्रल इन्डिया कोल फील्ड्स सिंगरोली इस योग्य हो जायेगा तब भटिंडा विद्युत संयंत्र को सिंगरोली से जोड दिया जायेगा ।

श्री० एस० आर० दोमाणी : गत एक वर्ष से यह शिकायत चल रही है कि जलविद्युत केन्द्रों को घटिया कोयला सप्लाई किया जा रहा है । घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने के क्या कारण हैं और जलविद्युत संयंत्रों को अच्छा कोयला सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे कि पूरी क्षमता में बिजली उत्पादन हो सके और घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण उन्हें हानि न उठानी पड़े ।

डा० के० एल राव० : यह सच है कि तापीय बिजली घरों को घटिया कोयले का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इस कार्य के लिये इसी प्रकार का कोयला उपलब्ध है। अधिकांश तापीय बिजली घरों को कोयले का उपयोग करना पड़ता है इसी कारण भारत में तापीय बिजली घर आवश्यक रूप से कोयले पर ही आधारित होंगे।

माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है इस सम्बन्ध में केवल एक कठिनाई यह आती है इस कोयले में कुछ अपधर्षी तत्व होते हैं जो उपकरण के लिये घातक हैं। इस कोयले में कुछ पत्थर मिली होती है। इसलिये, एक सुझाव दिया गया है कि यह कोयला धुलाई केन्द्रों से होकर आना चाहिये जहां यह अपधर्षी सामग्री निकाल दी जाये। हमें कोयले की आवयश्कता है जिसके अपधर्षी तत्व न हों। यह कार्य कोयला धुलाई केन्द्रों द्वारा पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने बताया है कि कोयला खानें अब सरकारी क्षेत्र में हैं अतः तापीय बिजली घरों की आवश्यकता नहीं है। परन्तु बायलरों की भट्टी की व्यवस्था इस प्रकार की है कि वह पूर्णतया कोयले पर निर्भर हैं। क्या विभिन्न परतों के कोयले का विश्लेषण करना तथा जलविद्युत संयंत्रों को विशिष्ट कोलरी से सम्बद्ध करना, जो उस संयत्र के लिये उपयुक्त कोयले का उत्पादन करती है, उपयुक्त नहीं होगा? जल विद्युतसंयत्रों को रुक जाने रखरखाव की समस्या तथा कार्य क्षमता का एक कारण यह भी है जो कोयला सप्लाई किया जाती है और प्रयोग किया जाता है उसमें सल्फेट फासफोरस ऐश तथा अन्य पदार्थ मिले होते हैं। अतः क्या यह उचित नहीं होगा कि जल विद्युत संयंत्र इस प्रकार से बनाया जाये कि वे सप्लाई किये जाने वाले कोयले के विश्लेषण पर आधारित हों?

डा० क० एल० राव : विद्युत केन्द्र इस प्रकार बनाये जाने चाहियें कि वे विशिष्ट प्रकार के कोयले की अधिकतम क्षमता उपलब्ध कर सकें। वास्तव में, बायलर का डिजाइन तभी बनाया जाना चाहिये जब यह निश्चित हो जाये कि कहां से और कितना कोयला प्राप्त होना है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उस ढंग से तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई नहीं हो पाती है। परन्तु, मुझे आशा है कि भविष्य में प्रत्येक विद्युत केन्द्र को किसी न किसी कोयला क्षेत्र से सम्बद्ध करना संभव हो सकेगा। कोयला खानों की विशिष्ट विद्युत केन्द्रों सम्बद्ध करने के लिये फ्युअल लिंकेज कमेटी की व्यवस्था है। ऐसा किया जा रहा है। मुझे आशा है कि कोयला खानों को उस सीमा तक विकसित किया जायगा कि उन्हें जलविद्युत केंद्र से सम्बद्ध करना संभव हो सके।

मैंने यह नहीं कहा था कि सम्बद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था कि आरक्षित खानों के लिये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। सम्बद्ध करने के लिये मैंने ऐसा नहीं कहा था सम्बद्ध करने का कार्य अवश्य होना चाहिये। बायलर का डिजाइन एक विशिष्ट प्रकार के कोयले के लिये तैयार किया जाना चाहिये।

Suggesgions made by corporate enterprise group of Management and Labour

*593. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the subjects considered by the Corporate Enterprise Group of Management and Labour since its set up ;

(b) whether the group has made suggestions to effect changes in the set up of Railways ; and

(c) if so, the broad outlines of the suggestions made by the Group ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरशी) : (क) प्रबन्ध तथा श्रम के निगमित उद्यम समूह ने नवम्बर, 1972 में हुई अपनी पहली बैठक में, समूह के कार्य-संचालन सम्बन्धी पद्धति एवम् प्रक्रिया पर और आगामी बैठक के लिए कार्य-सूची पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ambesh : May I know the scope and terms and reference of the report and the date on which it was set-up, and the time by which the group is likely to submit its report ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : They are not supposed to submit any report. It is a system of mutual working of the management and the labour for the welfare of the Railways. First meeting of the group was held in November 1972 and the schedule for the second has not yet been finalised. They are to ensure. Beside certain Welfare Works Houses, Hospitals, Schools, in which management and labour will cooperate with each other, that the management and labour act in a way that the efficiency of the Railway is increased. The only purpose of the group is that both of them may extend their cooperation for the welfare and the development of the Railway.

श्री ए० पी० शर्मा : इस योजना के अन्तर्गत, मेरे विचार से, एक संयुक्त प्रबन्ध अध्ययन दल विभिन्न स्थानों पर जाकर रेलवे कार्यकरण का अध्ययन करेगा। इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह निर्णय किया गया था कि इस समिति के केन्द्रीय स्तर पर कार्य करने के पश्चात हम यह देखें कि किस प्रकार कार्य करती है और तत्पश्चात जोनल स्तर पर इसका विस्तार किया जाये।

देश में निर्मित तथा आयातित टार्बो जनरेटर सेटों के रखरखाव के बार में किया गया अध्ययन

*594. **श्री डी० डी० देसाई** :– क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्मित तथा आयातित टर्बो जेनरेटर सेटों की (1) अधिष्ठापित किलोवाट क्षमता (2) उत्पादित बिजली की यूनिटों और (3) उनके रख-रखाव की लागत का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यद्यपि स्वदेश में निर्मित टर्बो जनित्र सेटों से सज्जित होने वाली अनेक परियोजनाएं पहले से ही हाथ में हैं, स्वदेशी सेटों से सज्जित बहुत कम प्रतिष्ठापन पूरे होकर अब तक चालू हो पाए हैं। वास्तव में, लगभग 18 मिलियन किलोवाट की कुल वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता में से केवल 0.54 मिलियन किलोवाट स्वदेश में निर्मित सेटों (365 मेगावाट तापीय और 175 मेगावाट जलीय) के अंतर्गत आती है। अत: ऐसी स्थिति में, सुझाव के अनुसार, यह इतना समय पूर्व है कि इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। स्वदेशी जेनरेटर सेटों पर की कार्य लगत साथ ही क्षमता को दृष्टि में रखते हुए भविष्य में सुधारने के उद्देश्य से सतर्कता पूर्वक ध्यान रखा जा रहा है। संगत आंकड़ों का भी संकलन किया जा रहा है जिससे जैसे ही महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध हो जाते है, तुलनात्मक अध्ययन हो सकेंगे।

श्री डी० डी० देसाई : विवरण में बताया गया है कि वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 180 लाख किलोवाट है और स्वदेशी सैटों की क्षमता केवल 5.40 लाख किलोवाट है अत: अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन की यूनिट का मूल्य संचालन भूतल तथा रख-रखाव मूल्य बताना संभव नहीं है क्या मंत्री महोदय अब इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पूर्णतय स्वदेशी संयंत्रों पर निर्भर रहना उचित होगा जबकि पिछली पूरी दशाब्दि अधिष्ठापित क्षमता में केवल 5.40 लाख किलोवाट की वृद्धि हुई है जबकि वह रुपयों में स्वदेशी तथा अयायाति सैटों क्षमता का अधिष्ठापित यूनिट मूल्य बताने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान कठिनाई के संदर्भ में जबकि 1 : 20 का अनुपात है, अर्थात् विद्युत में 1 रुपये कें पंजीनिवेश से प्रतिवर्ष 20 रुपये कुल राष्ट्रीय आय होती है, क्या मंत्री महोदय विद्युत उत्पादन की वर्तमान कठिनाइयों द्वारा देश की हानि को उचित समझते हैं ?

डा० के० एल० राव : स्वदेश निर्मित सैटों सें केवल 5 लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है। प्रतिदिन के 180 लाख किलोवाट कें उत्पदन में स्वदेशी सैटो से केवल 5 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। परन्तु इस वर्ष 1973-74 में स्वदेंशी सैटों के उत्पादन में 10 लाख टन किलोवाट से 15 लाख टन किलोवाट तक वृद्धि होने की संभावना है ताकि चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन 200 लाख टन किलोवाट हो जाये और स्वदेशी सैटों का उत्पादन 20 लाख किलोवाट हो जाये।

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह भी ठीक है अर्थात् पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करानें तथा विद्युत की कमी को दूर करनें के लिये यदि आवश्यक हो, तो हमें आयात से हिचकना नहीं चाहिये। हमारी भी नीति यही है। परन्तु विचार यह है कि आयात की उपेक्षा जितना अधिक से अधिक संभव हो सके स्वदेशी उत्पादन हो। परन्तु, यदि कभी ऐसा प्रतीत होगा कि विभिन्न मशीनों की कमी के कारण देश में विद्युत विकास नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आयात किया जायेगा।

श्री डी० डी० देसाई : अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का वार्षिक कार्यक्रम 25 लाख किलोवाट है परन्तु आपके विवरण के अनुसार गत शताब्दी में स्वदेशी सैटों से 5 लाख किलोवाट उत्पादन हुआ है। इसका क्या कारण है? क्या आपका विचार प्रतिवर्ष आयातित उपकरणों से 20 लाख किलोवाट उत्पादन करने का है आप/अथवा आप तुरन्त आयात करके 40 लाख टन किलोवाट अधिक उत्पदान करके पिछली कमी को पूरा करना चाहते हैं।

डा० के० एल० राव : एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है जो इसी उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई है। उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं और समिति में राज्यों के बहुत से मंत्री हैं। वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि देश में विद्युत के उत्पादन के विकास के लिये किस सीमा तक उपकरण आयात करने होंगें। कुछ ही महीनों में समिति का प्रतिवेदन मिल जाने की आशा है उस समय समस्या पर विचार किया जायेगा। समग्र रूप में यही कहा जा सकता है कि आरम्भ में कुछ कठिनाइयां थीं उनकों दूर करने में तथा वर्कशाप आदि में सुधार करने में कुछ समय लगा। अब हमारी स्थिति अच्छी है और इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी मशीनों से पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन किया जा सकता है।

नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश को पूरा करना

*595 **श्री के० राम कृष्ण रैड्डी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश , को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना से , जिला-बार, किन स्थानों तथा क्षेत्रों को लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। दाएं किनारे पर मुख्य नहर 57 मील तक, शाखाएं और वितरणियां 1 से 10 तक ब्लाकों मे तथा 11 का कुछ भाग पूर्ण हो चुका है और 7.26 लाख एकड़ शक्यता का निर्माण किया जा चुका है। बाएं किनारे पर मुख्य नहर 72 मील तक, शाखाएं और वितरणियाँ 1 से 12 ब्लाकों में, 13 ब्लाक का कुछ भाग पूर्ण हो चुका है, और 2.81 लाख एकड़ शक्यता का निर्माण किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न जिलों में स्थानीकृत क्षेत्र निम्नलिखित हैं :–

दायां तट नहर	
प्रकाशन जिला	लाख एकड़ 4.46
गन्टूशर जिला	6.65
बांया तट नहर	
नलगोन्डा जिला	3.05
खम्माम जिला	2.15
कृष्णा जिला	1.65

2.58 लाख एकड़ क्षेत्र का स्थान-निर्धारण अभी किया जाना है।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना कब तक तैयार हो जायेगी और इससे कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : परियोजना के पांचवीं योजना में पूरे हो जाने की आशा है और इससे 20.5 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई का अनुमान है।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : नागार्जुन सागर परियोजना से बिजली उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा और इस उद्देश्य के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

डा० के० एल राव : यहां पम्पों से पानी का भंडार करने की व्यवस्था है। इसके लिये मशीनों का विदेशों से आयात करना है और मुझे आशा है यह कार्य पांचवीं योजना में पूरा हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

रेलवे सुरक्षा बल के पुनर्गठन मे हुई प्रगति

*581. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :

श्री वरकै जार्ज : क्या **रेल** मंत्री रेलवे में अपराध रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा बल के गठन में परिवर्तनों के प्रस्ताव के बारे में 21 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1040 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल के पुनर्गठग के लिये बनाई गई योजना की क्रिया कयन्वित में तथा प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : रेलों पर रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन की योजनान्यवर के कार्य के लिये सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्रथम कदम के रूप में लगभग 1,600 रक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। पर्यवेक्षण कर्मचारियों के (अराजपत्रित) अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रश्न फिलहाल सम्बद्ध रेल प्रशासनों के सवीक्षाधीन है और राजपत्रित अधिकारियों का प्रश्न रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। योजना में परिकल्पिल अन्य परिणामी परिवर्त्तनों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्रवाई बाद में की जायेगी।

Railway line between Kottawalsa and Kirandool (S. E. Railway)

***582. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3002 on the 5th December, 1972 regarding electrification of South Eastern Railway and state :

(a) whether survey in regard to Railway line between Kottavalsa and Kirandool has since been completed ; and

(b) if so, the outcome thereof and the future programme of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) (a) Yes, Sir.

(b) Waltair-Kottavalsa-Kirandul section of the South Eastern Railway is being electrified mainly for the heavy movement of iron ore on this graded section. The length of this railway line is 471 kms., the electrification of which is expected to cost Rs. 19·16 crores. A team of officers has already been posted exclusively for progressing this work. Preliminary designs have been completed and tenders for supply and erection of overhead equipment, sub-stations, etc. have been opened and are under scrutiny. The scheme is likely to be commissioned sometime in 1976.

The report of the Survey Committee on optimisation of line capacity on this section is under consideration.

Extension of Railway Line from Karwi Station to Chitrakoot (Central Railway)

***585. Shri R.R. Sharma :**

Will the Miniter of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend Railway line from Karwi Station of Central Railway to Chitrakoot; and

(b) if so, the time by which this work is likely to start ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Karwi and Chitrakoot are existing rail heads on Jhansi-Manikpur Section. The question of extending railway line to or from these stations does not arise.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा, मिजोरम और पूर्वी भारत के अन्य भागों को बंगला देश से बिजली की सप्लाई

*588. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा, मिजोरम और पूर्वी भारत के अन्य भागों को बंगला देश में बिजली मिलने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां तो बंगला देश द्वारा बिजली की सप्लाई किन शर्तों पर की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)

(क) और (ख) : हाल ही में गठित भारत–बंगला देश विद्युत समन्वय बोर्ड ने अभी कार्य आरम्भ करना है यह आशा है कि इन मामलों पर बोर्ड द्वारा यथा समय विचार किया जायेगा ।

पुराने रेल इंजनों के स्थान पर नये इंजन

*590. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश रेल इंजन बहुत पुराने हो गये हैं और उनमें खराबी हो जाने के कारण गाड़ियां प्रायः लेट हो जाती हैं ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ग) पुराने रेल इंजनों के स्थान पर नये इंजन लाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) कुछ गतायु इंजन हैं, लेकिन गाड़ियों को प्राय : इस कारण विलम्ब नहीं होता ।

(ख) जी हां ।

(ग) केवल उन इजनों के बदलने का प्रस्ताव है जिनकी मरम्मत करना किफायती नहीं है या जो परिचालन की अपेक्षाओं के लिये उपयुक्त नहीं हैं ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा तेल शोधक कारखानों का विस्तार

*592. **श्री धर्मराज अपजलपुरकर** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायनमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी तेल कंपनियों ने अपने तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिये सरकार को आवेदन पत्र दिया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ):

(क) और (ख) : भारत में जिन चार विदेशी तेल कंपनियों की शोधनशालाएं हैं उनमें से आसाम आयल कंपनी ने सर्व प्रथम दिगवोई में अपनी शोधनशाला के विस्तार के लिये आवेदन किया था। असम में शोधनशाला की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के व्यापक प्रश्न के संदर्भ में, यह निर्णय लेने से कि बौंगेई गांव में एक नई शोधनशाला की स्थापना की जाय, सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अन्य तीन विदेशी तेल कंपनियों अर्थात् बर्मा शैल, एस्सो और कालटैक्स ने दावा किया था कि उनके पास लगभग 30 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता है। इन शोधनशालाओं में उपलब्ध कही जाने वाला अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा जब इन शोधनशालाओं के मित्तव्ययी सप्लाई क्षेत्रों में उत्पादों की मांग से इस प्रकार का प्रयोग ठीक समझा जायेगा।

उत्तरी बंगाल के जिलों में बिजली की अनुमति आवश्यकता

*596. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल के जिलों की बिजली की आवश्यकताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार उसकी पूर्ति किस प्रकार से करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) :

(क) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उत्तरी बंगाल के क्षेत्र का जुलाई–अगस्त, 1972 में शीघ्रतापूर्वक सर्वेक्षण किया था।

(ख) सर्वेक्षण की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं। मांगों को पूरा करने के लिये निम्नलिखित पग उठाने का प्रस्ताव है :–

(1) तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिये राज्य बिजली बोर्ड ने कुछ पहले प्रयोग लाये गए डीजल सेटों के प्रतिष्ठापन कर दिया/कर रहा है।

(2) लगभग 10 मेगावाट विद्युत बिहार से और 3 मेगावाट असम राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त करने के लिये प्रत्यक्ष किये जा रहे हैं।

(3) उत्तरी बंगाल में विद्युत सप्लाई की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये 2×3.5 मेगावाट सेटों के आयात हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(4) उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार को विद्युत की सप्लाई के लिये डलखोला में 2×120 मेगावाट यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता का एक नया ताप–विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	36.8	49.5	49.5	49.5	51.5	51.5
पीक समर्थता (मेगावाट)	21.5	32.1	35.5	37.7	39.7	40.7
पीक भार (मेगावट)	18.9	34.0	46.0	56.0	66.0	77.0
समग्र अतिरिक्त राशि (मार्जिन)	13.7	5.6	22.8	32.7	40.0	47.0
ऊर्जा शक्यता–(मिलियन–यूनिट)	47.9	87.6	130.5	144.0	149.8	149.8
ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	44.5	89.6	129.0	161.0	196.0	235.0
अतिशेष (कमी) (मिलियन यूनिट)	3.4	(2.0)	1.5	(17)	(46.2)	(85.2)

नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए आधुनिक तरीके अपनाना

*597. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री विभूति मिश्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिये आधुनिक तरीके अपनाने का है ; और यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले पर **वित्त** मंत्री और **योजना** मंत्री के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर **वित्त** मंत्री और **योजना** मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । विकास कार्यों के लिये अपेक्षित नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये एक नये नीति कौशल पर विचार किया जा रहा है । मार्गदर्शक सिद्धांत 20 फरवरी 1973 को 1973–74 का बजट प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री के भाषण के पैरा 41 में पहले ही बताये जा चुके हैं। वही सिद्धांत अर्ध विकसित क्षेत्रों में आमान परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाओं पर भी लागू होंगे ।

(ख) और (ग) : वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री, दोनों को इस विषय में लिखा जा चुका है । विभिन्न राज्यों से बार–बार की जाने वाली मांगों को और देश में सूखा की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि इस लेखे में अधिक परिव्यय अर्थात् 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय । उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विदेशी विमान कम्पनियों को भारतीय तेल निगम द्वारा भारत में तेल भरने की सुविधा

*598. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने पालम, दम दम और शान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर विदेशी विमान कपनियों के विमानों में तेल भरने का अपना कारोबार बढ़ा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसी विदेशी विमान कंपनियों की सही संख्या क्या है जिनके विमानों को भारतीय तेल निगम द्वारा भारत में तेल भरने की सुविधा दी जा रही है ; और

(ग) इससे भारतीय तेल निगम को प्रति वर्ष कितना शुद्ध लाभ होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) 181

(ग) भारतीय तेल निगम को इससे 12 लाख रुपये का वार्षिक शुद्ध लाभ होने का अनुमान है ।

Assistance for Irrigation Scheme of Bihar

***599. Shri Ramavatar Shastri:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Bihar have formulated a Rs. 98 crore irrigation scheme ;

(b) whether the State Government have sought assistance from the Central Government also to implement this scheme; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):(a) The Government of India have not received any irrigation scheme costing Rs. 98 crores from the Government of Bihar. But they have received in February, 1973, Subernarekha Multipurpose Project estimated to cost Rs. 90 crores.

(b) Yes, Sir.

(c) The project has yet to be processed and sanctioned before question of giving financial assistance arises.

Constitution of Delimitation Commission

***600. Shri Shiv Kumar Shastri :**

Shri M. S. Sivasami :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether constitution of the Delimitation Commission has been completed ;

(b) if so, the names of States which will be given priority by the Commission in the course of its work ; and

(c) the time by which it will present its report ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale):

(a) Yes, Sir.

(b) The delimitation work in respect of the States of Uttar Pradesh and Nagaland and the Union Territory of Pondicherry will be given priority by the Delimitation Commission as general elections in these States and Union Territory are due to be held early in 1974. As the legislative Assembly of the State of Orissa and Legislative Assembly of the State of Manipur have been dissolved, the Commission may also take up the delimitation work in respect of these States on a priority basis.

(c) It is not possible at this stage to indicate the time by which the Commission will complete its work.

आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन का तमिलनाडु से कोयले के वहन पर असर

5700. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन का तमिल नाडु में तापीय बिजलीघरों के लिये कोयले के वहन पर बुरा असर पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : सम्भवत माननीय सदस्य का आशय तमिल नाडु में स्थित बिजली घरों के लिये कोयले की ढुलाई से है ।

आंध्र क्षेत्र में आन्दोलन के कारण रेल परिचालन अस्तव्यस्त हो जाने के बावजूद, इन दोनों क्षेत्र में स्थित बिजली घरों को, रायचूर के लम्बे रास्ते से, कोयले की सप्लाई जारी रखी गयी

उड़ीसा मिनरल डवैलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के अंशधारी

5701. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5419 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा मिनरल डवैलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के उन अंशधारियों की संख्या कितनी है जिन के पास मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड की अंशगत पूंजी का आधा भाग है ;

(ख) उड़ीसा मिनरल डवैलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के संस्थापकों के पास कितने शेयर हैं और संस्थानों तथा जनता के पास कितने शेयर हैं ; और

(ग) कितने अंशधारियों के पास 20 हजार रुपये से कम अंकित मूल्य के शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रहीत की जा रही है और वह सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कोचीन तेल शोधक कारखानों क प्रबन्ध निदेशक को पदमुक्त करना

5702. **डा० हरिप्रसाद शर्मा**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखानों के प्रबन्ध निदेशक को हाल ही में कारखाने की बिदेशी सहयोगी कम्पनी फिलिप्स पैट्रोलियम कंपनी द्वारा पदमुक्त किया गया है तथा उनके स्थान पर नए प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व प्रबंध निदेशक को किन आधारों पर पदमुक्त किया गया था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी ने कोचीन शोधन शाला के प्रबन्ध निदेशक को पदमुक्त नहीं किया है किन्तु सामान्य पद्धति से उस कम्पनी के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य पद का कार्य-भार संभालने के लिये उनका स्थानांतरण किया गया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में रेलवे लाइनें बिछाने के लिए योजना आयोग का सुझाव

5703. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाईनें बिछाना आवश्यक होगा ;

(ख) क्या इस संदर्भ में रेल मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों और विशेषकर रीवा प्रदेश के बारे में भी विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रेल संचार के विकास के सम्बन्ध में तैयार किया ज्ञापन योजना आयोग द्वारा अग्रेषित किया गया है।

(ख) और (ग) सतना से रीवा होकर व्यौहारी तक बड़ी लाइन बनाने के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम काफी आगे बढ़ चुका है और पूरा होने वाला है।

वर्तमान सर्वेक्षण का परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही सतना-रीवा-व्यौहारी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चिय किया जायेगा।

ढल्ली-राजहरा से दांतेवाडा/जगदलपुर तक एक बड़ी लाइन बनाने के लिये अभी हाल में एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है और उसकी रिपोर्ट फिलहाल रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। इस बीच इस लाइन के लिए भी ब्यौरेवार इंजीनियरी सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण का काम पूरा होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। सतपुड़ा छोटी लाइन रेल प्रणाली के उत्तरी खंड और इसकी शाखाओं—(क) परसिया-छिंदवाडा-सिवनी-नैनपुर-मंड़ला फोर्ट (ख) जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट-गोंडिया और (ग) छिंदवाड़ा-नागपुर को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण जारी है। सर्वेक्षण पूरा होने और उसका परिणाम मालूम होने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा। बड़ी लाइन को इंदौर से महू (21 कि० मि०) तक बढ़ाने के लिये एक टोह सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

गोलचा प्रोपर्टीज लिमिटेड के ऋणदाताओं को अदायगी

5704. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या विधि **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोलचा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापकों द्वारा अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि ऋण दाताओं को दिए जाने वाले ऋण की अदायगी के वितरण के लिए नियत हो गई है ;

(ग) परिसमापकों द्वारा एकत्र की जाने वाली सम्पत्तियों के विभिन्न यूनिटों से कितनी मासिक आय होती है; और

(घ) क्या सिनेमा को उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि परिसमापक के अन्तर्गत आने से पूर्व हो रहा था ; यदि हां, तो इस प्रकार संचित राशि ऋणदाताओं को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना संग्रहित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में दानेदार उर्वरक संयंत्र की स्थापना

5705. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दानेदार उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये अनुमति लेने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा स्थित डिवीजनल सुपरिन्टैन्डैन्ट के कार्यालय की आपरेटिंग एकाउन्ट्स ब्रांच में अनियमितताएं

5706. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रेल** मंत्री हावड़ा स्थित डिवीजनल सुपरिन्टैन्डैन्ट के कार्यालय की आपरेटिंग एकाउन्ट्स ब्रांच में हुई अनियमितताओं की जांच के बारे में 29 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा ने 22 जनवरी, 1968 के अपने पत्र में गलत कागजात पेश किये जाने का उल्लेख किया था और उस के सम्बन्ध में इस बीच जांच पूरी कर ली गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या उस व्यक्ति का नाम, जिसने अपनी शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में गलत कागजात पेश किये थे 12 मई, 1938 के कलकत्ता गजट में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले सफल छात्रों की सूची में प्रकाशित नहीं हुआ था ; और

(ग) क्या सतर्कता महानिदेशक ने उस बात की जांच की थी कि उत्तर रेलवे के सतर्कता अधिकारी ने गलत कागजात पेश करके नियुक्ति और पदोन्नति पाने के मामले को क्यों छोड़ दिया था, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) हावड़ा मण्डल और लेखा-परीक्षा अधिकारी के बीच इस मामले में अभी भी लिखा-पढ़ी हो रही है ।

(ख) 12 मई, 1938 के कलकत्ता राजपत्र में व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है ।

(ग) महानिदेशक, सतर्कता रेलवे बोर्ड ने इस मामले की जांच की थी । यह पता चला था कि रेल प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी ने कानूनी सलाह पर यह विनिश्चय किया था कि सम्बन्धित मूल अभिलेखों और सुक्षम व्यक्तियों के साक्ष्य के अभाव में आरोप सिद्ध करने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तदनुसार सतर्कता विभाग ने इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की ।

तीसरी योजना अवधि में उत्तर प्रदेश , पंजाब और हरियाणा को अधिक कोयला ढोने के लिए बाक्स वैगनों के के स्थान पर अन्य वैगन लगाने की योजना

5707. **श्री अम्बेश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कोयले की ढुलाई के लिये तीसरी योजना अवधि में एक योजना के अन्तर्गत 2,000 टन क्षमता वाले बाक्स वैगनों के स्थान पर 3,500 टन क्षमता वाले वैगन लगाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की सफलता अथवा असफलता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी): (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय कोयले की उस ढुलाई से है जो सामान्य बी०ओ०एक्स० रेकों के बजाय धीरे धीरे भारी क्षमता वाले बी०ओ०एक्स० रैकों में की जा रही है । गाड़ियों के आय भार में सुधार करने और लाइन क्षमता को बनाए रखने के उद्देश्य से नीति के रूप में ऐसा किया जा रहा है । यह योजना सफल सिद्ध हो रही है ।

इंडियन मैटल एण्ड फैरो-एलायज, भुवनेश्वर की लकड़ी का कोयला सप्लाई करने हेतु उमारिया को रेल वैगनों का आवंटन

5708. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मैडल एण्ड फैरो-एलायज, भुवनेश्वर को सप्लाई किए जाने वाले लकड़ी के कोयले की ढुलाई के लिए वन विभाग द्वारा उमारिया में रेल वैगनों के आवंटन हेतु दिए गए अनेक 'इन्डेंट' 6 मास तथा इससे अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount realised from Ticketless Passengers on Eastern Railway

5709. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of penalty and fare charged from ticketless passengers detected on Eastern Railway during the last three months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The amount of penalty and fare charged from ticketless travellers apprehended during the last three months i.e. December 72 to February 73 was as under :

Rs. 7,35,612 as penalty.

Rs. 2,44,903 as fare.

Amount Realised from Ticketless Passengers on Central Railway

5710. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of penalty and fare charged from ticketless passengers detected on the Central Railway during the last three months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The amount of penalty and fare recovered from ticketless travellers apprehended during the last three months i.e. December 72 to February 73 was as under :—

Rs. 5,77,957 as penalty.

Rs. 3,66,130 as fare.

Incidents of Crimes and Murders on Central Railway during last five Months

5711. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of crime in running trains in Central Railway registered during the last five months ; and

(b) the number of murders committed during this period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 120.

(b) 1.

Conversion of Wagha-Bilimora Narrow Gauge into Metre Gauge

5712. Shri Amar Singh Chaudhari : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to convert Wagha-Bilimora narrow gauge line into metre gauge line ;

(b) if so, the time by which work is likely to start thereon; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Based on the recommendations of the Uneconmoic Branch Lines Committee—1969, initially surveys for the conversion of about 11 sections were ordered. Wagha-Bilimora was not included among them. The cases of the remaining sections recommended for conversion, including Wagha-Bilimora N.G. line, will be considered after the results of the earlier surveys are known.

Introduction of a Train between Viramgam and Howrah

5713. Shri Amar Singh Chaudhari : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a demand to introduce a train-between Viramgam and Howrah has been made; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Apart from lack of traffic justification, introduction of a direct train between Howrah and Viramgam is not operationally feasible due to inadequate line capacity on the sections enroute and terminal capacity at Howrah.

हिमाचल प्रदेश में नैरो गेज लाइन का पठानकोट से हरिपुर गुलेर तक बढ़ाना

5714. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में वर्तमान नैरोगेज लाइन को पठानकोट से हरिपुर गुलेर तक बढ़ाने के लिए जोरदार मांग की जा रही है ;

(ख) क्या इस कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) और (ख) :जी नहीं ।

(ग) फिलहाल सरकार की घोषित नीति यह है कि अब कोई छोटी लाइन नहीं बनायी जानी चाहिए ।

Tapti River Project in Maharashtra

5715. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the latest position in regard to the implementation of the Tapti River project in Maharashtra and the time scheduled for its completion ;

(b) whether this project includes the scheme of raising the embankment on Tapti River near Jainabad village of Burhanpur Tehsil (Madhya Pradesh); and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) The project is in the initial stages of construction and is expected to be completed during the Fifth Plan.

(b) & (c) : The project estimates has a provision of Rs.14 lakhs for (i) raising of low level causeway near Hattnur as necessary in Madhya Pradesh.

(ii) raising of low level causeway near Jainabad in Madhya Pradesh or improving its end connections as may be necessary.

1973-74 में नई रेल गाड़ियों का चलाया जाना

5716. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 में, राज्यवार, कितनी नई यात्री गाड़ियां चलाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) ये गाड़ियां किन मार्गों पर चलाई जायेंगी ; और ये कब तक चलानी शुरू हो जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) और (ख) लाइन/टर्मिनल क्षमता के रूप में अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त गाड़ियां चलायी/ या उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया जाता है, ताकि विभिन्न खण्डों पर यातायात की जरूरतों को पूरा किया जा सके। गाड़ियां राज्यवार नहीं चलायी जातीं। अब तक 1973-74 में नयी गाड़ियां चलाने या उनका चालन क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है :–

(*i*) 1-4-73 से बम्बई बीना के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली जनता एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र बढ़ाकर बीना और लखनऊ के बीच सप्ताह में दो बार जनता एक्सप्रेस गाड़ियों की व्यवस्था।

(*ii*) 1-4-1973 से दिल्ली बक्सर एक्सप्रेस/तेज़ सवारी गाड़ी का चालन क्षेत्र बढाकर बक्सर और पटना के बीच एक जोड़ी तेज़ गाड़ियों की व्यवस्था।

(*iii*) अप्रैल, 1973 के मध्य से पूर्णियां और दरभंगा के रास्ते कटिहार और जयनगर/निर्मली के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों की व्यवस्था।

(*iv*) 15-4-1973 से रंगापाड़ा नाथ और तेजपुर के बीच एक जोड़ी शटल गाड़ियों की व्यवस्था।

(*v*) दिल्ली क्षेत्र और समस्तीपुर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी जयन्ती जनता एक्सप्रेस की व्यवस्था।

रूमानिया के सहयोग से बिहार में तापीय बिजलीघर की स्थापना

5717. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में रूमानिया के सहयोग से तापीय बिजलीघर स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बिहार में रूमानिया के सहयोग से ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी

5718. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के अन्त तक सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में ज्वायंट स्टाक कम्पनियों की संख्या तथा उनकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी थी ; और

(ख) इस अवधि के अन्त तक सरकारी उपक्रमों तथा बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा नियंत्रित गैरसरकारी उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी कितनी थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

वैगनों को सप्लाई के लिए केरल के टाइल निर्माताओं द्वारा अभ्यावेदन

5719. **श्री बयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में टाइलों के ले जाने के लिए रेल वैगनों को प्राप्त करने में केरल के टाइल निर्माताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या केरल को खाद्य सामग्री ले जाने वाले बाक्स वैगन खाली आ रहे हैं और अधिकारी इनमें टाइलों की ढुलाई की अनुमति नहीं दे रहे हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : बाक्स माल डिब्बे मुख्यत: कोयला आदि जैसे थोक माल को ब्लाक रैकों में ढोने के लिए होते हैं और इसलिए कोयले के लदान को नुकसान पहुचाये बिना इनका टाइलों के लदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है केरल में टाइल उद्योग द्वारा बाक्स माल डिब्बों की सप्लाई पर जोर दिये जाने का कोई विशेष कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि इस यातायात की निकासी आसानी से बाक्स डिब्बों से भिन्न माल डिब्बों में हो सकती है जिन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है । बाक्स माल डिब्बों के प्रचलन से पहले इस यातायात की ढुलाई साधारण माल डिब्बों में की जाती थी ।

केरल के लिए विद्युत योजना

5720. **श्री बयालार रवि** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के लिए एक दसवर्षीय विद्युत योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) भारत सरकार ने 1971–81 दशाब्दी के लिए एक आजमाइशी विद्युत उत्पादन की योजना तैयार की है, जिसमें केरल राज्य के लिए भी एक कार्यक्रम का भी प्रस्ताव सम्मिलित है ।

(ख) इन प्रस्तावों में केरल की निम्नलिखित जल-विद्युत स्कीमें सम्मिलित हैं जिनकी कुल क्षमता 1285 मैगा वाट है :—

1. इदिदको	320 मैगावाट
2. इदिक्की विस्तार	320 मैगावाट
3. कुट्टियाडी	75 मैगावाट
4. साइलैन्ट वैली	120 मैगावाट
5. लोअर पेरियार	140 मैगावाट
6. पोरिंगलकुत्थ् आर० बी०	140 मैगावाट
7. लघु जल-विद्युत	30 मैगावाट

कुट्टियाडी परियोजना पहले ही चालू कर दी गई है जबकि इदिक्की पर कार्य प्रगति पर है । साहलैन्ट बैली स्कीम योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । इदिक्की विस्तार योजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर ली गई है परन्तु योजना आयोग की औपचारिक रुप से स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है । लोअर पेरियार, पोरिंगल कुत्थु आर० बी० और लघु जल-विद्युत स्कीमों के बारे में स्कीम रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

रेल कर्मचारियों को स्थानान्तरण भत्ता दिए जाने के बारे में पंच निर्णय

5721. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्यस्थ बोर्ड द्वारा रेल कर्मचारियों के स्थानान्तरण भत्ते के सम्बन्ध में दिये गये फैसले पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है और इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

अशोधित तेल के निक्षेप

5822. **श्री बरके जार्ज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में तेल के लगभग कितने निक्षेप हैं ; और

(ख) इस बारे में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1-1-1972 को भारत के तैल क्षेत्रों में प्राप्त तेल भंडारों की कुल मात्रा का अनुमान लगभग 114.3 मिलियन मीटरी था ।

(ख) वर्तमान अवस्था में इस बारे में कोई सही अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

पुरानी मशीनों के कारण सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का असंतोषजनक कार्य

5723. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की कार्यकुशलता की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का कार्य असंतोषजनक है क्योंकि इनमें पुरानी मशीनें लगाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है कि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में पुरानी मशीनें लगाये जाने के क्या कारण हैं जब कि गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में बेहतर मशीनें लगी हुई हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है कि भविष्य में अदला बदली नई स्थापनाओं में ऐसी त्रुटियां न हों ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी खेत्र के कुछ यूनिटों में क्षमता का सापेक्षतया कम इस्तेमाल किये जाने के मुख्य कारण प्रौद्योगिकी तथा अन्य नियंत्रण हैं न कि उन यूनिटों में पुरानी मशीनों का लगाया जाना ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयत्रों में हानि के कारण

5724. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों में हानि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले और सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र में उर्वरक सेयन्त्रों के दक्षता पूर्वक परिचालन के स्थिरीकरण में विभिन्न तथ्यों को जानने के विचार से इन संयन्त्रों क काय-निष्पादान का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है । कुछ यूनिटों में क्षमता का तुलनात्मक कम उपयोग प्रमुख कारण है और यह तकनीकी एवं अन्य बाधाओं से उत्पन्न हुआ है । इन यूनटों के कार्य संचालन में सुधार लाने के लिए, इन पुनरीक्षणों पर आधारित उचित औपचारिक उपाय अपनाए गए हैं अथवा अपनाए जा रहे हैं ।

रेल वैगनों को रो के रखने के लिए हिन्दुस्तान स्टील से वसूल किया गया विलम्ब शुल्क

5725. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पब्लिक सेक्टर ओफेन्डर आफ वैगन्स' वैगन नियमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को हानि शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है कि 1 दिसम्बर 1972 से विलम्ब तथा स्थान शुल्क में वृद्धि के सरकार के निर्णय को अभी तक इस्पात संयंत्रों पर लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय को केवल निजी उपभोक्ताओं पर ही लागू करने का इरादा था और यदि नहीं, तो इस छूट के क्या कारण हैं और क्या यह प्राथमिकता का व्यवहार अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ भी किया जा रहा है ; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील से वार्षिक कितना विलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है और गत एक वर्ष अकेले इस यूनिट ने कितने घंटों तक वैगनों को रोके रखा और बढ़े हुए शुल्क के अनुसार उन्हें और कितना अधिक शुल्क देना होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) 1-12-1972 से अधिसूचित विलम्ब शुल्क और स्थान-शुल्क की बढ़ी हुई दरें न केवल निजी उपयोगकर्ताओं पर लागू होती हैं, बल्कि, इस्पात कारखानों और कोयला खानों को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होती हैं । कोयला-खान साइडिंगों पर लागू होने वाली दरें भी 21-12-1972 से बढ़ा दी गयी हैं और इस्पात कारखानों की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

(ग) 1971-72 में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील के तीन कारखानों से वसूल की गयी विलम्ब शुल्क की रकम 134.29 लाख रुपये थी । इस बात का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता कि बढ़ी हुई दर के हिसाब से उन्हें विलम्ब-शुल्क की कितनी रकम अधिक देनी पड़ेगी क्योंकि दर के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है ।

जहां तक पिछले एक वर्ष में माल डिब्बों के रुके रहने के घंटों का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

काबिनि सिंचाई परियोजना, मैसूर के लिए दुबारा स्वीकृति

5726. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार की काबिनि सिंचाई परियोजना के पुनरीक्षत प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षत प्रस्ताव के अंतर्गत उक्त परियोजना के पूरा होने पर केरल राज्य के कितने क्षेत्र के पानी में डूब जाने की संभावना है और केरल सरकार को इसके लिए कितना मुआवजा दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 1958 में योजना आयोग ने छोटे आकार की एक काबिनि परियोजना स्वीकृत की थी जिससे करल में कोई निमज्जन नहीं होता था । जुलाई, 1970 में मैसूर सरकार ने एक संशोधित काबिनि परियोजना भेजी थी तथा उस में यह लिखा था कि इसमें 254 एकड़ क्षेत्र निमज्जित होगा तथा बस्तियों आदि के लिए 650 एकड़ भूमि अपेक्षित होगी और इसके लिए प्रतिपूर्ति पर कुल लगभग 22 लाख रुपये व्यय होंगे । यह संशोधित परियोजना अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है ।

मद्रास के महानगरीय परिवहन आयोजना संगठन का विघटन

5727. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के महानगरीय परिवहन आयोजना संगठन को वर्ष के अन्त तक विघटित कर दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) और (ख) : महानगर परिवहन परियोजना संगठन के सम्बन्ध में स्थिति, इस संगठन द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षणों/अध्ययनों के 1973 में पूरा हो जाने के बाद तथा राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे 1981 के यातायात सम्बन्धी अनुमानों के भी पूरा हो जाने के बाद ही ज्ञात होगी।

मिरज स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के स्टेशन मास्टर की मृत्यु

5728. **श्री एस० एम० सिद्दइया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के मिरज स्टेशन के स्टेशन मास्टर की मृत्यु 31 दिसम्बर, 1972 को संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी ; यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं ?

(ख) क्या मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) से (ग) मिरज स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री एच० मल्लिकार्जुनिया की मृत्यु सिर में चोट लगने के बाद 31-12-1972 को लगभग 0.30 बजे हुई। रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 34 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल, अभी जारी है। दो रेल कर्मचारियों-केबिन सहायक स्टेशन मास्टर और रिलिविंग सहायक स्टेशन मास्टर को क्रमशः 2-1-1973 और 1-2-1973 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें गिरफ्तार की तारीख से मुअत्तिल कर दिया गया।

डीजल जैनरेटिंग सैटों का आयात

5729. **श्री ओंकारलाल बेरवा** :

श्री एस० एस० संजीवी राव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ डीजल जैनरेटिंग सैटों का विदेशों से आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता क्या है ; और

(ग) किन-किन देशों से ये सैट आयात किए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) फिलहाल हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्डों के लिए 3.5 मैगावाट प्रत्येक के 4 सेट सोवियत रूस से आयात करने का प्रस्ताव है।

उद्योगों द्वारा आपाती (स्टैंड-बाई) सैटों के रूप में उपयोग के लिए रुपया अदायगी क्षेत्रों के देशों से वृहदाकार डीजल सेट आयात करने की अनुमति देने का भी निश्चय किया गया है।

दिल्ली में उपनगरीय रेलवे का जाल बिछाना

5730. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** :

श्री बनमाली पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के महानगरीय परिवहन अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि दिल्ली की बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली में उपनगरीय रेलवे का जाल बिछाया जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान ने दिल्ली के यातायात और परिवहन आवश्यकताओं का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने भूमितलीय व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है

(ख) जी हां ।

(ग) यातायात सर्वेक्षणों के आधार पर नयी दिल्ली के केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान, ने दिल्ली के लिए एक यातायात एवम् परिवहन योजना तैयार की है और व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए यातायात गलियारे चिन्हांकित कर दिये हैं । इस समय महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन कर रहा है ।

केरल में कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियां

5731. **श्रीमती भागवी तनकप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

इस समय केरल में कम्पनी अधिनियम के अधीन कुल कितनी कम्पनियां कार्य कर रही हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : केरल राज्य में, 31 निसम्बर, 1972 तक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पूंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित, एक हजार एक सौ तिरेपन कम्पनियाँ कार्यरत थीं ।

उर्वरक उद्योग क विस्तार की प्रतिशतता

5732. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों में उर्वरक उद्योग का कितने प्रतिशत विस्तार हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	वृद्धि की प्रतिशतता	
	नाइट्रोजन	फासफेट
1970–71	15.9	3.2
1971–72	14.7	12.1
1972–73	12.3	16.9

शावैलेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

5733. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स शावैलेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस ब्रिटिश फर्म ने अपने कुछ यूनिट बेच दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) शावैलेस एण्ट कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनियां निम्नलिखित हैं :–

1. कुकशंक एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
2. दि हुगली फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
3. दि इण्डियन यीस्ट कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता एण्ड उरान

4. दि न्यू समनबाग टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता एण्ड सिल्हट

5. राजनगर टी कम्पनी लिमिटड, कलकत्ता एण्ड सिल्हट, दारंग

6. तेजपुर टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता एण्ड दारंग

7. शालेक नोमीनीज लिमिटेड, कलकत्ता

8. शा पीयरसन् एण्ड स्मिथ लिमिटेड लन्दन

9. शा. वैलेस बंगलादेश लिमिटेड, चिटगांव चाल्ना एण्ड ढाका

10. शा वैलेस एण्ड हेजेज लिमिटेड, सीलोन

11. ली, हेजेज एण्ड कम्पनी लिमिटेड, सीलोन

12. मैक लारेन्स लिमिटेड, सीलोन

13. शा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीलोन

14. मद्रास हाइड्स एण्ड स्किन्स एक्सपोर्टर्स लिमिटेड, मद्रास (समापन में)

(ख) तथा (ग) शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी है, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिसमें विदेशी हिस्सेधारियों के 44.5 प्रतिशत के लगभग हिस्से ह । जहां तक विभाग को जानकारी है, इस कम्पनी ने अपने किसी भी यूनिट को नहीं बेचा है लेकिन कम्पनी ने एमालगामेटेड कोल फील्डस लिमिटेड और पैंच तल कोल कम्पनी लिमिडेड (दोनों भारत में निगमित) और आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड (यू० के० में निगमित) में धारित अपने हिस्से बेचे थे ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में विस्फोट

5734. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 में सिन्दरी उर्वरक कारखाने में कितने विस्फोट हुए ; और इस कारण कितने व्यक्तियों को चोटें आई ; और

(ख) उन्हें कितना मुआवजा दिया गया और विस्फोट के कारणों की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सिन्दरी यूनिट में 1971–72 में कोई विस्फोट नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1972-73 के दौरान गुजरात की कोयले की आवश्यकता

5735. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की वर्ष 1972–73 में माहवार कोयले की कुल कितनी आवश्यकता थी ; और

(ख) इस अवधि में कितने कोयले की सप्लाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : 1972-73 में (28 मार्च, 1973 तक) गुजरात राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के कोयले और कोक के लदान का महीने वार कार्यक्रम इस प्रकार था :-

(आंकड़े चौपहिये माल डिब्बों में)

महीना	कार्यक्रम	लदान
अप्रैल, 72	14543	9846
मई, 72	15491	9728
जून, 72	14656	9733
जुलाई, 72	14069	10824
अगस्त, 72	15106	10479
सितम्बर, 72	14751	10222
अक्तूबर, 72	16485	12080
नवम्बर, 72	15345	9671
दिसम्बर, 72	16496	10623
जनवरी. 73	14723	13065
फरवरी, 73	14863	9060
मार्च, 73	15761	8802
		(28 मार्च तक)

ठेकेदारों की गलती के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

5736. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ठेकेदारों की गलती के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के बारे में 6 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन्हें करार के 'मूल्य बढ़ जाने' संबंधी खण्ड के अधीन अतिरिक्त धन दिया गया था और ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को इस प्रकार का कितना धन दिया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी संबंध राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, आदि से एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा राज्य विधान सभा के लिये निर्वाचन कराना

5737. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन शीघ्र कराने के लिए कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन कब होंगे ; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) नई विधान सभा गठित करने के लिए उड़ीसा राज्य में साधारण निर्वाचन किए जाने के पूर्व, 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विधान सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना होता है। निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्यवाहियां निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं। आयोग ने 1973 की जनवरी की 1 तारीख को अहर्क तारीख मानकर उड़ीसा में निर्वाचक नामावलियों का पूर्ण रूप से पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में कारवाई आरम्भ कर दी है। प्रगणना कार्य 15 अप्रैल 1973 से आरम्भ किया जाना है और आशा है कि प्रारूप के तौर पर नामावलियों का प्रकाशन 15 सितम्बर, 1973 तक हो जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, प्रारूप नामावलियों में आवश्यक संशोधन मुद्रित किए जाएंगे और इसके पश्चात पुनरीक्षित नामावालियों के नवम्बर, 1973 तक अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाने की आशा है।

(ख) निर्वाचन की कोई तारीख अभी नियत नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नामरूप में पट्रोरसायन परियोजना हेतु असम को ऋण देना

5738. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम के नामरूप में पेट्रो रसायन परियोजना के लिए ऋण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) असम औद्योगिक विकास निगम ने इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु, वित्त दाता संस्थानों को लिखा है।

(ख) वित्तदाता संस्थान ऋण के आवेदन पत्र पर विचार कर रहे हैं।

मैसूर में परमाणु तापीय परियोजनाओं की स्थापना

5739. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में आणविक अथवा तापीय परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है और यह भी प्रस्ताव किया है कि उस से पैदा होने वाली बिजली दक्षिणी विद्युत ग्रिड के माध्यम से उपयोग में लाई जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मैसूर सरकार से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक कारखानों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन तेल

4740. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री धर्मराज अफजलपुरकर :

क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उर्वरक कारखानों द्वारा इस समय उर्वरक बनाने के लिए कितना ईंधन तेल प्रयोग में लाया जा रहा है और किन किन कारखानों में ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : इस समय कोई उर्वरक सन्यन्त्र अमोनिया उत्पादन के लिए ईंधन तेल को सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग करते हुए कार्य नहीं कर रहा है। किन्तु हल्दिया और नांगल (विस्तार) परियोजनाएं, ईंधन तेल/हैवी पेट्रोलियम फ्रैकशन्स को सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही हैं। सिन्दरी आधुनिकीकरण योजना भी ईंधन तेल/हैवी फ्रैक्शन्स को सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग करेगी।

मेन लाइनों को मीटर गेज से बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में नीति

5741. **श्री वैकारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेन लाइनों को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने पर ब्रांच लाइनों सम्बन्धी सरकारी नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर परिवहन सम्बन्धी ऐसी आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है, जिन्हें लाइन क्षमता सम्बन्धी अन्य सस्ते निर्माण-कार्यों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। शाखा लाइनों के मामले में स्थिति यह है कि जिन पर परिचालनिक कारणों से मुख्य लाइन के साथ मिश्रित परियोजना के रूप में विचार करना होता है, चाहे वे वित्तीय दृष्टि से सक्षम हों या न हों, उन्हें बदलाव के लिए मुख्य लाइन के साथ हाथ में ले लिया जाता है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिय रेल वैगन

5742. **श्री राम गोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रेल वैगनों की कमी के परिणामस्वरूप भिलाई इस्पात संयंत्र के सुचारू कार्यकरण पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

Arrangement of Drinking Water at Khairar, Khurhand, Dingwahi and Atarra Railway Stations

5743. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there are proper arrangements for drinking water for passengers at Khairar, Khurhand, Dingwahi and Atarra Railway Stations between Jhansi-Manikpur on Central Railway; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Yes.

(b) Does not arise in view of answer to part (a) above.

Madhya Pradesh Government's Proposal for new Railway Lines in M.P.

5744. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have recently sent a proposal to the Railway Board for construction of some new Railway lines in Madhya Pradesh;

(b) If so, the broad outlines there of; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b). A memorandum prepared by the Government of Madhya Pradesh regarding development of rail communications in the State has been forwarded by the Planning Commission.

The following new lines and conversions have been suggested for consideration:

(1) Indore-Dhar-Jhabua-Dohad.

(2) Khandwa-Bhikangaon-Khargone-Badwani-Jabhua-Dohad.

(3) Jabalpur Damoh-Tikamgarh-Lalitpur.

(4) Sagar-Kareli Narsinghpur-Chhindwara.

(5) Tikamgarh-Chhatarpur Khajuraho-Panna-Satna.

(6) Satna-Rewa-Beohari.

(7) Chirimiri-Badwadeeh Baikhunthpur-Ambikapur.

(8) Jherandalli-Kondagaon-Jagdalpur.

(9) Jabalpur Balaghat-Gondia.

(10) Seoni-Chhindwara-Parasia-Nagpur.

(11) Dhamtari Raipur and Ambhanpur-Rajin-Nawapara.

(12) Conversion of Shivpur-Gwalior-Bhind-Sawai Madhopur.

(13) Conversion of Jora (Sheopur-Gwalior) Morena-Ambah-Soni (Gwalior-Bhind).

(14) Guna Maksi rail link to Shivpuri-Gwalior.

(15) Ujjain-Agar (conversion) Nalkheda-Susner-Jhalwada Kota (Rajasthan)

(16) Balaghat-Wara Seoni-Katangi-Tirodi-railway station.

(17) Dalli Rajhara-Narainpur-Kondagaon-Jagdalpur.

(18) Kirindul to Kottavalasa.

(19) Kirindul to Kelnur between Chanda and Kazipet, or

(20) Dantewada to Chand, and

(21) Jagdalpur-Titlagar.

(c) Out of the proposals mentioned in (a) & (b) above, surveys for the following new lines/conversions have been carried out are in progress.

(1) **Indore-Dohad**: Engg. and Traffic Surveys carried out in 1953—55 had shown that the line would be unremunerative.

(2) **Satna-Rewa-Beohari**: A traffic survey for this line is well in progress and nearing completion.

(3) **Dhalli-Rajhara to Dantewara/Jagdalpur** (vide S. No. 17 in (a) & (b) above. A traffic survey for B.G. line from Dhalli-Rajhara to Dantewara/Jagdalpur has recently been completed and the report is under examination of the Railway Board. Meanwhile detailed Engineering Survey for this line has also been taken up. Further consideration to this proposal will be given after the results of this survey become known.

(4) **Conversion of the northern section of the Satpura Narrow Gauge Railway System into B.G.**: The traffic survey for the conversion into B.G. of the northern section of the Satpura Narrow Gauge Railway System with its branches consisting of (a) Parasia-Chhindwara-Seoni-Nainpur Mandla Fort (b) Jabalpur-Nainpur Balaghat-Gondia and (c) Chhindwara-Nagpur is well in progress. Further consideration to the project will be given after the survey is completed and the results thereof become known.

(5) **Indore-Mhow**: (Not included in the list forwarded by the Planning Commission).

A reconnaissance survey for this extension (21 Kms.) has been completed and report is under examination.

(6) **Conversion of Raipur-Dhamtari NG section to BG**: The Trafic Survey for this conversion has been completed and is at present under examination of the Railway Board.

(7) **Kirindul to Kottavalasa**: This line is already in existence.

पांच वर्ष से अधिक की सेवा वाले पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को स्थाई बनाना

5745. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री पांच वर्ष से अधिक की सेवा वाले पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को स्थायी बनाये जाने के बारे में 6 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे निर्धारित कसौटियां या शर्तें क्या है जिन्हें अभी तक स्थायी न बनाए गए कर्मचारियों द्वारा पूरा नही किया गया है और विभिन्न डिविजनों में उक्त शर्तें पूरी न करने के कारण कितने कर्मचारी अभी स्थायी बनाए जाने के लिए पात्र नहीं हैं ;

(ख) समस्तीपुर डिवीजन तथा मुख्यालय में इन कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रत्येक डिवीजन में कब तक तथा कितने स्थायी पद बनाये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों का अलॉटमैंट

5746. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पैट्रोल फिलिंग स्टेशनों की अलॉट करने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या इन्हें खुले टेण्डरों के आधार पर अलॉट करने पर विचार किया जा रहा है ताकि इससे अधिक आय हो ; और यदि नहीं तो क्यों ; और

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों या पार्टियों के पास दिल्ली में एक से अधिक पैट्रोल स्टेशन हैं ; और यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में एक से अधिक स्टेशनों की अलाटमेंट रद्द करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) : भारतीय तेल निगम, जो एक स्वायत सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम है, ने दिसम्बर, 1971 में एक योजना लागू की थी जिस के अन्तर्गत निगम के स्वामित्व वाले तमाम फुटकर बिक्री केन्द्र तथा अन्य एजेंसियां देने में रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय की विशिष्ट सिफारिशों पर अपंग सैनिकों, युद्ध में हताहत तथा लापता हुए सैनिकों की विधवाओं / आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को तरजीह दी जाती है । उस हालत में जब पुनर्वास महानिदेशालय किसी दिये गये स्थान के लिये किसी उम्मीदवार की सिफारिश

करने में असमर्थ होता है तो भारतीय तेल निगम निम्न आय वर्ग के परिवारों के बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों को उस डीलर शिप/एजेंसी के दिये जाने के लिये विज्ञापन देता है। तथापि, उन सभी अन्य फुटकर बिक्री केन्द्रों, जो निगम के स्वामित्व वाले स्थानों पर स्थापित नहीं है, के नियतन के बारे में निम्न आय वर्ग के परिवारों के बेरोजगार स्नातकों इंजीनियरों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। इन सभी मामलों में, अन्य सभी बातों के बराबर होने की शर्त पर, चयन के मामले में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के आवेदकों को तरजीह दी जाती है।

इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी, जिस में सरकार के शेयर बहुसंख्या में हैं, कम्पनी के स्वामित्व वाले स्थानों पर स्थापित अपने सभी फुटकर बिक्री केन्द्रो के नियतन में पुनर्वास महानिदेशालय के नामिक व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को तरजीह देती है। अन्य सभी फुटकर बिक्री केन्द्रों के बारे में कम्पनी अपने वाणिज्यिक हितों के अनुसार डीलरशिप देती है।

डीलरशिप/एजेंसियों का नियतन करने के मामले में गैर-सरकारी तेल कम्पनियां पर इस समय सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है अथवा संभाव्य समझा जा रहा है क्योंकि डीलरों के मुनाफे नियन्त्रित हैं।

(ग) भारतीय तेल निगम की वर्तमान नीति किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक डीलरशिप नहीं देने की है। जब कि गत समय में भारतीय तेल निगम ने कुछ मामलों में एक ही पार्टी को एक से अधिक डीलरशिप दी है, लेकिन दिल्ली में इस प्रकार के कोई नियतन नहीं किये गये हैं। किन्तु गैर-सरकारी कम्पनियों के दिल्ली में इस प्रकार के कुछ फुटकर बिक्री केन्द्र है। इस प्रकार के फुटकर बिक्री केन्द्रों के स्वामित्व का नियमन किये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों के डीलरों द्वारा चोरबाजारी

5747. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल फिलिंग स्टेशन डीलरों द्वारा कच्चा तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की चोर बाजारी कीया रही है ;

(ख) क्या इस बारे में शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे डीलरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : **(क) से (ग)** : सामान्य तौर पर पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल आयल (एच०एस०डी) तथा लुब्रीकेटिंग तेल आदि पेट्रोलियम उत्पाद फिलिंग केन्द्रों की मार्फत बेचे जाते हैं। फिलिंग केन्द्रों के डीलरों द्वारा इन उत्पादों की चोर बाजारी किये जाने के बारे कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, यह रिपोर्ट मिली है कि फुटकर बिक्री केन्द्रों के कुछ डीलरों दोनों पैट्रोल तथा एच० एस० डी० पर सेवा प्रभार ले रहे हैं। इस अनाधिकृत व्यवसाय को बन्द करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

भारत मे विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली कम्पनियो का राष्ट्रीयकरण

4748. **श्री भान सिंह भौरा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विधि न्याय, और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी नियंत्रण वाले एकाधिकार गृहों की आस्तियों का कुल मूल्य 75 एकाधिकार गृहों की कुल आस्तियों के मूल्य का 45 प्रतिशत से भी अधिक है ;

(ख) क्या विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली कम्पनियों के कार्यों तथा देश के व्यापार-ग्रुपों के साथ उनके अनेक प्रकार के सम्बन्धों के कारण देश में एकाधिकार की वृद्धि हो रही है और आर्थिक शक्ति का संचयन हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत स्थित विदेशी स्वामित्व वाली और विदेशी नियंत्रण वाली सभी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) नहीं, श्रीमान् एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी नियंत्रित एकाधिकार समूहों की आस्तियां, 75 औद्योगिक गृहों की कुल आस्तियों के 11.1 प्रतिशत के बराबर बैठती है।

(ख) नहीं, श्रीमान। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, की धारा 18–क के अन्तर्गत विदेशी शाखाएं और विदेशी बहुमत वाली कम्पनियों के लिये व्यापार एवं वाणिज्य सम्बन्धी क्षेत्रों में तकनीकी और प्रबन्धकीय परामर्शदाता या अधिकर्ता के रूप में केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सामान्य वया विशेष अनुमति के बगैर कार्य करना निसिद्ध है। पुन: एक परिवर्धित विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक संसद में पुन: स्थापित किया गया है जिसमें कि विदेशी कम्पनियां या भारतीय कम्पानियां जो 40 प्रतिशत विदेशी हिस्से या अधिक रखती हैं को सरकार से नवीन अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ग) विदेशी या भारतीय किसी उपक्रम के राष्ट्रीयकरण का निर्णय, आर्थिक और जनहित की आवश्यकताओं के संदर्भ में लिया जाता है :

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये पाईप लाईन बिछाने की योजना

5749. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पाइप लाइनें बिछाने का क्या लक्ष्य निश्चित था और इन लक्ष्यों की अब तक किस सीमा तक प्राप्ति हुई हैं ?

(ख) क्या पांचवी योजना में पाइप लाइनें बिछाने की योजनाओं पर काम हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कच्चे तेल के लिए और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कितने कितने किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनें विछाई जायेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चौथी पच वर्षीय योजना अवधि के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनें बिछाने के लिये 320 किलो मीटरों का लक्ष्य था। अब तक, 172 किलो मीटर बिछाये जा चुके हैं। भारतीय तेल निगम के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में कच्चे तेल अथवा उत्पाद लाइनों के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी। चौथी पंच वर्षीय योजना के दिसम्बर, 1971 में किये गये मध्यावधि मूल्यांकन में, हल्दिया से राजबन्ध तक 210 किलो-मीटर की एक उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिये व्यवस्था की गई थी। इस में से, अब तक 114 किलोमीटर मुकम्मल किये गये हैं। 1200 किलो मीटर लम्बी सालाया-उत्तर-पश्चिम शोधनशाला क्रूड आयल पाइपलाइन भी चौथी योजना क मध्यावधि मूल्यांकन में शामिल की गई थी। कुच्छ प्रारभिक कार्य शुरू कर दिया गया है किन्तु पाइपलाइन के पांचवीं पच वर्षीय योजना में मुकम्मल किये जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : 1973 से 1978 तक की अवधि के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का लगभग 239 किलोमोटर लम्बी कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाने का विचार है । भारतीय तेल निगम का पांचवीं योजना अवधि के दौरान 1400 किलोमीटर कच्चे तेल की पाइपलाईन और 700 किलोमीटर की उत्पाद पाइपलाइन बिछाने का विचार है ।

देश में लगाये गए देशीय टर्बो जैनरेटर

5750. **श्री डी० डी० देशाई** : क्या **सिचाई और विद्युत** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टर्बो जैनरेटरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने या आयात सीमित कर देने के समय, देश मे कितने देशीय टर्बो जैनरेटर लगाए गए या चालू किये गये तथा उनकी क्षमता (रेटिंग) कितनी-कितनी थी ; और

(ख) इस समय उक्त जैनरेटरों की संख्या तथा क्षमता (रेटिंग) क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जुलाई, 1967 में जब टर्बो जनिय सेट के आयात पर रोक लगाई गई थी, तब कोई वृहत देशी सेट (जलविद्युत और तापीय) प्रचलन में नहीं था।

(ख) इस समय देस में प्रतिष्ठापित तथा चालू किये गये देशी टर्बो जनित्र सेटों की संख्या तथा उनके निर्धारण इस प्रकार हैं —

परियोजना का नाम	यूनिटों की सं० तथा आकार (मे० वा०)	कुल क्षमता
जल विद्युत		
1. बस्सी (हिमाचल प्रदेश)	3×15	45.0
2. ओबरा (उत्तर प्रदेश)	3×33	99.0
3. नोगली (हिमाचल प्रदेश)	2×0.5	1.0
4. मू० बी० डी० सी० (पंजाब)	2×15	30.0
	उप-योग	175.0
तापीय		
1. बैसिन ब्रिज (तमिल नाडु)	1×30	3.00
2. एन्नोर (तमिलनाडु)	2×55	110.0
3. हरदुआ गंज (उत्तर प्रदेश)	2×55	110.0
4. इंद्र प्रस्थ केन्द्र (दिल्ली)	1×55	55.0
5. पार्ली (महाराष्ट्र)	2×30	60.0
	उप-योग	365.0
	कुल योग	540.0

कोठागाडन और केवूर के बीच पांचवीं योजना में रेल सम्पर्क

5751. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागाडन और केबूर को रेल द्वारा जोड़ने के सम्बंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या उक्त योजना संबंधी पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में कार्यान्वित हो जायगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) भद्राचलम (कोट्टागुडम) से काव्बूरु तक बड़ी लाइन के लिए पहले किये गये सर्वेक्षण को हाल में अद्यतन बनाने पर मालूम हुआ है कि यह लाइन आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होगी। इस स्थिति में इस रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार करना कठिन है।

(ख) पांचवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह कहना कठिन है कि यह परियोजना गुण-दोष के आधार पर पांचवीं योजना में शामिल की जायेगी या नहीं।

उत्तर बंगाल की जलढाका पनबिजली परियोजना

5752. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल की जल-ढाका पनबिजली पूरी तरह चालू हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां इस समय कितनी बिजली का उत्पादन होता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। जलढाका जल-विद्युत योजना, उत्तर बंगाल को पूर्णतया चालू कर दिया गया है।

(ख) विद्युत केन्द्र से 18 मेगावाट विद्युत का वास्तविक उत्पादन किया जा रहा है।

स्यालदह और न्यू बंगईगांव के बीच वातानुकूलित चेयर कार रेलगाड़ी चलाना

5753. **श्री आर० एम० वर्मन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्यालदह से न्यू बंगईगांव तक सप्ताह में दो बार या तीन बार एक वातानुकूलित चेयर कार रेलगाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यातायात की दृष्टि से औचित्य न होने के अलावा फालतू वातानुकूलित एक्सप्रेस रेक न होने के कारण भी स्यालदह और न्यू बोंगईगांव के बीच एक वातानुकूलित एक्सप्रैस चलाना व्यावहारिक नहीं हैं।

सियालदाह से बोलपुर तथा फरक्का होकर न्यू बंगईगांव तक एक्सप्रैस गाड़ी चलाना

5754. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और न्यू कूच-बिहार को मिलाने वाली एक गाड़ी यात्री ट्रैफिक की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार न्यू जलपाईगुड़ी तक की वर्तमान दो गाड़ियों के स्थान पर नार्थ बंगाल एक्सप्रैस नामक एक अन्य गाड़ी, जो सियालदह से बोलपुर तथा फरक्का होकर न्यू बंगईगांव तक हो चलाने का है ; और

(ग) क्या मंत्रालय को इस बारे में बार एसोसिएशन कूच-बिहार सहित, वहां के लोगों से एक अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) : स्यालदह/हावड़ा और न्यू बोंगईगांव के बीच एक और गाड़ी चलाने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किन्तु फरक्का के रास्ते लाइन सम्बन्धी पर्याप्त क्षमता के अभाव तथा स्यालदह/हावड़ा स्टेशन पर आवश्यक पर्यन्त सुविधाएं न होने के कारण स्यालदह/हावड़ा और न्यू बोंगईगांव के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना इस समय परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

उत्तरी बंगाल में तापीय विद्युत संयंत्र निर्माण

5755. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल के लिए मंजूर किये गये तापीय विद्युत संयंत्र, डलखोला का निर्माण, आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र का काम कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं। डलखोला तापविद्युत परियोजना पर निर्माणकार्य अभी तक शुरु नहीं किया गया है। क्योंकि योजना आयोग द्वारा अभी तक परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि से परियोजना के छः वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

Scheme for construction of Dam from Buxar to Koilwar to Avoid Destruction by Floods

5756. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for constructing a dam from Buxar to Koilwar for avoiding destruction by floods; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b) The State Government of Bihar have formulated a scheme for construction of an embankment from Buxar to Koilwar in Shahbad district at an estimated cost of Rs. 10·10 crores. The scheme envisages the construction of 172 Kms. of embankments—94 Kms. on the Ganga on its right bank, 67 Kms. on both banks of tributaries Ganga East and West and 11 Kms. on the left bank of Sone from Koilwar bridge upto its confluence with Ganga. The scheme will benefit an area of 79,000 ha.

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर हुआ व्यय

5757. **श्री रामावतार शस्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों ने चौथी-पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की है ;

(ख) इन तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई गई है ;

(ग) क्या चौथी योजना में विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने की संम्भावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी कमी रहने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 1969–70 से 1971–72 तक के तीन वर्षों के दौरान उत्पादन परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान जोड़ी गई प्रतिष्ठापित क्षमता 2.75 मिलियन किलोवाट है।

(ग) और (घ) चौथी योजना के लक्ष्य में 9.2 मिलियन किलोवाट प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की वृद्धि करना परिकल्पित था। हाल ही में किए पुनरवलोकनों के अनुसार निम्नलिखित कारणों से लगभग 3 से 3.5 मिलियन किलोवाट तक की कमी हो सकती है।

	मि० कि० वा०
(1) मुख्य उपस्कर की प्राप्ति में विलम्ब	1.20
(2) मुख्य उपस्करों की प्राप्ति में विलम्ब और सिविल कार्यों के पूरे होने में विलम्ब	1.20
(3) केवल सिविल कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब	0.85
(4) स्थापना में विलम्ब	0.20
(5) अन्य कारण	0.11

विवरण

1969-70 से 1971-72 तक के तीन वर्षों के दौरान उत्पादन परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का विवरण :—

राज्य	1969-70 से 1971-72 के दौरान उत्पादन परियोजनाओं पर किया गया व्यय (करोड़ रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	57.30
2. असम	8.29
3. बिहार	27.08
4. गुजरात	50.70
5. हरियाणा	25.26
6. हिमाचल प्रदेश	7.19
7. जम्मू व काश्मीर	16.35
8. केरल	29.58
9. मध्य प्रदेश	9.24
10. महाराष्ट्र	81.18
11. मणिपुर	0.59
12. मेघालय	(असम के अन्तर्गत सामिल है)
13. मैसूर	8.37
14. नागालैण्ड	0.11
15. उड़ीसा	28.20
16. पंजाब	69.89
17. राजस्थान	21.52
18. तमिलनाडु	38.35
19. त्रिपुरा	3.25
20. उत्तर प्रदेश	126.80
21. पश्चिम बंगाल	30.29
कुल राज्य	639.54
संघ शासित क्षेत्र	3.23
केन्द्रीय परियोजना	44.95
दामोदर घाटी निगम	21.47
नंगल	2.89
परमाणु ऊर्जा विभाग	73.04
कुल योग	785.12

रेल वैगन रिलीज करने में देरी पर रेलवे बोर्ड की चिन्ता

5758. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" दिनांक 2 जनवरी 1973 में "रेलवे बोर्डस कन्सर्न ओवर डिले इन वैगन रिलीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) अक्तूबर 1972 से जनवरी 1973 तक के महीनों के दौरान कलकत्ता और हावड़ा क्षेत्रों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल डिब्बों को खाली करने के काम में सुधार हुआ है ।

(ग) पहली दिसम्बर 1972 से विलम्ब-शुल्क और स्थान-शुल्क प्रभार की दरों में वृद्धि कर देने के अलावा जहां आवश्यक होता है माल डिब्बों को शीघ्र खाली करवाने के लिये द्रोषी पार्टियों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है ।

Financial burden due to Miabhoy Tribunal's Award.

5759. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the additional financial burden to be borne by the Railways by accepting recommendations of Miabhoy Tribunal;

(b) the date from which these recommendations will be implemented; and

(c) the arrangements being made to raise the additional funds required for this purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) It is estimated that the full implementation of Miabhoy Tribunal's report will cost the Government annually Rs. 12·5 crores on Revenue account and Rs. 7 crores under Capital.

(b) A statement is attached showing the dates of effect of the recommendations on which Government have taken decisions. [Placed in Library See No. L.T. 4701/73]. The other recommendations are under active consideration of Government.

(c) Provision to the extent of Rs. 6·73 crores has been made in the Budget estimates of working expenses for the year 1973-74, which will cover the decisions already taken.

रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के आरक्षण कार्यालयों की अचानक जांच

5760. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के आरक्षण कार्यालयों की अचानक जांच के बारे में 19 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5012 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कदाचारों के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख): इस सम्बन्ध में जांच के दौरान कोई रेल कर्मचारी कदाचार करते हुए नहीं पकड़ा गया । इसलिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य निरीक्षकों का नियत अवधि पर स्थानान्तरण

5761. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कुछ स्वास्थ्य निरीक्षक गत 10–20 वर्षों से विशेष स्टेशनों पर कार्य कर रहे हैं जबकि कुछ अन्य को बार बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) क्या अन्य रेलवे जोनों में स्वास्थ्य निरीक्षकों को नियत अवधि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है ;

(ग) यदि हां तो सभी भारतीय रेलवे जोनों में समान नीति न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उत्तर रेलवे में कितने स्वास्थ्य निरीक्षक पिछले 10 से 12 वर्षों से एक ही स्थान/स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं और स्वास्थ्य निरीक्षकों में व्याप्त असन्तोष को कम करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) : जी हां कुछ 10/20 वर्षों से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। जब भी स्थानान्तरण किये जाते हैं तो वे पदोन्नति/पदावनति या सेवा सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं आदि के आधार पर किये जाते हैं। आवधिक स्थानान्तरणों से सम्बन्धित सामान्य आदेश (अब इनका भी प्रतिसंहरण किया जा चुका है) इस वर्ग पर लागू नहीं होते।

(घ) आठ। सरकार को ऐसे किसी असन्तोष का पता नहीं है।

इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन

5763. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने भारत सरकार का उपक्रम बन जाने के उपरान्त इसके निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन के अनेक अधिकारियों को इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम कंपनी के निदेशक बोर्ड में सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) क्या इंडो बर्मा पैट्रोलियम कंपनी की सहायक कंपनियों अर्थात् बांमर लारी और अन्य का नियंत्रण भी उसी बोर्ड के अधीन है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां।

(ख) जनवरी 1970 से इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी के भारतीय तेल निगम की एक सहायक कम्पनी बनने पर इसके निदेशक मण्डल में उक्त निगम के नामित अधिकारियों को शामिल किया गया है। 29–6–72 को आई०वी०पी० की वार्षिक आम सभा में निदेशकों के बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात 16–9–72 को भारत सरकार ने भारतीय तेल निगम से आई० वी० पी० के शेयरों का अर्जन किया। आई० वी० पी० के बोर्ड के पुनर्गठन का प्रश्न अब केवल आगामी वार्षिक आम सभा जिसके 30 जून 1973 को सामान्यत: सम्पन्न होने का कार्यक्रम है के अवसर पर उत्पन्न होगा। किन्तु भारतीय तेल निगम से सरकार द्वारा आई० वी० पी० के शेयरों के अर्जन के पश्चात् दो अतिरिक्त निदेशक (एक वित्त मंत्रालय से और एक पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से) आई० वी० पी० के निदेशकों के बोर्ड में सहयोजित किये गये हैं।

(ग) जी नहीं प्रत्येक कम्पनी का निदेशक मण्डल पृथक है।

विदेशी कम्पनियों और बड़े औद्योगिक गृहों के बीच आपसी संबंध

5764. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित बड़े औद्योगिक समूहों में से कितनों पर विदेशियों का नियन्त्रण है और इन समूहों के नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक समूह में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी है ; और

(ग) इन विदेशी नियन्त्रित कम्पनियों में से कितनी कम्पनियों के सम्बन्ध स्वदेशी व्यापारिक समूहों से हैं और यह सम्बन्ध किस प्रकार के हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार जांच आयोग ने 75 औद्योगिक गृहों में से 14 को विदेशी नियंत्रणाधीन होना प्रतीत हुआ दिखलाया है। इन विदेशी नियंत्रित गृहों के नाम एवं 31-3-1971 तक इन गृहों में से प्रत्येक से संबंधित भारतीय सहायक कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी में विदेशी धारित कम्पनियों के माध्यम से नियोजित विदेशी पूंजी, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 में विदेशी नियंत्रित कम्पनी की कोई परिभाषा नहीं है एवं पुनः कम्पनी अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है, जिसके द्वारा हिस्सेदारी को राष्ट्रीयता प्रकट करना अपेक्षित है।

विवरण

क्रम संख्या	विदेशी नियंत्रण गृह का नाम	31-3-1971 तक संबंधित गृहों की भारतीय सहायक कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी में, विदेशी धारित कम्पनियों द्वारा नियोजित विदेशी पूंजी की राशि (लाख रुपयों में)
1.	एन्ड्रयले	16.00
2.	बर्ड-हेल्गर्स	83.59
3.	फिनले	—
4.	गिलन्डर्स	66.52
5.	आई० सी० आई०	1,795.43
6.	जारडायन हन्डरसन	19.61
7.	मैकनोल एण्ड बारी	—
8.	पैरी	55.00
9.	पोयर्सी लैसली	—
10.	स्वीडिश मैच	282.00
11.	ट्यूब इन्वैस्टमैन्ट्स	272.15
12.	वैलेस	30.00
13.	बामर लौरी**	—
14.	बिन्नी*	—

*औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा बिन्नी गृह मैकनोल एण्ड बारी (क्रम सं० 7) के साथ विलय कर दिया गया था।

**औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा बामर लौरी गृह गोयन्का गृह के साथ विलय कर दिया गया था।

Construction of Approach Road from Station to Girls High School at Chakia (N. E. Rly.)

5765. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a Girls High School and a Middle School are located half a furlong away in the east of Chakia Station on the North-Eastern Railway;

(b) whether the girls of the said schools have to pass by the side of the Railway line to go to the schools and the Railway Department has not constructed so far any approach road for girls to go to schools;

(c) whether Government propose to construct approach road at Chakia upto the Girls High School; and

(d) if so, by what time and if not the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d). A non-railway Girls High School and a non-railway Girls Middle School are located on Private land outside the Railway boundary east of Chakia station. Provision of an approach road to the school is not the responsibility of the Railway.

Publication of Journal 'Bhagirath'

5766. Shri K. M. Madhukar:

Shri Ishwar Choudhry:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a Hindi Periodical 'Bhagirath' is published by his Ministry;

(b) whether the said periodical is not published in time and in a regular manner;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to publish the periodical in all the national languages of India and if so, the time by which this work is likely to be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) to (c). Hindi version of the English Quarterly 'Bhagirath' is being brought out from October, 1972. Due to initial difficulties the first two issues have been somewhat delayed.

(d) There is no such proposal under consideration.

Funds for Implementation of Rural Electrification Schemes in Bihar.

5767. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the amount of funds granted by the Centre for the implementation of Rural Electrification schemes in Bihar so far; and

(b) the amount of money likely to be made available during the current year ?

The Deputy Minister in the M.nistry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b). The programmes of Rural Electrification are financds from the State Plan Outlays. Additional finances to State Electricity Boared for implementation of their rural electrification schemes are provided through the Rural Electrification Corporation which has been set up in the Central Sector since July, 1969. By the end of March, 1973, the Corporation has sanctioned 30 schemes of Bihar State Electricity Board involving loan assistance of Rs. 1,731.36 lakhs for the electrifiation of 3,545 villages, energisation of 43,422 pump sets and power supply to 6,887 small scale and agro industries.

The loan assis.ance during the current year will depend upon the numb:r of schemes sponsored by the Bihar State Electricity Board and approded by the Rural Electrification Corporation in accordance with the criteria prescribed by them.

Project Allowance to Railway Employees of Farakka, Khajuriyaghat and Korapet-Bastar Projects.

5768. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a joint tribunal under the chairmanship of Shri K. N. Wanchoo was appointed by Government to give decision in regard to project allowance to the Railway employees working near Farakka, Khajuriyaghat projects and Korapet-Bastar project; and

(b) whether according to the decision given by Shri Wanchoo about four thousand Railway employees in the aforesaid places were given project allowance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) About 2,743 employees working in Farakka Barrage Project Area were granted Project Allowance. No such allowance has been granted to railway staff working in the Korapet and Bastar Districts in D.B.K. Project area as none of them are actually employed on the work directly connected with the Project.

Supply of Uniforms to Employees of North Eastern Railway.

5769. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the reasons for which thousands of Railway employees on North Eastern Railway have not so far been supplied with uniforms for the year 1972;

(b) whether a cut in the uniform head was imposed during Indo-Chinese war of 1962 and it is still continuing and has not been reviewed so far; and

(c) whether Government propose to take any fresh decision in this regard and if so, by what time, and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Summer garments for 1972 have been supplied in full. Regarding winter 1972-73 garments, the delay in supply is on account of (i) non-adherence of the delivery schedule for supply of over-coats by Government Ordnance Factory Shahjahanpur, due to power cut imposed by U.P. Govt. (ii) non-supply of woollen jerseys by suppliers against DGS&D rate contract.

Continuous chasing is, however, being done and a substantial quantity of the outstanding garments is likely be supplied shortly. No cut in uniforms was imposed during the Indo-Chinese war of 1962.

(b) & (c). As a measure of economy however, certain instructions were issued in 1966, which are still in force. The entire question of supply of uniforms to various categories of railway staff is being reviewed on the basis of the recommendations of the Uniforms Committee.

विभिन्न नदियों के जल के बटवारे के संबंध में समिति का गठन

5770. **श्री डी० वी० चद्रगौड़ा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में एक स्थायी समिति गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : देश के जल-संसाधनों के इस्तेमाल और भविष्य में बृहत् समुपयोजन के कार्यक्रमों में वृद्धि के परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तथा नदी बेसिन आयोग गठित करने की आवश्यकता मान ली गई है ताकि जल की आवश्यकताओं के संतत मूल्य निर्धारण और समस्त देश के हित में विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध जल के अत्यधिक लाभकारी तथा समान आबंटन को सुनिश्चित किया जा सके।

पहले पक्ष के रूप में यह आवश्यक होगा कि संविधान के कुछ उपबन्धों में संशोधन किया जाए ताकि जल को धारणा का राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में पता चल सके और समझौते, बात-चीत तथा अन्य प्रकार से अन्तर्राज्यीय नदी विवादों के निर्णय की व्यवस्था की जा सके। इन मामलों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं।

केरल में थान्नीरमुकोम बांध तथा थोट्टापल्ली 'स्पिलवे' का निर्माण

5771. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अलेप्पी जिले में थान्नीरमुकोम बांध और थोट्टापल्ली "स्पिल वे" का निर्माणकार्य किस अवस्था पर है ?

(ख) योजना के प्रारम्भ के समय इस पर कितने व्यय का अनुमान था और इसे पूरा करने के लिए अब कितने व्यय का अनुमान है ;

(ग) इस योजना के कौन-कौन से कार्य अब तक पूरे किए जा चुके हैं और इस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). थान्नीरमुकोम परियोजना को 3 चरणों में पूर्ण करने की योजना बनाई गई है, प्रत्येक चरण में बांध की कुल लम्बाई का एक तिहाई भाग पूरा करना सम्मिलित है। युग्म पाश सहित प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की लागत मूलत: 1.50 करोड़ रुपये थी। अब यह लगभग 4.4 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। अब तक इस परियोजना पर लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) विलम्ब का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा धन की अपर्याप्त व्यवस्था है ; इसके लिए जिम्मेदार अन्य तथ्य हैं, ठेकेदारों द्वारा चूक, अनापेक्षित तकनीकी समस्याएं और ड्रैजरों इत्यादि जैसे विशेष उपस्करों का अभाव।

थान्नीमुकोम परियोजना, केरल के निर्माण से प्राप्त लाभ

5772. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलेप्पी, केरल में थान्नीरमुकोम परियोजना और थोटापल्ली स्पिलवे के निर्माण द्वारा क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) इस योजना से अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग): थानीरमुकोम पर क्षारीय-जल बोध का उद्देश्य क्षारीय जल का प्रवेश रोकना है ताकि एक-फसली धान-भूमि को सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा दूसरी फसल बोई जा सके और इससे 41,000 टन अधिक चावल का उत्पादन होने की प्रत्याशा है। यह आशा की जाती है कि यह रोध दिसम्बर, 1974 में चालू कर दिया जाएगा जब इससे लाभ प्राप्त होने प्रारम्भ हो जायेंगे। यह रोध कुट्टानद विकास स्कीम के लिये अनिवार्य हैं जो कि 51,000 हैक्टेयर धान-भूमि में खेती करने के लिए एक वृहत् भू-सुधार स्कीम है और इससे धान के उत्पादन में 14,100 टन की वृद्धि होगी।

थोट्टापल्ली स्पिलवे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान दिसम्बर, 1954 में पूर्ण हो गया था। यह स्पिलवे वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ जल को बाहर जाने देने के लिए तथा सागर से क्षारीय जल का प्रवेश रोकने के लिए है और यह अल्लेप्पी जिले में कुट्टानद क्षेत्र में बाढ़ द्वारा विनाश को कम करने के लिए प्रभावकारी रहा है।

त्रिवेन्द्रम में जनरल स्टोर्ज डिपो एवं स्क्रेप शाप की स्थापना

5773. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में ब्राड गेज फ़ीडिंग सेन्टर द्वारा, नीचे दक्षिण में रेलवे की आवश्यकताओं का पूरा किया जाना भी अपेक्षित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण में स्टोर्ज डिपुओं को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम में एक जनरल स्टोर्स डिपो एवं स्क्रेप शाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) मद्रास में स्थित बड़े आमान की फीडिंग डिपों दक्षिण में कोच्चिन हार्बर टर्मिनस तक बड़ी लाइन के क्षेत्र में रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। तिरुवन्नतपुरम जैसे मीटर गेज लाइन क्षेत्र की आवश्यकताएं नागपट्टणम और गोल्डन राक डिपुओं से पूरी होती हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था सन्तोषप्रद समझी जाती है।

केरल में तलीचरी स्टेशन तथा टैम्पल गेट में रेलवे के उपरी पुलों का निर्माण

5774. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेलिचेरी टैम्पल गेट के रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे के उपरी पुलों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी करेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) इन दोनों निर्माण कार्यों के लिए योजनाओं और अनुमानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इस समय ये काम राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए पड़े हुए हैं, जो इन्हें प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी हैं। पुल वाला भाग रेलवे द्वारा बनाया जायेगा जबकि पहुंचमार्ग राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे। जैसे ही राज्य सरकार अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार हो जायेगी इन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत की मंजूरी दे दी जायेगी और काम शुरु कर दिया जायेगा ताकि पुल वाला भाग और पहुंचमार्ग लगभग एक साथ ही बनकर तयार हो जायें।

केरल में उपरी पुलों का निर्माण

5775. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1971–72 और 1972–73 के दौरान कितने उपरी-पुलों का निर्माण किया गया ; और

(ख) 1973–74 के दौरान और कितने उपरी-पुल बनाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1971–72 एक

1972–73 दो

(ख) राज्य सरकार की सलाह से कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो जांच पड़ताल योजनाओं और अनुमानों को तैयार करने की विभिन्न अवस्थाओं में है। 1973–74 के दौरान कोई ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में नई रलवे लाइनें

5776. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तरी राज्यों में किन-किन नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण हो रहा है अथवा पूरा हो गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : रेलवे सांख्यिकी सम्बन्धी सूचना का संकलन राज्य-वार अथवा क्षेत्रवार न करके रेलवे-वार किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य मध्य, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व और पश्चिम रेलों द्वारा संवित है। इन रेलों पर नयी लाइनों के लिए जो सर्वेक्षण पहले किये जा चुके हैं. उनके सम्बन्ध में क्रमशः हर वर्ष के लिए विवरण भारतीय रेलों पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अध्याय 4– नये निर्माण और इंजीनियरी सम्बन्धी काम—में दिये गये हैं। वर्ष 1971–72 तक की रिपोर्टों की प्रतिमा संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

उपर्युक्त राज्यों में 1972–73 के दौरान जिन नयी लाइनों के सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी थी, वे इस प्रकार हैं—

(1) जगाधरी–चण्डीगढ़–लुधियाना सम्पर्क — (सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट संकलित की जा रही है)

(2) शाहदरा-सहारनपुर–अलग बड़ी लाइन
(3) झांजहारपुर–लौकहा बाजार सम्पर्क
(4) ढल्ली–राजहरा–जगदलपुर सम्पर्क
— सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(5) हसनपुर सकरी सम्पर्क
(6) सतना–रीवां–बियोहारी सम्पर्क
— सर्वेक्षण हो रहा है।

मीठापुर परियोजना के लिये मंजूरी देने में विलम्ब के पशिणामास्वरूप हुई हानि

5777. **चौधरी राम प्रकाश**: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मीठापुर परियोजना के लिए मंजूरी देने में विलम्ब के परिणाम-स्वरूप देश को उर्वरकों के आयात पर 25 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख): इस परियोजना के एक आशय पत्र को जारी करके अनुमति दी गई थी किन्तु आशय पत्र में निहित कई आवश्यक शर्तों के कंपनी द्वारा पूर्ति के निलम्बन रहने तक इस आशय पत्र को एक औद्योगिक लाइसेंस में अभी नहीं बदला गया है। जब यह संयंत्र पूर्ण निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करेगा तब प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है।

कोचीन और बरौनी उर्वरक परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब

5778. **श्री आर० पी० उलगनबी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रभाल के अन्तर्गत कोचीन और बरौनी उर्वरक परियोजनाओं के पूरा होने और चालू किये जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख): कोचीन प्रायोजना के निर्माण में देर मुख्यत– देशीय उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब के कारण था। प्रायोजना का निर्माण पूर्ण हो गया है और परीक्षण उत्पादन जारी हैं । तो भी, चालू होने में विलम्ब परीक्षण उत्पादन के दौरान आई कठिनाईयों के कारण भी है । जहां तक बारौनी उर्वरक प्रायोजना का सम्मबन्ध है, पूर्ण करने के कार्यक्रम में विलम्ब के मुख्यतः कारण हैं :–

(i) स्थल के निर्माण कार्य और देशीय उपकरण के लिए इस्पात की अनुपलब्धि ;

(ii) स्टैनलैस स्टील जैसे आयातित कच्चे मालों की प्राप्ति में विलम्ब ;

(iii) देशीय उपकरण का विलम्ब से प्रेषण ;

(iv) देशीय पार्टियों द्वारा सप्लाई और निर्माण सम्बन्धी ठेके के पूरा किये जाने में विलम्ब ।

उपकरण के भारी वस्तुओं के परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों और श्रमिक समस्याओं के कारण भी विलम्ब हुआ है । आने वाली विभिन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिये प्रायोजनाओं को सभी सम्भव सहायता दी गई थी और दी जा रही है ।

विदशों से अशोधित तेल का आयात

5779. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किन किन देशों से अशोधित तेल आयात किया गया ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उन देशों के नाम जहां से कच्चे तेल का आयात किया गया था ।
1970	इराक, साऊदी अरब और कुवैत
1971	ईरान और सऊदी अरब
1972	ईरान, साऊदी अरब और ईराक

रेलवे द्वारा कर्मचारियों पर गबन के लिये मुकद्दमे चलाया जाना

5780. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1969 और 1972 के दौरान 10,000 रुपये से अधिक की धोखेबाजी और गबन किये जाने पर रेलवे द्वारा कितने मुकद्दमे चलाये गये ;

(ख) कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ; और

(ग) रेलवे के कर्मचारियों द्वारा ऐसी धोखेबाजी और गबन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) धोखाधड़ी और गबन की शिकायतों की जांच पड़ताल करने के अलावा, इस प्रकार के कदाचार का पता लगाने के उद्देश्य से रेलें निवारक जांच और नियमित निरीक्षणों की भी व्यवस्था करती है । पता लगाने के बाद प्रत्येक मामले की जांच पड़ताल की जाती है ताकि यह ज्ञात हो सके कि प्रचलित कार्यविधि में कोई कमी तो नहीं है और नियमों तथा आदेशों का पालन किन क्षेत्रों में नहीं किया जाता ।

चीनी, गुड़, चाय वस्त्रों और मशीनों की हानि, क्षति, चोरी और उठाईगीरी के लिये मुआवजा

5781. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से वर्ष प्रति वर्ष चीनी, गुड़, चाय, वस्त्रों और मशीनों की हानि, क्षति, चोरी और उठाईगिरी के लिए कितना मुआवजा अदा किया गया ; और

(ख) इस अवधि में कितने मुकद्मे दायर किये गये और रेलवे की अभिरक्षा में माल की हानि क्षति, चोरी और उठाई गिरी के सम्बन्ध में कितने अपराधियों को सजा दी गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) चीनी, गुड़, चाय और वस्त्रों के खो जाने, चोरी हो जाने, उठाईगीरी, क्षतिग्रस्त हो जाने, आदि के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि दी गई, वह संलग्न विवरण में दिखायी गयी है । "मशीनों" के मद में दावों के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ;

(ख) रेलों की अभिरक्षा में रखे गये माल के खो जाने, क्षतिग्रस्त अथवा चोरी हो जाने और उसकी उठाई गीरी के सिलसिले में 1970 के बाद से जितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और जितने व्यक्तियों का अपराध सिद्ध हो गया, उनकी संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	जितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया	जितने व्यक्तियों पर अपराध सिद्ध हो गया
1970	3961	1567
1971	3947	1328
1972	3714	1012

विवरण

माल के खो जाने, चोरी हो जाने, उठाईगीरी, क्षतिग्रस्त हो जाने आदि के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई रकम

वस्तुएं	1969–70 (लाख रुपयों में)	1970–71 (लाख रुपयों में)	1971–72 (लाख रुपयों में)
चीनी	95.66	105.64	96.72
गुड़	7.44	5.27	4.38
चाय	41.50	40.32	47.53
वस्त्र	15.54	65.75	71.02

बिजली घरों को कम कोयला पहुंचाया जाना

5781. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** :
श्री ई० बी० विख पाटिल : } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72 और 1972–73 में रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई में कमी हुई है ;

(ख) यह कमी किस सीमा तक हुई और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विभिन्न तापीय बिजली घरों को कोयला पहुंचने में भी कोई कमी हुई है ; यदि हां, तो वह कितनी है ; और

(घ) क्या रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1970–71 की तुलना में 1971–72 और 1972–73 के वर्षों में रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई में कोई कमी नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के केवल पहले वर्ष में ही रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई आशा के अनुकूल हुई थी ।

राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद्
(नेशनल रेलवे यूजर्स कंसलटटिव काउंसिल)

5783. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद के पुनर्गठन के समय, जोनल रेलवे--प्रयोक्ता परामर्श-दात्री समितियों की सदस्यता का प्रावधान हाल ही में समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस कार्यवाही में विभिन्न रेलवे जोनों की प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां अपनी कठिनाइयां बताने और राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद को सुझाव देने से वंचित हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद रेलों द्वारा जुटायी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित व्यापक नीति विषयक मामलों पर विचार करती है । क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय में काम करती है और क्षेत्रों से सम्बन्धित स्थानीय मामलों पर विचार करती हैं । क्षेत्रीय समिति की बैठक में दिये जाने वाले वे सुझाव जो क्षेत्रीय रेलों के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते, विचारार्थ रेल मंत्रालय को भेजे जाते हैं ।

जामनगर और मोरवी-मालिया (पश्चिम रेलवे) के बीच रेल सम्पर्क

5784. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में जामनगर और मौरवी मालिया के रेलवे द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात से सौराष्ट्र क्षेत्र से नमक ढ़ोने के लिये वैगन

5785. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करगें कि ;

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, जिलावार प्रत्येक वर्ष में नमक ढोन के लिये कितने वैगनों की मांग थी ; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्र को कितने वगन सप्लाई किये गये ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) : रेलवे द्वारा लदान के आंकड़े सिविल जिलावार नहीं रखे जाते । सौराष्ट्र क्षेत्र अधिकतर पश्चिम रेलवे के भावनगर और राजकोट मण्डलों द्वारा सेबित होता है और पिछले तीन वर्षों में इन दो मण्डलों से जितने माल डिब्बों की मांग की गयी और जितना माल डिब्बों में नमक लदा गया उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

नमक की कोटि	1970		1971		1972	
	प्रस्तुत की गयी मांगों की संख्या	लादे गये माल डिब्बों की संख्या	प्रस्तुत की गयी मांगो की संख्या	लादे गये माल डिब्बों की संख्या	प्रस्तुत की गयी मांगों की संख्या	लादे गये माल डिब्बों की संख्या
कार्यक्रम बद्ध नमक	14977	14163	18645	14626	24869	18655
औद्योगिक नमक	7035	6093	10562	8998	3414	2538
गैर कार्यक्रमबद्ध नमक	21383	16810	32157	13706	30003	10243

बड़े संचलान केन्द्रों (ओपरेशनल सेन्टर्स) को समेकित संचार व्यवस्था से मिलाना

5786. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने दिल्ली-मुगलसराय सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) व्यवस्था का उद्घाटन करते हुए दिल्ली में कहा था कि भारतीय रेलव के सभी बड़े संचालन कन्द्रों को 1976 तक समेकित संचार व्यवस्था से मिला दिया जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों को कुशलतापूर्वक चलाने में इसके क्या लाभ हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :

(क) जी हां ।

(ख) संचार की संघटित माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा वर्तमान खुले तार नियंत्रण संचार की रेडीयो पैंचिंग के साथ-साथ लोको शैड, यार्ड, अदला-बदली स्थल, नियंत्रण कार्यालय, मण्डल तथा प्रधान कार्यालय जैसे रेल परिचालन के महत्वपूर्ण केन्द्रो के बीच "मांग पर" विश्वस्त संचार की व्यवस्था हो जायेगी । इससे रेल संचालन का समुचित नियंत्रण, समन्वय और कुशल परिचालन हो सकेगा ।

Agreement between India and Pakistan for Exploration of Oil

5787. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there is an agreement between India and Pakistan for the exploration of oil at various places in India and in the sea;

(b) if so, the names of the places where oil exploration work has been undertaken so far under the said agreement; and

(c) the extent to which India is to be benefited under the agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

New Railway Line between Dahapuroad and Dohad

5789. **Shri Amar Singh Chaudhari** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to lay Railway line between Dahapuroad and Dohad; and

(b) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways(Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Transfer of Firemen on Railways

5790. Shri Amar Singh Chaudhari : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the rules regarding transfer of Firemen in Railways;

(b) whether there are separate rules for seprate Zones; and

(c) whether there are reserved posts for Scheduled Tribes and the manner in which these posts are filled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) & (b) . On Railways transfers of non-gazetted railway servants, including Firemen, are ordinarily made only within their respective seniority units.

(c) Yes. In regard to Firemen 'A', 75% of vacancies are filled by direct recruitment. The prescribed percentage of reserved vacancies is allotted to Scheduled Tribes in this direct recruitment quota. In the case of Firemen 'B' and Firemen 'C' which posts are filled by promotion, here also the prescribed percentage of reserved vacancies is allotted to Scheduled Tribes.

तृतीय श्रणी के प्रत्येक यात्री को बैठने के लिये स्थान देना

5791. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की कोई ऐसी योजना है जिस के अनुसार तृतीय श्रेणी के प्रत्येक यात्री के लिए जब वह किसी भी गाड़ी द्वारा यात्रा करने के लिए टिकट खरीदे तो कम से कम बैठने का स्थान सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ख) तृतीय श्रेणी के डिब्बों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए उनके मंत्रालय की क्या क्या योजनायें हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं, फिर भी, जैसा कि 20 फरवरी, 1973 के बजट भाषण के पैरा 29 में कहा गया है, चुनी हुई सुपर तेज ऐक्सप्रैस गाड़ियों में सारी जगह आरक्षित होगी और इसलिए इन गाड़ियों में प्रत्येक यात्री को निश्चित रुप से जगह मिलेगी ।

(ख) तीसरे दर्जे में, भीड़-भाड़ की सीमा का अन्दाज लगाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार यात्री गणना की जाती है । रेलों द्वारा किये गये इन अध्ययनों के आधार पर, चल स्टाक, खण्डीय और टर्मिनल क्षमता आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त गाड़ियां चलान, मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने तथा गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं ।

अप्रैल से नवम्बर, 1972 तक की ,अवधि के दौरान 136 गाड़ियां चलायी गयीं या उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया जिसके फलस्वरुप दैनिक गाड़ी किलोमीटर में 7398 किलोमीटर की वृद्धि हुई । साथ ही 338 गाड़ियों में 521 सवारी डिब्बे लगाकर उनके डिब्बों की संख्या बढ़ायी गयी ।

यह विनिश्चय किया गया है कि दूसरे दर्जे के वर्तमान सवारी डिब्बों/कक्षों को तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों/कक्षों में बदल दिया जाये । इससे भी तीसरे दर्जे में भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी ।

क्षेत्रीय समितियों के कार्य में सुधार

5792. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों की अधिक उचित मांगों को भी रेलवे प्रशासन द्वारा अस्वीकार करने अथवा उस पर ध्यान न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्षेत्रीय समितियों की बैठकों में हुए विचार-विमर्श से रेलवे को क्या लाभ मिलता है जबकि उनकी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक मांगों का रेलवे प्रशासन के लिए कोई अर्थ नहीं है ; और

(ग) क्या ऐसी समितियों के कार्य में कोई सुधार किया जायेगा ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) : रेल प्रशासन क्षत्रीय उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के सदस्यों से प्राप्त सुझावों एवं सलाह का पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं और जहां तक व्यावहारिक होता है, उन्हें अपना लिया जाता है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं।

(ग) स्थानीय उपयोगकर्ताओं के हितों को और अधिक नजदीक से स्वयं जानने के उद्देश्य से रेल मंत्री ने यह विनिश्यच किया है कि वह हर क्षेत्र में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की एक बैठक में स्वयं उपस्थित रहेंगे। इससे इन समितियों के कार्य कलाप में एक नयी स्फूर्ति आयगी और उपयोग कर्ताओं की बहुत सी स्थानीय समस्याओं के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी।

इंधन तेल पर आधारित प्रथम उर्वरक कारखाना चालू किया

5793. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन तेल पर आधारित भारत के प्रथम उर्वरक कारखाने का निर्माण शुरू हो गया है ; और

(ख) यह कारखाना कब तक चालू हो जायेगा ?

पट्रोलियाम और रसायन मंत्रालय में उप मत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस परियोना के जनवरी, 1976 तक मुकम्मल तथा चालू हो जाने की आशा है। वाणिज्यिक उत्पादन के इस के छह महीनों के बाद, आयात जुलाई, 1976, तक स्थापित किये जाने की आशा है।

उड़ीसा में 'इंडियन मेटल्ज एण्ड फेरो एलायज लिमिटड' द्वारा शेयरों की खरीद

5794. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरापुट (उड़ीसा) में थिरूवेल्ली स्थित 'फेरोसिल्कोन संयंत्र चलाने वाली उड़ीसा की भुवनेश्वर स्थित 'इंडियन मेटल्ज एण्ड फेरो एलाइज लिमिटेड' ने उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम के शेयर खरीदे थे ;

(ख) यदि हां तो कब और इस खरीद में कितनी राशि लगेगी ; और

(ग) क्या इसने इस कार्य के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से अनुमति ली थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

(क) से (ग) : सूचना संग्रहीत की जा रही है और वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

रूस से मिट्टी के तेल का आयात

5795. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6.5 लाख टन मिट्टी के तेल का आयात करने के लिए रूस के साथ करार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने रूसी सरकार के साथ 1971 से 1975 तक की अवधि के लिए एक दीर्घावधि व्यापार समझौता किया है। इस समझौते में अन्य मदों के प्रतिरिक्त, प्रतिवर्ष बढ़िया मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के आयात की व्यवस्था है। चालु वर्ष अर्थात 1973 के लिए व्यापार योजना (ट्रेड प्लान) व्यवस्था में 5.00 लाख मीटरी टन मिट्टी का तेल एवं 1.0 लाख मीटरी टन हाई स्पीड डीजल तेल का आयात सम्मिलित है। इस व्यवस्था के अनुसार भारतीय तेल निगम ने 1973 के दौरान 5.50 लाख टन मीटरी बढ़िया मिट्टी के तेल के आयात के लिए बातचीत की है। भारतीय तेल निगम इस संबंध में शीघ्र ही रूस के सप्लायर्स मैसर्स सोजुजनेफेट एक्सपोर्ट के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर करेगा। 5.50 लाख मीटरी टन मिट्टी के तेल की यह 0.80 मात्रा लाख मीटरी टन मिट्टी के तेल की मात्रा जो वर्ष 1972 के लिए हस्ताक्षर किये गये ठेके के अन्तर्गत चालू वर्ष में सप्लाई की जा रही है ; से अतिरिक्त है।

उपर्युक्त सप्लाई रुपया मुद्रा में की जायेगी।

मध्य प्रदेश के साथ सोन नदी जल विवाद के मामले में प्रधान मंत्री की मध्यस्तता

5796. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के साथ सोन नदी जल विवाद पर प्रधान मंत्री को मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क) कोश लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्राम्बे के उर्वरक संयंत्र में उत्पादन का कम होना

5797. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में बाधा पड़ने से ट्राम्बे के उर्वरक संयंत्र में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली मेरठ रेलवे लाइन पर बहुद्देश्यीय सिगनल प्रणाली

5798. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे नें दिल्ली-मेरठ रेलवे लाइन पर रंग बिरंगी बत्तियों द्वारा बहुद्देशीय सिगनल प्रणाली को शुरु किया है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के कार्यकरण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) यह नई प्रणाली पिछली प्रणाली से किस प्रकार श्रेष्ठ है ; और

(घ) क्या देश के अन्य रेलवे लाइनों में इसी प्रणाली को अपनाया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां. उत्तर रेलवे के दिल्ली-मेरठ सिटी खण्ड पर सिवाय गाजियाबाद के जहां यह काम प्रगति पर है, बहुसंकेती रंगीन रोशनीवाले सिगनलों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) और (ग) : रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की दृष्यता अच्छी होती है और ये दिन में तथा रात में समान रूप से संकेत देते हैं । बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाली सिगनल प्रणाली में ड्राइवर को खतरे के सिगनल पर पहुंचने से पहले समय पर चेतावनी मिल जाती है । ड्राइवर को इस बात का संकेत भी मिल जाता है कि आगे का सिगनल क्या संकेत दे रहा है जिससें वह अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है ।

(घ) जब और जैसे ही वर्तमान सिगनलों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर सभी रेलों के ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइनों-दोनों पर बहुसंकेती सिगनलों की व्यवस्था की जा रही है । सभी नये बिजलीकृत खंडो पर भी बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था की जा रही है ।

विदेशी फामस्यूटिकल कम्पनियों के कार्य-संचालन को नियमित करना

5800. **श्री वयालार रवि :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस सरकार का विचार विदेशी फामस्यूटिकल कम्पनियों के कार्य-संचालन को नियमित करना है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण किया है और इस पुनरीक्षण के परिणाम-स्वरूप अब औषधि एवं भेषज उद्योग को उन उद्योगों की, जिन में विदेशी उद्यम तथा विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां एवं उनकी शाखाएं साझेदारी के पात्र हैं ; सूची में शामिल किया गया है । उनके निवेश प्रार्थना-पत्रों पर विदेशी साम्य (पूंजी) के तनूकरण पर गाइडलाइन के अनुसार विचार किया जायेगा तथा उन पर प्रौद्योगकीय पहलुओं, निर्यात सम्भावनाओं आदि के संदर्भ में जांच भी की जायेगी। यह सुनिश्चित करने के विचार से, कि प्रधान संगठनों सहित विदेशी कम्पनियों से ऐसी दवाइयों को अधिक मूल्यों पर न खरीदा जाए; औषधियों एवं भेषजों के आयातों को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सारणीकरण द्वारा एक वर्धमान पैमाने पर विनियमित किया जा रहा है । छोटी कम्पनियों को जिनकी एक करोड़ रूपये से कम बिक्री है बड़े यूनिटों की तुलना में अधिक मात्रा में कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई है । यह पद्धति लघु उद्योगों के निर्माण में सहायता करेगी । सूत्रयोगों (फारमूलेशन) संक्रियाओं के लिए औद्योगिक लाइसैन्सो की स्वीकृति हेतु विदेशी कम्पनियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का सामान्यतः अनुमोदन नहीं किया जायेगा जब तक वे प्रपुन्ज औषधियों के उत्पादन के प्रस्तावों के साथ संयोजित न हों। वे नान-एसोशियेटेड फारमुलेटर्स को अपने प्रपुन्ज औषधि उत्पादन के पर्याप्त अंश की सप्लाई के लिए सामान्यतः बाध्य है ; जिसक भारतीय औषधि क्षेत्र के विकास में सहायता करने की आशा है ।

वर्ष 1972-73 में अशोधित तेल का आयात और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को इसका वितरण

5801. **श्री वयालार रवि :**
श्री गदाधर साहा : } क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में देश में कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया गया और आयात का देशवार ब्यौरा क्या है :

(ख) अशोधित तेल के कुल आयात में प्रत्येक गैर सरकारी तेल कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की ऐजेंसियों का कितना भाग है और आयातित अशोधित तेल के लिए सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों और गैर सरकारी कम्पनियों ने कितना मूल्य दिया है ; और

(ग) क्या इन मूल्यों के कोई अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1972 के लिए सूचना इस प्रकार है :–

देश का नाम	कच्चे तेल की आयातित मात्रा (लगभग) (मिलियन मीटरी टनों में)
ईरान	9.654
साऊदी अरब	2.510
ईराक	0.146
कुल	12.310

(ख) और (ग) : 12.31 मिलियन मीटरी टनों में से 7.237 मिलियन मीटरी टन गैर सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा तथा 5.073 मिलियन मीटरी टन सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा आयात किया गया था। आयात के इन आंकड़ों के देशवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

गैर सरकारी तेल कम्पनियां	मिलियन मीटरी टनों में
1. बर्मा शैल	3.575
2. एस्सो	2.510
3. कालटैक्स	1.152
	7.237

सरकारी क्षेत्र	
1. मद्रास रिफाइनरीज	2.365
2. कोचीन रिफाइनरीज	2.605
3. इंडियन आयल कारपोरेशन	0.105
	5.073

कच्चे तेल के आयात के लिए कम्पनियों द्वारा इस समय मांगी जा रही कीमतें इस प्रकार हैं :–

गैर सरकारी तेल कम्पनियां	
1. बर्मा शैल	2.250/बी बी एल
2. एस्सो	2.087/बी बी एल
3. कालटैक्स	2.250/बी बी एल

सरकारी क्षेत्र		
1. मद्रास रिफाइनरीज	1.92	बी बी एल (प्रदायकों ने जनवरी 73 से 221/बी०बी०एल के हिसाब से मांगी है।)
2. कोचीन रिफाइनरीज		2.01515/बी बी एल
3. इंडियन आयल कारपोरेशन		इस कीमत को बताना भारतीय तेल निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

कच्चे तेल की किस्म विशिष्टियां, संसाधन तथा आयात की शर्तें प्रत्येक कम्पनी के बारे में भिन्न भिन्न हैं, उनके द्वारा मांगी गई कीमतें तुलनात्मक नहीं हैं।

गुजरात में तेल-कूपों पर 40 करोड़ रुपए की कथित बरबादी

5802. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान बम्बई से प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक दिनांक 27 फरवरी, 1973 के "बिल्ट्ज" में "ओ० एन० जी० सी० वैस्ट्स रुपीज कोर्स 40 क्रोर्ज आन डड वेलस (तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 40 करोड़ रुपये ानरर्थक तेल कूपों पर बरबाद किये)" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तेल एवं प्रकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन की विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये कहा गया है ।

हावड़ा-आमता और हावड़ा-शोआलखाला लाइट रेलवे के पुनर्वास कार्य के लिये पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अधिकारियों की समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना

5803. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-आमता और हावड़ा–शीआलखाला लाइट रेलवे की ट्रैक, वर्कशाप, उपकरण और अन्य आस्तियों की जांच करने और पुनर्वास कार्य के लिये की जाने वाली कार्यवाही को बताने के लिये इन० एन० सी० (ट्रैक) की अध्यक्षता में 17 जुलाई , 1972 को एक समिति नियुक्ति की गई थी जिस की इंजीनियरिंग, मैकैनिकल और सगनल शाखाओं से सम्बन्धित प्रभागीय अधिकारियों और पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के प्रभागीय लेखाधिकारी ने सहायता की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) 17–7–72 के रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुपालन में पूर्व रेलवे ने यह सर्वेक्षण समिति नियुक्त की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) (i) चल स्टाक में से फिश प्लेटें, स्लीपर, पटरियों और फिटिंग के बहुमूल्य सामान गायब हैं ;

(ii) रेल पथ पर दुकानें, बाजार और कोयले के डिपो बन गये हैं ।

(iii) इन दो लाइट रेलों की परिसम्पत्तियों के पुन:स्थापन में लगभग 82 लाख रुपये खर्च होंगे ।

(iv) इन दो लाइट रेलों को फिर से चालू करने में लगभग 53 सप्ताह लगेंगे ।

(घ) विशुद्धत: विभागीय सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के संबंध में ऐसा करना आवश्यक नहीं था ।

बिजली परामर्शदात्री से वाग्रों के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार

5804. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त और सिद्धहस्त विशेषज्ञ/अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता के बावजूद बिजली परामर्शदात्री सेवाओं के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का पूरी तरह से एकाधिकार बना हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस गैर-सरकारी एकाधिकार को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करना है ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : जी, नहीं। जल-विद्युत परियोजनाओं के मामले में अभिकल्प और इंजीनियरी के लिए परामर्श-कार्य का एक बड़ा भाग केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन अभिकल्प संस्थानों द्वारा किया जाता है। ताप-विद्युत परियोजनाओं के मामले में, मुख्य रूप से तीन प्रतिष्ठित स्वतंत्र परामर्शदाता संगठन हैं, जिनमें से दो निजी क्षेत्र में तथा एक सरकारी क्षेत्र में है। सरकारी क्षेत्र में ताप-क्षेत्र में परामर्शदाता सेवाओं का आवर्धन करने के लिये और प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

बिजली योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध करना

5805. **श्री राम भगत पस्वान** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : } क्या **सचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बिजली योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध नहीं करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) : एक सतत प्रक्रिया होने के कारण विद्युत विकास के लिए दीर्घकालिक आयोजन अपेक्षित है। अतः विद्युत विकास के लिए दीर्घकालिक संदर्शी योजना बनाना आवश्यक है। दीर्घकालिक संदर्शी योजना के साथ वार्षिक और पंचवर्षीय विद्युत योजनाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए ।

इलाहाबाद के लोको शैड के फिटरों द्वारा अभ्यावेदन दिया जाना

5806. **डा० लक्ष्मीनारायण पंडिय** : क्या रेल मंत्री इलाहाबाद के लोको शैड के फिटरों द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5,032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी और सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

प्रश्न संख्या, तारीख और हवाला	विषय		टिप्पणी
	पूछा गया था कि :		
19 दिसम्बर, 1972 को श्री जगन्नाथ राव जोशी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न 5032	(क) क्या 1968--71 की अवधि में वरिष्ठता, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतनमान आदि के बारे में इलाहाबाद लोको शैड के कुछ ऐसे फिटरों की ओर से रेलवे अधिकारियों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिन्हें वर्ष 1947 में गलती से सेवा से निकाल दिया गया था तथा जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1964 में उन्हें सेवा से निकाले जाने के आदेशों को अवैध करार दिये जाने के बाद पुन: सेवा में ले लिया गया था ; और	(क) जी हां, केवल एक अभ्यावेदन मिला था।	
	(ख) यदि हां तो प्रत्येक अभ्यावेदन की तिथि क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में क्या क्या बातें उठाई गई हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?	(ख) इस अभ्यावेदन पर 12-8-1969 की तारीख पड़ी है। इसमें कर्मचारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उसको सेवा में फिर से लिए जाने पर प्रोफार्मा पदोन्नति देने तथा वेतन निश्चित करने का अनुरोध किया है।	

Compensation for Loss of Life and Property in Railway Accidents

5807. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether decision regarding grant of compensation for the loss of life and property sustained as a result of Railway accidents is taken by Government; and

(b) if so, the basis thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No decision to grant compensation on a basis different from the existing laws has been taken by Government.

(b) Does not arise.

शोरानूर निलम्बूर रेलवे लाइन का कालीकट तक बढ़ाया जाना

5809. **श्री सी० एच० मोहम्मद कौया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शौरानूर-निलम्बूर रेलवे लाइन को लाभप्रद बनाने के लिये इसको कालीकट तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव की संभावना की जांच करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) कठिन वित्तीय स्थिति और यातायात की स्वल्प संभावना को देखते हुए फिलहाल इस लाइन के निर्माण के संबंध में विचार करना कठिन होगा।

मलेशिया से विद्युत संयत्रों के लिए उपकरणों की सप्लाई

5811. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन विद्युत संयंत्रों के लिये उपकरणों की सप्लाई हेतु मलेशिया सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड को 1971 में मलेशिया के राष्ट्रीय विद्युत बोर्ड से मलेशिया में पोर्ट डिक्सन के स्थान पर, 38,007,052 मलेशियन डालर (9.31 करोड़ रुपये) की लागत पर टुआन्कुजा अफार विद्युत केन्द्र के लिए 120 मैगावाट क्षमता के तीन तेल द्वारा प्रज्वलित (बायलरों) के अभिकल्पन, विनिर्माण, स्थापना तथा उन्हें चालू करने का आर्डर प्राप्त हुआ है। पहले बायलर को आर्डर की तिथि से 30 माह के अन्दर स्थल पर स्थापित किया जाना तथा चालू किया जाना है और इसके पश्चात् दूसरे बायलर के 38 माह के अन्दर तथा सम्पूर्ण कार्य को 62 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड को जनवरी, 1970 में मलेशिया के राष्ट्रीय विद्युत बोर्ड से 5,50,000 पौंड/घंटे क्षमता के दो बायलरों की सप्लाई स्थापना तथा उन्हें चालू करने का आर्डर प्राप्त हुआ है। इन बायलरों का मलेशिया में उनके स्थलों पर स्थापना का कार्य पहले ही विभिन्न चरणों में है।

नई दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त पार्सल क्लर्कों का कालका स्टेशन को स्थानांतरण रद्द करना

5812. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर कार्य कर रहे कुछ पार्सल क्लर्कों को दुव्यवहार तथा कदाचरण के कारण फरवरी, 1973 में कालका स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) क्या उनका स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या वर्ष 1972 में प्रेषित संतरों पर न्यून शुल्क वसूल न करके प्रशासन को राजस्व के रूप में हानि पहुंचाने के आरोप में रेलवे बोर्ड का सतर्कता विभाग, उनके विरुद्ध जांच कार्यवाही कर रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : केवल एक पार्सल क्लर्क को नयी दिल्ली से कालका स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया था लेकिन इस स्थानान्तरण आदेश को आगे जांच पड़ताल होने तक रोक दिया गया है ।

(ग) सम्बन्धित पार्सल क्लर्क कुछ अन्य कर्मचारियों सहित संतरों के एक प्रेषण पर अवप्रभार की कथित ना-वसूली के एक मामले में शामिल था । इस समय, इस मामले की रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) जांच के परिणाम को देखते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

Criteria for laying New Railway Lines in Adivasi Areas

5813. Shri B.S. Chowhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased tostate :

Shri Bhagirath Bhanwar :

(a) whether there are less Kilometrage of Railway lines in Madhya Pradesh as compared to that in other States;

(b) whether there has been a demand for laying Railway lines in Adivasi areas for the last 20 years;

(c) whether the Central Government have laid down any criteria for laying new Railway lines in such areas; and

(d) if so, the gist thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. The Kilometrage of railway lines in Madhya Pradesh is more than in all other States excepting Uttar Pradesh.

(b) Yes.

(c) & (d) Under extant rules, new Lines should be financially remunerative, yielding a return on the capital investment of 6·75% by the conventional method and 10% by the discounted cash flow method, unless they are required for strategic reasons. By and large, only those lines serving the establishment of heavy industries, exploitation of mineral and natural resources, expansion of port facilities, etc. fulfil the criteria of financial remunerativeness. However,

or construction of new rail lines required for the developmental purposes, in backward regions of the country, as stated by Minister of Railways in his budget speech, a new approach is under consideration on the following basis:—

(i) Exemption, full or partial, from payment of dividend liability to the General Revenues during the period of construction and for a specific number of years after completion and opening to traffic;

(ii) Participation of State Governments or local authorities, in reducing the cost of construction by giving the land and labour content of construction free of cost;

(iii) Suitable adjustment upwards of fares and freight structure applicable to the newly constructed line which in common parlance is called "inflation of chargeable mileage"; and

(iv) Levy of fares and freight on a discontinuous basis so as to be a set-off against telescopic structure of standard fares and freight.

दिल्ली और गाजियाबाद के बीच दूध विक्रेताओं का यात्री डिब्बों पर चढ़ना

5814. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच विशेषकर सुबह और शाम के समय चलने वाली रेलगाड़ियों में दूध विक्रेता सभी यात्री डिब्बों में चढ़ जाते हैं तथा रेलवे अधिकारी दूध विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को इन लोकल रेलगाड़ियों में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) : सरकार को पता है कि दूध वाले दिल्ली और गाजियाबाद के बीच विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कुछ गाड़ियों में यात्रा करते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये टिकट जांच कर्मचारी प्राय: जांच करते हैं कि उनकी वजह से अन्य यात्रियों को परिहार्य असुविधा न हो। दिल्ली से 8.30 बजे छूटने वाली 2 डाउन ए० टी० डी० सवारी गाड़ी में, जिसमें अधिकांश दूधिय यात्रा करते हैं, कुल 120 सीटों की वहन क्षमता वाली 1-1/2 बोगी उनके लिए अलग से निर्धारित है।

पलवल और दिल्ली के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी

5815. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पलवल और दिल्ली के बीच बिजली की एक रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) : दिल्ली महानगर क्षेत्र में अन्त: नगर और उप-नगरीय यातायात संबंधी आवश्यकताओं के लिए महानगर परिवहन परियोजना संगठन रेलवे द्वारा व्यवहारिकता अध्ययन किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच के बाद अपेक्षित निर्माण-कार्य की व्याप्ति के संबंध में, जिसमें बिजली गाड़ी चलाने का प्रश्न भी शामिल है। अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा लाभ की राशियों के वितरण पर रोक

5816. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वितरण की जाने वाली लाभ की राशि पर समयबद्ध रोक लगाने और उस लाभ को पांच वर्ष की अवधि के लिये उद्योग में लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किससे ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होता।

ब्राड गैज श्रेणी की एक किलोमीटर रेलवे लाइन पर काम में लगे कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का अनुपात

5817. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्राड गेज श्रेणी के एक किलोमीटर रेलवे लाइन पर रोजगार की कुल कितनी सम्भावनायें हैं ; और

(ख) उनमें से कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का अनुपात कितना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) : कुशल और अकुशल कर्मचारियों की संख्या बहुत से कारकों जैसे कार्यभार, कार्य का स्वरूप, उपयोग में आने वाले उपस्कर आदि, को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है, किलोमीटर दूरी अथवा रेल पथ के आधार पर नहीं।

आन्ध्र प्रदेश के राज्य पाल के परामर्शदाता के साथ विद्युत संकट पर हुई बातचीत

5818. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के परामर्शदाता के साथ राज्य में विद्युत संकट के बारे में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) : जी, हां। सिंचाई और विद्युत मंत्री ने राज्य में विद्युत स्थिति के संबंध में आंध्र में 8 मार्च, 1973 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार के साथ विचार-विमर्श किया था।

सिंचाई और विद्युत मंत्री ने सुधार और आगे विकास के लिये बहुत से सुझाव दिए। इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(1) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग मचकुंड और बलिमेला से श्रेष्ठतम नियमन की जांच करने के लिए एक बैठक बुला सकता है ताकि आंध्र प्रदेश में विद्युत की कमी में कुछ सीमा तक राहत मिल सके और बलिमेला बिजली घर को चलाने के लिये काफी जल भी सुनिश्चित किया जा सके।

(2) यदि आवश्यक हो तो मचकुंड बिजली घर और बलिमेला तथा अपर सिलेरू में विद्युत के उत्पादन के संबंध में उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के बीच जल की निर्मुक्तता के नियम और विद्युत के बंटवारे के लिए एक संयुक्त प्रबंधक बोर्ड गठित किया जाए।

(3) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के एक विशेषज्ञ दल को रामगुण्डम 'क' विद्युत केन्द्र, जो कि 37.5 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति 5 मेगावाट विद्युत-उत्पादन कर रहा था, की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना चाहिए।

(4) अनुसूची के अनुसार कोठागुंडम 'ख' कन्द्र के पहले यूनिट को जून, 1973 में चालू करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(5) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत केंद्रों को पत्थरों से रहित अच्छे प्रकार के कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।

(6) 1973–74 के दौरान लोअर सिलेरू परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7) विजयवाड़ा ताप परियोजना (2×200 मेगावाट) को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

5819 **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) ये मामले कब से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1972 के अन्त में लम्बित मामलों की कुल संख्या 19,527 थी, जिनमें 15,892 मुख्य मामले थे और 3,635 प्रकीर्ण मामले थे।

(ख) मुख्य मामलों के लम्बित रहने की अवधि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। प्रकीर्ण मामलों की बाबत ऐसी जानकारी तुरन्त उपलभ्य नहीं है। वह मालूम की जा रही है और मालूम होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) (i) मामलों के संस्थित किए जाने में वृद्धि ; और

(ii) निर्वाचन-याचिकाएं, जिनकी सुनवाई में सात न्यायाधीश लगे हुए हैं।

विवरण

मुख्य मामलों की संख्या	कब से लम्बित हैं
3	1965
4	1966
17	1967
70	1968
259	1969
824	1970
3,572	1971
11,143	1972

आंध्र प्रदेश में बिजली की कटौती

5820. **श्री वाई०ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में ही 10 से 15 प्रतिशत तक बिजली की कटौती करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की कटौती करने से राज्य में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) राज्य में बिजली की कटौती कब तक रहेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी, 1973 से मांग और ऊर्जा पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बिजली की कटौती लागू की है ।

(ख) ओद्योगिक तथा कृषि पर बिजली की कटौती के प्रभाव का कोई विस्तृत मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) रामागुडम ताप विद्युत् केन्द्र के 62.5 मैगावाट यूनिट जो अनिवार्य रूप में बंद है, के पुनः चालू होने तथा कोठागुडम विद्युत् केन्द्र पर 110 मैगावाट के यूनिट के जून, 1973 में चालू हो जाने से बिजली की कटौती की स्थिति सुधार हो जाएगा। इसके चालू हो जाने पर, आंध्र प्रदेश को कुल समय के लिए बलिमेला जल-विद्युत पा योजना से भी सप्लई उपलब्ध किए जाने की संभावना है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण मैसर्स स्मिथ, एण्ड नफ्यू और मैसर्स एग्लोथाई कारपोरेशन के विरुद्ध कार्यवाही

5821. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास तथा विनियन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण मैसर्स स्मिथ एण्ड नेफ्यू और मैसर्स एग्लोथाई कारपोरेशन के विरुद्ध कार्यवाही कब से विचाराधीन है तथा कब तक पूरी हो जायेगी ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैसर्स स्मिथ एण्ड नेफ्यू लिमिटेड के पास नीविया क्रीम तथा नीविया स्किन आयल के निर्माण हेतु औद्योगिक लांइसेंस था । उन्होंने कई मदों, जिसमें नीविया वेनिसिंग क्रीम भी शामिल थी, के निर्माण हेतु एक सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था तथा यह प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

मैसर्स ऐंग्लोथाई कारपोरेशन लिमिटेड डी० जी०टी०डी० की सूची में नहीं है । इसलिए इस कम्पनी के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से विस्तृत ब्योरे मांगे गये हैं ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की विटामिन सी परियोजना के कार्य

5822. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की विटामिन सी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरंभ हो जायेगा तथा इस उत्पादन को कब से बाजार में बेचा जाएगा; और

(ग) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन में हुए अत्यधिक विलम्ब के लिए किसी पर कोई जिम्मेदारी डाली गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : विटामिन सी के विनिर्माण के लिए संयंत्र की प्रतिस्थापना हो चुकी है और इससे परीक्षण उत्पादन हो रहा है। लगभग 6 महिनों में इससे वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की आशा है।

(ग) जी नहीं। निम्नलिखित विभिन्न लक्ष्यों के कारण परियोजना के कार्यन्वयन में विलम्ब हुआ ;

(i) देशीय प्रौद्योगिकी का विकास करने एवं प्रमाणित करने में किये गये दीर्घावधि प्रयास

(ii) पाक भारत युद्ध के दौरान पाकिस्तान में प्रमुख उपकरण के जहाजों का रोका जाना ; और

(iii) सीमैण्ट एवं इस्पात आदि की अनुपलब्धि जो उपक्रम के नियंत्रण से बाहर है।

Provision of Water Coolers at Pali (Marwar) Railway Station

5823. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the reasons for not providing coolers at Pali (Marwar) Railway station to supply cold water to passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. ShafiQureshi) : Adequate arrangements for the supply of cold water to passengers already exist at this station.

Dirty Waiting Rooms at Marwar Junction

5824. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether First Class and Second Class Waiting Rooms and Bath Rooms at Marwar Junction remain dirty and have been constructed unsystematically; and

(b) whether Railway Department propose to make improvements therein and if so, by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Badges for Ticket Checking Officials

5825. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the ticket checking officials wear badges on their dresses indicating their names and designations; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) : Ticket Checking officials wear badges on their dresses indicating the designation. Instructions have also been issued for the issue of Name Badges to Ticket Checking Staff detailed at two or three major Stations on each Railway.

उड़ीसा में रेलवे यात्रियों का आंदोलनकारियों के हिंसात्मक दंगों से सामना

5826. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत फरवरी महीने में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच यात्रा कर रहे तथा उड़ीसा में कुछ रेलवे स्टेशनों पर रेलवे यात्रियों को प्रदर्शनकारियों के हिंसात्मक दंगों का सामना करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनाएं हुई और इसके परिणामस्वरुप हुए हताहतों की संख्या कितनी है : और

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस तरह की 5 घटनाएं हुई थी और कुछ व्यक्तियों के हताहत होने की रिपोर्ट मिली थी ।

(ग) रेलों की सुरक्षा शाखा राज्य पुलिस की कार्यकारी और आसूचना शाखाओं से निकट सम्पर्क रखती है और वे रेलों के संचालन और महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों से सम्बन्धित सूचना का आदान-प्रदान करती है ।

(2) जब किसी गड़बड़ी की सम्भावना होती है, यथास्थिति राज्य पुलिस अथवा रेलवे सुरक्षा दल द्वारा मेध खण्डों में रेल-पथ की गश्त और मेध-स्थलों की निगरानी की जाती है ।

(3) जिन क्षेत्रों में गड़बड़ी की सम्भावना होती है, उनमें स्थित रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के अलावा प्रभावित खण्डों में गाड़ियों की मार्ग रक्षा के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कारवाई की जाती है ।

(4) जब भी आवश्यकता होती है, स्थानीय पुलिस सैसपिक संस्थाओं के निकट स्थित रेलवे स्टेशनों और रेल-पथ पर गश्त की व्यवस्था करती है ।

(5) रेल सम्पति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पतियों के विनाश के प्रभावों की ओर जनता का ध्यान दिलाने के लिए उपाय किये गये हैं । इस प्रसंग में रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां, विशेष लेख/पस्तिकांए प्रकाशित की जाती है । अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा रेडियो वार्ताओं का भी आयोजन किया जाता है ।

(6) राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठकों में भी इस विषय को प्रस्तुत करके इस सम्बन्ध में उनका सहयोग मांगा जाता है ।

(7) रेल सम्पति के विनाश के लिए दण्ड को और कड़ा करने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में संशोधन किया जा रहा है ।

यात्रियों के लिय बेहतर सुविधाएं

5827. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में यात्रियों को बेहतर सुविधायें देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं :

(ख) अब तक कितनी सफलता मिली है :

(ग) क्या अग्रिम बुकिंग की दस दिन की समय सीमा में परिवर्तन करने से लोगों को सहायता मिली है, और यदि हां,तो किस प्रकार से : और

(घ) रेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरशी) : (क) सभी स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने और जहां आवश्यक समझा गया वहां वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की गयी ।

(ख) भारतीय रेलों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के काम जैसे सभी नियमित स्टेशनों और झंडी स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय, बेंचें, वस्तियां, पीने का पानी, शौचालय, समुचित रुप से अनुरक्षित फर्श वाले प्लेटफार्म, टिकट देने की समुचित व्यवस्था और छायादार वृक्ष तथा सभी हाल्ट स्टेशनों पर पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म, एक छोटा प्रतीक्षा शेड, जो टिकटघर का भी काम दे, वत्तियां और छायादार वृक्ष, पूरे किये जा चुके हैं ।

(ग) परिक्षण के तौर पर सभी दर्जों में अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा 15-11-1972 से 14-12-1972 तक की एक महीने की अवधि के लिए बढ़ायी गयी थी। अगामी ग्रीष्म ऋतु की भीड़-भाड़ की अवधि में यह परीक्षण फिर किया जायेगा और तत्पश्चात उसके परिणामों का अध्ययन किया जायेगा।

(घ) रेलों में भीड़-भाड़ दूर करने के लिए जो कार्रवाई सोची गयी है, उसमें निम्नलिखित काम शामिल हैं:-

(i) डीजलीकरण/बिजलीकरण द्वारा लम्बी दूरी की डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की वहन क्षमता में वृद्धि।

(ii) भीड़-भाड़ की अवधियों में यातायात की निकासी के लिए, जहां परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक हो, विशेष गाड़ियां चलाना और महत्वपूर्ण गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाना।

(iii) अतिरिक्त गाड़ियां चलाना, वर्तमान गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाना और जहां तक व्यावहारिक हो उनके डिब्बों की संख्या भी बढ़ाना।

(iv) अतिरिक्त टिकट एवं आरक्षण खिड़कियां खोलना और आवश्यकतानुसार उनके काम के घंटे बढाना।

विदेशों के सहयोग से तेल शोधक कारखानों की स्थापना

5828. **श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियाम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के सहयोग से भारत में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के बारे में सहयोग की शर्तें क्या हैं ;

(ख) सहयोग करारों में कौनसी परियोजनाएं सम्मिलित हैं और उनको पूरा करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर रुपये तथा विदेशी मुद्रा के रुप में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में तेल शोधनशालाएं स्थापित करने क लिए विदेशों से सहयोग किये जाने के बारे में कोई मान्य शर्तें नहीं है और प्रत्येक मामले पर इसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) मद्रास शोधनशाला ही एक ऐसी शोधनशाला है जो अब तक ,वंदेश के साथ पहले से किये गये सहयोग करार के अन्तर्गत आती है।

(ग) मद्रास शोधनशाला के बारे में कुल निवेश तथा उसके विदेशी मुद्रा अंश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कुल निवेश—430,125,000 रुपये

विदेशी मुद्रा अंश—20,724,000 डालर

Assault on Travelling Ticket Examiners by Anti-social Elements

5829. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of travelling ticket examiners killed and injured as a result of assaults by anti-social elements during the last one year, Zone wise; and

(b) the nature of assistance provided by Government to the families of the deceased and to the injured ones?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quresh : (a) & (b) A statement is attached.

Statement

S. No.	Name of the Railway	Number of Travelling Ticket Examiners killed and injured during last one year		Nature of assistance rendered to the injured
		Killed	Injured	
1	Central . . .		1	First-Aid.
2	Eastern .		4	Financial assistance given in one case.
3	Northern .		3	
4	North Eastern .		7	Medical aid—Absence treated as "hurt on duty"—Legal aid in one case.
5	Northeast Frontier .		1	
6	Southern			
7	South Central . . .			
8	South Eastern			
9	Western		1	

Revenue earned in the Form of demurrage

5830. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the revenue earned by the Indian Railways in the form of demurrage during the last one year and the break-up thereof, Zone-wise;

(b) the number of Government Institutions against which amount of arrears of more than rupees one lakh is outstanding in the form of demurrage; and

(c) the steps taken to recover the arrears?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The amount of demurrage charges realised by the Zonal Railways during 1971-72 was Rs. 635·68 lakhs as indicated below:—

(In lakhs of rupees)

Railway	Amount
Central .	86·04
Eastern	179·58
Northern	7·45
North Eastern	27·55
Northeast Frontier	12·01
Southern	39·15
South Central	31·12
South Eastern	244·31
Western	8·47
	635·68

(b) The number of such institutions is thirty-three.

(c) The disputes raised by the parties are being attended to and constant efforts are being made by the Zonal Railways to pursuade the parties to pay up the Railway dues as early as possible.

Nature of Books sold at Book Stalls at Railway Stations

5831. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government examine the nature of literature which is kept on the book stalls at Railway stations and whether anybody has been punished for violation of any rules laid down by Government in this regard ;

(b) whether Government have any proposal under consideration to the effect that one person or one firm should not have more than one book stall at the Railway stations ; and

(c) whether Government have received suggestions from many institutions in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Inspections are carried out by departmental officials and the members of the Bookstall Advisory Committees to check and prevent sale of objectionable literature by the Book stall Contractors. In cases where contractors are found selling such literature, necessary action is taken against them in terms of the agreement.

There have been a few cases of sale of objectionable literature at stations on ceratain Railways. Suitable action was taken against the book stall contractors either by issuing waring or imposing a fine.

(b) and (c) : No. But a review in the light of Minister of Railways' statement in the Lok Sabha on 21·3·1973 is being undertaken.

Penalty Realised from Ticketless Passangers during 1972

5832. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of fine recovered from the Railway passengers detected travelling without ticket in trains during the last year and upto January, 1973, Zone-wise.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Amount of fine recovered from ticketless passengers during the year 1972 and in January 1973 is as follow :—

Railway	During 1972	In January 1973
	Rs.	Rs.
Central	1,42,240	9,034
Eastern	8,45,432	71,240
Northern	3,55,781	10,180
N.E.	2,75,042	20,255
N.F.	3,131	578
Southern	49,207	5,957
S.C.	25,076	462
S.E.	18,934	1,490
Western	69,564	7,001

दावों से सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ अनुचित गठबन्धन के कारण व्यापारियों को दावों के भुगतान में वृद्धि

5834. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के संरक्षण में सामान की चोरी के कारण मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी मामलों में वृद्धि का कारण (ब) विभिन्न स्तरों पर दावों से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ व्यापारियों ने अनुचित गठबन्धन कायम किया हुआ और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भुगतान को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) क्षतिपूर्ति के दावों का निबटारा माल की कमी की मात्रा, दावे की रकम और दावेदार के दावे के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अभिलेखों की सावधानी से छान बीन करने के बाद उनके गुण-दोष के आधार पर और वर्तमान कानूनी उपबंधों के अंतर्गत किया जाता है। अधिक मूल्य के दावों का भुगतान पहले से की गयी जांच और सम्बद्ध वित्त द्वारा सहमति प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टर के लिए क्वार्टर

5835. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की, जोनवर, कुल संख्या कितनी है जिनको क्वार्टर दिये गये है ;

(ख) क्या स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का शिफ्ट ड्युटी करने वाले अत्यावश्यक कर्मचारियों के रुप में वर्गीकरण किया गया है और उनकी जोनवार, संख्या कितनी है जिनको क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिये क्वार्टरों को तुरंत बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जोनल और डिवीजनल मुख्यालयों में पांच वर्ष से अधिक अवधि तक रखे जाने वाले अधिकारी

5836. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जोनल और डिविजनल मुख्यालय में पांच वर्ष से अधिक अवधि तक रखे गए अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उनको स्थानान्तरित न करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) किसी एक स्थान पर अधिकारियों को रखने की कोई अनम्य अवधि **निर्धारित** नहीं की गयी है। प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण आवधिक रूप से किये जाते हैं।

विद्युत के विकास के लिए समेकित योजना

5837. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत के विकास के लिये कोई समेकित योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो देश में योजना के अन्तर्गत विद्युत प्रजनन के विकास में पनबिजली तापीय और परमाणु शक्तियों का अपना अपना क्या स्थान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी, हां। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने 1971–81 दशाब्दी के लिये एकीकृत आधार पर एक विद्युत (उत्पादन) योजना तैयार की है।

(ख) इस योजना के अनुसार, देश में कुल प्रतिष्ठित क्षमता को 52 मिलियन किलोवाट तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 22.3 मिलियन किलोवाट जल–विद्युत 25.5 मिलयिन तापीय तथा 4.2 मिलयिन किलोवाट परमाणु क्षमता सम्मिलित होगी।

केरल उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

5838. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल उच्च न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) ये मामले कब से अनिर्णीत पड़ हैं ; और

(ग) मामलों को निपटाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) 1972 के अन्त में 29,357 मामले थे।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) मुख्य कारण मामलों के संस्थित किये जाने में वृद्धि है।

विवरण

मामलों की संख्या	कब से लम्बित हैं
3	1951
—	1952
2	1953
1	1954
2	1955
1	1956
3	1957
1	1958
	1959
1	1960
2	1961
1	1962
1	1963
1	1964
8	1965
20	1966
35	1967
250	1968
1,037	1969
3,257	1970
6,411	1971
18,316	1972

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

5839. **डा० गोविन्द दास रिछारिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदश में कौन कौन सी नई रेलवे लाइनों के लिय सर्वेक्षण हो रहा है अथवा हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : रेलवे आंकड़ों से सम्बन्धित सूचना रा ज्य वार या क्षेत्रवार नहीं बल्कि रेलवेवार संकलित की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर, मध्य पूर्वोत्तर और पश्चिम रेलों की लाइनें पड़ती हैं। इन रेलों पर विगत में नयी लाइनों के लिये किये गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा प्रत्येक सम्बन्धित वर्ष की भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अध्याय IV–"नये निर्माण और इंजीनियरी सम्बन्धी काम" में दिया गया है। 1971–72 तक की इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में शाहदरा–सहारनपुर पृथक बड़ी लाइन की पूर्ववर्ती सर्वेक्षण रिपोर्टों को 1972–73 में अद्यतन किया गया था।

वर्ष 1971 और 1972 के दौरान रेलवे कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

5840. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 तथा 1972 में रेलवे जोनों में से प्रत्येक जोन के रेलवे कर्मचारियों को कितना कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ; और

(ख) इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उ पमत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल कर रख दी जायेगी।

भारतीय रेलवे के शौर्य और अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते

5841. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पद्म श्री प्राप्त करने वाले रेलवे अधिकारियों, वीर चक्र प्राप्त करने वाले पनयरमैनों, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले तीन रेलवे मैनों तथा विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने वाले ब्रिगडियरों, जिन्होंने 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान बंगला देश में प्रादेशिक सेना की 472 एच० क्यू० रेलवे इंजीनियर्स ब्रिगेड का नेतृत्व किया था, के नाम तथा वर्तमान और स्थायी पते क्या हैं ; और

(ख) देश में विशिष्ट सेवाओं के लिये रेलवे द्वारा इन कर्मचारियों को क्या वित्तीय अथवा अन्य सेवा–लाभ दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिससे अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 4702/27)

पेय जल, चाय स्टालों तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था रहित स्टेशनों के नाम

5842. **श्री रानायण चन्द पाराशर**
श्री हुकम चन्द कछवाय } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन (फ्लेग स्टेनो के अतिरिक्त) में उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां 31 दिसम्बर, 1972 को (1) पेय जल (2) चाय स्टालों और (3) प्रतीक्षालयों की व्यवस्था नहीं थी ; और

(ख) इन सभी स्टेशनों पर ये मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या कोई गम्भीर विचार किया जा रह है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : हाल्ट स्टेशनों को छोड़ कर अन्य सभी स्टेशनों पर पेय जल की व्यवस्था एक बुनियादी सुविधा है और यह सुविधा ऐसे स्टेशनों पर पहले से ही विद्यमान है। चाय के स्टाल और प्रतीक्षालय बुनियादी सुविधायें नहीं है। 3604 स्टेशन ऐसे हैं जहां चाय के स्टाल नहीं हैं और 2626 स्टेशन ऐसे हैं जहां प्रतीक्षालय नहीं हैं। जहां यातायात की आवश्यकताओं की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होता है, वहां इनकी व्यवस्था एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर रेल उपयोग कर्ता सुविधा समितियों के परामर्श से की जाती है बशर्ते इसके लिये धन उपलब्ध हो।

चोरी और उठाईगिरी को रोकने के उपाय एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन

5843. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिये सरकार द्वारा गत एक वर्ष में क्या उपाय किये गए ; और

(ख) चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी राज्य स्तरीय तथा मूल स्तरीय समितियां गठित की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों पर चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिये पिछले वर्ष सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गयी उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

(1) वाणिज्य तथा सुरक्षा विभागों के कर्मचारियों द्वारा माल चढ़ाने और उतारने के काम का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण;

(2) लदे हुए माल डिब्बों की अचानक परीक्षण जांच ;

(3) सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा निगरानी ;

(4) प्रभावित क्षेत्रों में माल गाड़ियों पर सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल का पहरा ;

(5) भेद्य स्थलों, यार्डों और खण्डों पर सशस्त्र पहरा और गश्त ;

(6) अत्यन्त बदनाम खण्डों पर रेलवे सुरक्षा दल के प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा गश्त लगाना ;

(7) चीनी, अनाज, तिलहन तथा लोहे और इस्पात जैसी भेद्य वस्तुओं की ब्लाक भारों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों के पहरे में ढुलाई ;

(8) पैकेजों या माल डिब्बों को मार्ग में भटक जाने या बिलम्ब हो जाने से बचाने के लिये पैकेजों को ठीक तरह से पैक करने, मार्का लगाने और माल डिब्बों पर ठीक तरह से लेबल लगाने पर बल देना ;

(9) विशेष अधिनियम के अधीन बहुत से अपराधियों और चोरी का माल लेने वालों को हिरासत में लेना ;

(10) अपराधियों/चोरी का माल लेने वालों के बारे में आसुचना इकट्ठी करने और उन पर छापे मारने पर बल देना।

(ख) नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार प्रत्येक रेलवे पर दो प्रकार की संयुक्त समितियां बनायी गयी थीं। एक राज्य स्तर की थी और दूसरी मूल इकाई स्तर की। राज्य स्तर कर समिति पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिये बनायी गयी थी न कि हिमाचल प्रदेश के लिये। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में विभिन्न स्टेशनों पर मूल स्तर की समितियां बनायी गयीं। ये समितियां हिमाचल प्रदेश में नहीं बनायी गयीं थीं क्योंकि उस राज्य में चोरी और उठाईगिरी की कोई समस्या नहीं थी।

इन समितियों को निम्न प्रकार से गठित करने का निर्णय किया गया था लेकिन रेल प्रशासन को इनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छोटे–मोटे परिवर्तन करने की छूट थी :–

क–राज्य स्तर की समिति :–

(राज्य के प्रतिनिधि)

(1) गृह सचिव	अध्यक्ष
(2) पुलिस के महानिरीक्षक	सदस्य
(3) उप महानिरीक्षक/खुफिया विभाग तथा रेलवे	सदस्य

(रेलवे के प्रतिनिधि)

(4) मुख्य सुरक्षा अधिकारी सदस्य

(5) वरिष्ठ उप महा प्रबंधक सदस्य

(6) मुख्य वाणिज्य अधीक्षक सदस्य

(7) (श्रम प्रतिनिधि)
आल इंडिया रेलवे मैन फैडरेशन और
नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे
मैन का एक-एक प्रतिनिधि सदस्य

(ख) मूल इकाई स्तर की समिति:—

(1) इकाई पर नियंत्रण रखने वाला कोई राजपत्रित अधिकारी अध्यक्ष

(2) सरकारी पक्ष के दो प्रतिनिधि सदस्य

(3) कर्मचारियों की ओर से दो प्रतिनिधि जो मान्यता प्राप्त युनियनों का एक-एक व्यक्ति होगा सदस्य

हिमाचल प्रदेश में सीमेन्ट की ढुलाई के लिए बैगनों की कमी

5844. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 में राज्य हिमाचल के अंत: प्रदेश में सीमेंट लाने के लिये बगनों की कमी के बारे में हिमाचल प्रदेश के लोगों से शिकायत मिली है : और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और ठीक समय पर वैगन उपलब्ध होने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से मार्च में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उस राज्य के लिये सीमेंट की ढुलाई को तेज करने के सम्बन्ध में सहायता मांगी गयी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय को लिखा गया पत्र भी उससे पहले जनवरी में प्राप्त हुआ था।

(ख) औद्योगिक विकास मंत्रालय को लिखे गये पत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमेंट के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकता 2700 मीटरिक टन बतायी थी। जनवरी, फरवरी और मार्च, के प्रथम 20 दिनों की अवधि में सीमेंट के विभिन्न कारखानों द्वारा हिमाचल प्रदेश को कुल लगभग 15000 मीटरिक टन सीमेंट भेजा गया। इस प्रकार, इस राज्य की सीमेंट सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है। जिन कारखानों से यह राज्य अपने लिये सीमेंट लेता है, उन कारखानों को माल डिब्बों की सप्लाई काफी संतोषजनक है। हिमाचल प्रदेश को ढुलाई की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से कालका और पठानकोट में थानान्तरण कार्य में उत्तरोत्तर तेजी लायी जा रही है। इन दोनों स्थलों पर थानान्तरित किये जाने वाले बड़ी लाइन के माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या में सुधार हुआ है और यह नवम्बर में 13 से बढ़कर दिसम्बर में 19, जनवरी में 20, फरवरी में 16, 16, और मार्च के प्रथय 20 दिनों में 26 पर पहुंच गयी है।

बंगला देश को अशोधित तेल की सप्लाई में अनियमितताए

5845. **श्री बसंत साठे** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1973 के 'ब्लिटज्' में बंगला देश को अशोधित तेल की सप्लाई में कथित अनियमितताओं के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच का आदेश दिया है और पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा भारतीय तेल निगम के सौदे से सम्बद्ध अधिकारियों को मुअतल कर दिया है और;

(घ) यदि, नहींतो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ): सरकार बंगला देश को कच्चा तेल भेजने के ठेके के सम्बन्ध में, भारतीय तेल निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

1 दिसम्बर, 1972 के बाद एकाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

5846. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** मंत्री 27 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1972 के बाद एकाधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की विषय-वस्तु क्या है ;

(ख) इसमें किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23(6) के अन्तर्गत, साराभाई एम० केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और साराभाई संस प्राईवेट लि० से, उनके टेलेराड प्राइवेट लिमिटेड के साथ समामेलन के प्रस्ताव पर, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

(ख) आयोग ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित समामेलन, जन-हित के पक्ष में नहीं होगा अतः इसे अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) आवेदक कम्पनी ने सरकार को सूचित कर दिया है कि समामेलन की मूल योजना का परित्याग कर दिया गया है।

अय्यर आयोग द्वारा दोषी पाया गया भारतीय उर्वरक निगम का अधिकारी

5847. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री अय्यर आयोग द्वारा दोषी पाये गय उर्वरक निगम के अधिकारी के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3023 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं तो, यह कब तक एकत्र कर ली जायेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) अपेक्षित सूचना, जिसे यथासंभव सभा पटल पर रख दिया जाएगा को शीघ्र ही एकत्र करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक, (उत्पादन और विपणन) और वित्त निदेशक के त्यागपत्रों पर निर्णय

5848. **श्री चन्द्र शैलानी :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक, उत्पादन और विपणन निदेशक तथा वित्त निदेशक के त्यागपत्रों पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं ; और

(ग) निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन को आसान बनाने के लिए प्रबंध निदेशक ने स्वेच्छा से रिटायर होने की पेशकश की है। यदि आवश्यक हुआ तो इस पेशकश पर उस समय विचार किया जायेगा जब निगम के पुनर्गठन को सहायता को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम के झगड़े का निपटारा

5849. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री अचल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 सितम्बर, 1972 के "इंण्डियन एक्सप्रैस" में "रो ओवर फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया रिजोल्वड" (भारतीय उर्वरक निगम के झगड़े का निपटारा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार को जानकारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह समाचार ठीक है ;

(ग) क्या चयन समिति (एप्वेन्टमेंट कमेटी) द्वारा अनुमोदित अधिकारियों को महाप्रबन्धक के पदों पर नियुक्त किया गया है और अस्वीकृत लोगों को उन की पहली नौकरियों पर वापिस भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) महाप्रबन्धकों के पदों पर नियुक्तियां करने के लिये उर्वरक निगम ने हाल ही में प्रस्ताव भेजे हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय उर्वरक निगमों में निदेशक (विपणन' की नियुक्ति)

5850. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णय्या समिति की सिफारिश के अनुसार क्या सरकार भारतीय उर्वरक निगम में निदेश (विपणन) के पद को भरने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन की एक योजना पर विचार किया जा रहा है और विपणन के लिए एक अलग निदेशक के नियुक्त किये जाने के प्रश्न पर इस योजना के एक भाग के रूप में विचार किया जायेगा।

Removal of Alarm Chains and Cases of Chain-pulling during last three years.

5851. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of trains from which alarm chains have been removed so far since January 1971,

(b) the number of alarm chain pulling cases in trains registered during the las three years, seperately, Zone-wise; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to check the increasing number of cases of alarm chain pulling in the trains ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd Shafi Qureshi):
(a) The number of trains blanked off vary from time to time depending on the exigencies of the circumstances. At present alarm-chain apparatus has

been blanked off except in Ladies compartments and full Postal Vans on about 625 trains. In addition all suburban trains on eastern Railway have been blanked off.

(b) A statement is attached.

(c) The measures taken by Railway Administration to check unauthorised Alarm chain pulling are indicated below :—

(i) Posting of plain clothed T.T. Es and Railway protection Force men in III Class compartments;

(ii) conducting surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of T.T.Es and Railway Protection Force Personnel;

(iii) arranging surprise checks for ambushing of miscreants at places noted for unauthorised chain pulling ;

(iv) conducting educative compaigns in the press, through posters cinema slides etc. and by announcements on the Public Address System provided at important stations,

(v) creating consciousness among the students about the evil of alarm chain pulling through Senior Railway Officers, retired or in service, giving lectures in educational institutions ;

(vi) offering of rewards to those apprehending chain pullers ;

(vii) Blanking off of alarm chain apparatus on trains.

STATEMENT

The number of alarm chain pulling cases in trains registered during the last threeyears Zone Wise.

Railway	1970-71	1971-72	1972-73 Up to Dec.72)
Central	13,838	16,339	13,283
Eastern	86,906	52,081	15,659
Northern	63,145	47,064	33,410
North-Eastern	110,765	79,662	41,389
N.F.	19,751	19,905	4,828
Southern	4,402	5,020	5,145
South-Central	14,731	14,586	13,404
South-Eastern	41,213	53,730	37,328
Western	7,190	7,805	6,528
	361,761	296,192	170,969

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेशों को रद्द करना

5852. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के उन कर्मचारियों को जिन्हें रेलवे में अन्यत्र स्थानान्तरण के आवेदन दे दिये गये थे, उनके स्थानान्तरण आदेश रद्द करके फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में काम पर आने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनक स्थानान्तरण आदेश रद्द करने के क्या आधार हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : स्थानीय प्रशासन द्वारा चार व्यक्तियों के स्थानान्तरण आदेश, उनकी अपीलों पर समुचित रूप से विचार करने के बाद रद्द कर दिये गये हैं।

इद्वीकी, होकर कोट्टायम से बोदीनायकन्नुर के बीच रेल संपर्क संबंधी केरल सरकार का प्रस्ताव

5853. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने इद्दीकी, पीरनाडु और कुमिली होकर कोट्टायम से बोदीनायकन्नूर के बीच रेल संपर्क बनाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लाइन का ट्रैफिक तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस लाइन का काफी हिस्सा पश्चिमी घाटों से होकर गुजरेगा और यह क्षेत्र ऐसा है कि निर्माण पर निषिद्ध रूप में अत्याधिक लागत आयेगी। बड़े ढ़लान और तेज घुमावों के कारण इस लाइन की क्षमता भी सीमित रहने की संभावना है। चूंकि यह लाइन घने वनों वाले पहाड़ी क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए हो सकता है, इस पर पर्याप्त यातायात भी न हो। अतएव आर्थिक दृष्टि से भी इस लाइन के सक्षम होने की संभावना बहुत कम है। सर्वेक्षण कराना औचित्यपूर्ण नहीं होगा।

शोरनूर-बंगलौर लाइन को दोहरा करना

5854. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान शोरनूर-बंगलौर लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) इस लाइन को यात्रियों के आवागमन और इंजीनियरी सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कब किया जायगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जब अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता प्रमाणित हो जायगी तब सर्वेक्षण के बारे में विचार किया जायगा।

रेलवे सुरक्षा बल पर होने वाला व्यय

5855. **श्री धनशाह प्रधान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बल पर कितना धन व्यय किया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरा में रेल सुरक्षा बल पर किया गया व्यय इस प्रकार है : -

1970-71	1971-72	1972-73
12,64,31,219 रुपये	13,75,00,094 रुपये	लगभग 14.92 करोड़ रुपये

रेलवे कर्मचारियों को स्थानान्तरण भत्ता देना

5856. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के श्रेणी तीन के कर्मचारियों को एक मास के वेतन के बराबर और श्रेणी चार के कर्मचारियों को आधे महीने के वेतन के बराबर स्थानान्तरण भत्ता मन्जूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के भूतपूर्व ए० आई० ओ० डब्ल्यू० जो अब उत्तर रेलवे में ए० पी० डब्ल्यू० आई० के पद पर काम कर रहे हैं, की सेवाअंतराल को क्षमा करना

5857. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के भूतपूर्व ए० आई० ओ० डल्यू० जो अब उत्तर रेलवे में ए० पी० डब्ल्यू० आई० के पद पर काम कर रहे हैं की सेवा अन्तराल को क्षमा करने का प्रश्न 1968 से निर्णयाधीन है ;

(ख) यदि हां तो संसद् में अनेक आश्वासन दिये जाने के बाबजूद भी उनकी सेवा को लगातार क्यों नहीं माना जा रहा है ; और

(ग) इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिये कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पश्चिम रेलवे के 12 भूतपूर्व सहायक निर्माण कार्य निरीक्षकों जिन्हें बाद में उत्तर रेलवे पर सहायक रेल पथ निरीक्षकों के रूप में समाहित कर लिया गया था, वे सेवा-भंग को माफ करने के प्रश्न पर महाप्रबन्धक, पश्चिमी रेलवे अपने वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से फिलहाल विचार विमर्श को अन्तिम रूप देने वाले हैं, इस मुद्दे पर अभी तक अन्तिम निर्णय निम्नलिखित कारणों से न हो सका ।

(1) इन व्यक्तियों के सेवावृत्त पश्चिम रेलवे के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों से इकट्ठे करने पड़े थे ।

(2) इसी बीच, उनके सेवा अभिलेख उत्तर रेलवे को भेजने पड़े जिससे उत्तर रेल प्रशासन उन पदों पर उनका वेतन-निर्धारण कर सके जिन पर वे लोग, वर्तमान में लगे हुए हैं ।

(3) पश्चिम रेलवे को उनके सेवा-अभिलेख उत्तर रेलवे से वापस मंगवाने पड़े जिससे पश्चिम रेलवे के अधीनस्थ कार्यालय सेवा भंग को माफ करने संबंधी उनके मामलों पर कार्यवाही आगे बढ़ा सके और अपने प्रस्ताव महाप्रबन्धक को वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के साथ परामर्श से विचारार्थ मुख्यालय प्रस्तुत कर सकें । इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

मनमद-धौन लाइन पर उपरी पुल बनाना

5858. **श्री ई० बी० किखो पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन के पास मनमद-धौन रेलवे लाइन पर कई जगह ऊपरी पुल बनाने के लिये अभ्यावेदन आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) अंकाई के निकट ऊपरी सड़क पुल बनाने के काम की मंजूरी मिल गयी है और काम को हाथ में लेने की प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है । अहमदनगर में प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के लिए अनुमान फरवरी, 1973 में राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है । जब राज्य सरकार अनुमान का अनुमोदन कर देगी और पहुंच-मार्ग के निर्माण कार्य को शुरु करने की स्थिति में होगी तो उसके बाद ही मंजूरी और कार्य निष्पादन के लिए आगे कार्रवाई की जायेगी ।

सुरक्षित कोटे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पदोन्नति

5859. **श्री चन्द शैलानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपत्रित सेवाओं (श्रेणी एक और श्रेणी दो) के विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति के लिए स्थान सुरक्षित करने का लाभ दिये जाने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय को रेलवे में लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 के लिए सुरक्षित स्थानों की सूची बना ली गई है और रिक्त स्थानों को भरने के लिए अधिकारियों का वेतन-मानवार पैनल बना लिया गया है ;

(ग) इस अवधि में उक्त आदेश के लागू किये जाने के बाद रेलवे में जोनवार कितने कितने अधिकारियों को सहायक अधिकारी के स्तर से वरिष्ठ वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान से जूनियर प्रशासनिक वेतनमान, जूनियर प्रशासनिक वेतनमान, से अन्तः प्रशासनिक वेतनमान, अन्तः प्रशासनिक वेतनमान से वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान तथा उससे ऊपर के वेतनमान में पदोन्नति दी गई ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की सुरक्षित कोटे में उचित समय पर पदोन्नति देना सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश की पनबिजली उत्पादन योजना

5860. **श्री प्रताप सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पन-बिजली उत्पादन योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसमें पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसंधान/कार्यान्वन के लिए उस राज्य में शुरू की जाने वाली जल-विद्युतपरियोजनाओं को दिखाया गया है ।

(ख) पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लाभों के लिए उसमें बतायी गई बड़ी परियोजनाएं प्रतिष्ठापित क्षमता रहित निम्नलिखित हैं :

1.	पारबती	1900 मेगावाट
2.	कोल	1250 मेगावाट
3.	नाथपा-थकरी	1000 मेगावाट
4.	भावा	150 मेगावाट
5.	बासपा	400 मेगावाट
6.	चामेरा	400 मेगावाट
7.	दाधु	100 मेगावाट.
8.	जिसपा	225 मेगावाट

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 90 मेघावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की बहुत सी मध्यम जल-विद्युत स्कीमों और कुछ लघु जल विद्युत स्कीमों का भी सुझाव दिया गया है ।

(ग) छठी योजना के प्रारम्भ में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक पांचवी योजना में नाथपा-झाकरी और पारवती चरण-एक परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल की गई हैं ।

उत्तर रेलवे के तुगलकाबाद स्टेशन पर दुबारा तोले बिना लोह से भरे वैगनों की डिलीबरी देना

5861. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे के तुगलकाबाद स्टेशनों पर 250–380 के वेतन मान में काम करने वाले गुड्स क्लर्कों ने जुलाई और अक्तूबर, 1971 के महीनों में "प्रेषक द्वारा बताया गया भार स्वीकृत" (सेन्डर्स वे एक्सेप्टेड) प्रोकित वैगनों की डिलीवरी बिना दोबारा तोले दे दी थी ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग ने वर्ष 1972 में ऐसे 42 वैगनों की जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 1972 में एक जांच पड़ताल के दौरान उत्तर रेलवे की सतर्कता शाखा के नोटिस में लोहे/इस्पात के परेषणो के ऐसे 5 मामले आये हैं जिनमें "प्रेषक द्वारा बताया गया वजन स्वीकृति" टिप्पणी दी गयी थी और तुगलकाबाद के मुख्य माल बाबू ने बिना दो बारा वजन किये जिनकी सुपुर्दगी कर दी थी। 1972 में रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय ने ऐसी कोई जांच पड़ताल नहीं की थी ।

(ग) सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अधीन कार्रवाई शुरू की गयी और इस गल्ती के लिये उसे चेतावनी दी गयी थी ।

लखनऊ तथा कासगंज के बीच डकैती

5862. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में लखनऊ-कासगंज फास्ट पैसेंजर ट्रेन में एक सशस्त्र डकैती हुई थी ;

(ख) यदि हां तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं या उठाने वाली है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) 13–4–73 को जब 62 डाउन सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगढ़ और माला स्टेशनों के बीच जा रही थी तो 4 व्यक्तियों ने तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक यात्री जिला पीलीभीत के श्री गोविन्द प्रसाद को लूट लिया और उनसे 290 रु० छीन लिये। दो व्यक्ति शाहगढ़ स्टेशन के बाहरी सिगनल पर चलती गाड़ी से उतर गये और दो अन्य व्यक्ति तीसरे दर्जे के उसी डिब्बे के अन्य यात्रियों की सहायता से उक्त पीड़ित यक्ति द्वारा पकड़ लिये गये। कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 392/224 के अन्तर्गत 14–3–73 को अपराध सं० 46 दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है।

(ग) ऐसे, अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :–

(1) जहां तक सम्भव है, दुष्प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षियों की व्यवस्था की जाती है ।

(2) मार्ग रक्षी व्यवस्था की अचानक जांच पर्यवेक्षण का काम और भी तेज कर दिया गया है ।

(3) जो गाड़ी मार्ग रक्षी अपने कर्तव्यपालन में लापरवाह पाये जाते हैं उन्हें उपयुक्त सजा दी जाती है ।

(4) रेलवे सुरक्षा दल को इस आशय के निदेश दिये गये हैं कि रेलों पर ऐसी घटनाओं के लिये उत्तरदायी अपराधियों का पता लगाने में सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ सहयोग करें ।

(5) दुष्प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय बदमाशों पर कड़ी निगाह रखने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस से निकट सम्पर्क रखा जाता है और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा बार बार छापे मारे जाते हैं ।

(6) रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों की सरकारी रेलवे पुलिस तथा सिविल पुलिस के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि बेहतर समन्वय हो सके और कारगर ढंग से अपराधों की रोकथाम की जा सके और उनका पता लगाया जा सके।

(7) रेलें अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से यात्रियों और माल की सुरक्षा के लिए बहुत चिन्तित है और सभी आवश्यक उपाय करती रही है जैसे :–

(क) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है ऐसी घटनाओं की ओर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाया जाता है ताकि उन पर उचित निवारक कार्रवाई की जा सके और राज्य पुलिस के साथ सभी स्तरों पर समन्वय बैठकें की जा सकें।

(ख) पुलिस के महा निरक्षकों के आवधिक सम्मेलन में यह विषय उठाया जाता है।

(ग) सवारी डिब्बों में सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की जाती है और सुरक्षा के उपायों में सुधार किया जाता है।

(8) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के पूर्वी राज्यों में चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में धन्य अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं से चिन्तित होकर रेलमन्त्री ने धन्य अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से 2–3–73 को नयी दिल्ली में इन राज्यों के गृह मन्त्रियों और पुलिस महानिरीक्षकों की एक बैठक बुलायी। इस बैठक के फलस्वरूप केन्द्र और राज्य सरकारों के ऊंचे वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है जो बैठक में दिये गये विभिन्न सुझावों की पूरी तरह जांच करेगा, इस समस्या का कारगर हल निकालेगा और रेल मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

ताम्बरम रेलवे स्टेशन की सोडा वाटर की दुकान से लाइसेन्स शुल्क को कम करना

5863. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दक्षिण रेलवे के मद्रास बीच और ताम्बरम रेलवे स्टेशनों के बीच सोडा वाटर की दुकानों पर कितनी बिक्री हुई और प्रत्येक दुकान पर कितनी लाइसेन्स फीस लगाई गई :

(ख) क्या मद्रास पार्क में ताम्बरम से अधिक बिक्री होने पर भी मद्रास पार्क की दुकान का लाइसेंस शुल्क ताम्बरम की दुकान से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक पुरा विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों की सूचना रहेगी सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग): मद्रास पार्क स्टेशन पर केवल एक सोडा वाटर का स्टाल है जबकि ताम्बरम स्टेशन पर फल और सोडा वाटर का एक मिला-जुला स्टाल चल रहा है। ताम्बरम स्टेशन के फल और सोडा वाटर वाले मिले-जुले स्टाल की तुलना में मद्रास पार्क स्टेशन के सोडा वाटर स्टाल की बिक्री कम है।

छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में रेलवे स्टेशनों से इमारती लकड़ी के हटाये जाने के लिए बैगन

5864. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों के न मिलने के कारण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर इमारती लकड़ी खराब हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु समय पर वेगन उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख): इमारती लकड़ी का यातायात सामान्यतः निम्नतय प्राथमिकता वाले वर्ग 'ई' के अन्तर्गत होया जाता है और इसलिए जिन क्षेत्रों से उच्च प्राथमिकता वाला यातायात भी प्रारम्भ होता है उनकी मांगें पूरी करने में कुछ विलम्ब हो जाता है। फिर भी, लदान में वृद्धि की गयी है और अगस्त 1972 से फरवरी 1973 तक की अवधि में कुल 10,163 माल डिब्बों में इमारती लकड़ी का लदान किय गया जबकि 1971–72 की इसी अवधि के दौरान 9,596 माल-डिब्बों का लदान हुआ था। इस यातायात की यथासम्भव शीघ्र निकासी के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

Campaign to Educate Passengers by Akhil Bhartiya Balchar Sanstha.

5865. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Akhil Bhartiya Balchar Sanstha (All India Scouts Organisation) has launched a campaign to educate Railway passengers ; and

(b) whether this organisation will be paid anything in the form of salary or remuneration etc. by the Railways ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No. However, as a part of Silver Jubilee of Indian Independence Day Programme, members of Bharat Scouts & Guides Organisation observed the Railway Service Day on 28th January 1973 at selected stations on Indian Railways. At these stations, the scouts helped in putting travelling public in queues, keeping the railway premises clean, checking ticketless travelling, assisting in supplying drinking water to passengers etc.

(b) No salary or remuneration was or will be paid to them.

Increasing the Production of Chemical Fertilizer in Sindri and other Factories

5866. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemical** be pleased to state :

(a) whether a scheme to increase the production of certain chemical fertilizers in the Sindri and other factories is under consideration of Government; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) &(b). Apart from the normal repairs and renovations programme designed to make the best possible use of the available facilities, a modernisation scheme is under consideration. This scheme envisages an increase in nitrogen production at Sindri from about 90,000 tonnes per annum to about 2,55,000 tonnes per annum using fuel oil/heavy petroleum fractions as feedstock. This would be in lieu of coke/coke-oven gas presently being used as feedstock at Sindri. The estimated cost of the modernisation scheme would be about Rs. 96 crores.

Detailed studies are under way in regard to possible locations where additional fertilizer capacity can be created during the fifth plan period.

Work on Rajasthan Canal

5867. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the work on the Rajasthan Canal Project has come to a standstill as a result of disruption of the Muktsar-Ganganagar Electricity Supply arrangement at many places by certain farmers of Punjab ;

(b) whether Ganganager District has so far been getting 1½ lakh units of electricity daily on its share from Bhakra; and

(c) when the work on the Rajasthan Canal would be resumed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (c): As a result of the disruption of the Muktsar Ganganagar transmission line, power supply to Rajasthan Canal Project remained suspended during the last week of January, 1973 bringing the construction work on the main canal almost to a stand still. The power supply was restored after a week.

(b) Ganganagar has been getting 1,20,000 to 1,50,000 units of electricity daily from Bhakra.

राज्यों में बिजली की उत्पादन लागत

5868. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत कितनी है और बड़े तथा छोटे उद्योगपतियों एवं घरेलू कार्य के लिए बिजली का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली किस 'दर' पर दी जाती है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन की एकीकृत लागत का विवरण उपाबन्ध 'क' में संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4703/73).

बड़े और छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा घरेलु उपभोक्ताओं को जिन औसत दरों पर बिजली बेची जाती है, उपाबन्ध 'ख' पर दिए गए विवरण में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4703/73).

विद्युत की मांग और सप्लाई

5869. **श्री ज्योतिर्मय बसू**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मई, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि में विद्युत की राज्यवार, मांग और सप्लाई कितनी थी ;

(ख) क्या सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) मई, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि के दौरान बिजली ऊर्जा का मिलियन यूनिटों में राज्यवार मांग और सप्लाई का विवरण, उपाबन्ध के रूप में संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4704/73).

(ख) और (ग) मई से सितम्बर 1972 तक की अवधि के दौरान, अधिकतर राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी संतोषजनक थी। बहरहाल, उसके पश्चात् मानसून के फेल होने और विद्युत मांग में वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप स्थिति खराब हो गई। इस वर्ष मानसून शुरू होने तक कठिन विद्युत सप्लाई की स्थिति के चालू रहने की सम्भावना है ।

बोनस के बारे में आल इण्डिया रेलवेमेन फैडरेशन का रवैया

5870. **श्री ज्योतिर्मय बसू :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आल इण्डिया रेलवेमैन फैडरेशन द्वारा संसद सदस्यों में बांटे गये एक पर्चे की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बोनस के बारे में अपने रवैये की व्याख्या की है, और

(ख) यदि हां, तो उसे पर उनकी क्या टिप्पणियां हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार करना होगा ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई

5871. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सतत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : 1970–71 में कृषि मंत्रालय ने चुने हुए चिरकाल से सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए 100 करोड रुपये के कुल परिव्यय से सूखा प्रवण क्षेत्रों क लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र कार्य क्रम प्रारम्भ किया है। 13 राज्यों में 54 चुने हुए जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अंग लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण, सड़कें आदि हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था को सर्वोतपरि प्राथमिकता दी गई है। स्वीकृत स्कीमों की लगभग 112 करोड़ रुपये की कुल लागत में से, लघु सिंचाई स्कीमों की लागत लगभग 59 करोड़ रुपये है। ये स्कीमें 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए उद्दिष्ट हैं।

पांचवीं योजना में, कार्यान्वियन के लिए नई वृहत तथा माध्यम परियोजनाओं को जांच करते समय ऐसी परि योजनाओं को प्राथमिकता देना प्रस्तावित है जो की कृषि मंत्रालय और सिंचाई आयोग द्वारा अधिज्ञात सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगे। अधिक जल वाले क्षेत्रों से स्थान्तरित किए जाने वाले जल का अधिकतर उपयोग भी सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

पेट्रोलियम उत्पादकों की आवश्यकता

5872. **श्री एस० ए० मुगनन्तम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में पैट्रोलियम उत्पादों की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है ;

(ख) भारत में उत्पादन से कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ;

(ग) भारत के कुल पैट्रोलियम उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों का भाग कितना है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र में पैट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) निम्नसारणी वर्ष 1973 के लिए कच्चे तेल एवं शोधित पैट्रोलियम उत्पादों की कुल अनुमानित आवश्यकताओं एवं देशीय उपलब्धता को दर्शाती है :–

(मिलियन मिटरीक टनों में)

	देशीय	आयातित	कुल
कच्चा तेल	7.33	13.95	21.30
शोधित उत्पाद	19.7	4.4	24.1

(ग) वर्ष 1973 में भारत के कुल उत्पादन में सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं का हिस्सा 62 प्रतिशत अनुमानित है।

(घ) सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं की क्षमता को उचित ढंग से विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि पांचवी योजना अवधि के अन्त में कुल क्षमता लगभग 42 मिलियन मिटरीक टन उपलब्ध हो सके। यह अनुमान है कि उस समय इस सकल क्षमता में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 80 प्रतिशत होगा

वर्ष 1969 से अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि

5873. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 के अन्त से लेकर विदेशी तेल कम्पनियों को अशोधित तेल के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि करने की मंजूरी दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): 1968 से फरवरी 1970 के दौरान कच्चे तेल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वास्तव में इस अवधि के दौरान कीमतों से तीन बार कमी की गई थी। तथापि, नवम्बर, 1970 में तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि किये जाने की मांग की जाती रही है। अप्रैल, 1973 तक मांगी गई कुल वृद्धियां निम्न प्रकार हैं :–

	यू० एस० सैन्टस प्रति बैरल
बर्माशैल तथा कालटैक्स	97.0
एस्सो	83.7

गैरसरकारी ठेकदारों द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कोयल की सप्लाई

5874. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान कोयले की सप्लाई के लिए गैर-सरकारी ठेकेदारों पर निर्भर रह के कारण भारी संकट में है।

(ख) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा धीमें काम करने के कारण उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उमके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : जी नहीं, नान कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व, गैर सरकारी कोयला संभरकों द्वारा सप्लाई किया गया कोयला कुछ मामलों में निर्धारित विशिष्टियो से घटिया पाया गया था। इसने संविदा में निहित शक्तियों को आकर्षित किया। जब यह मामला दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विचाराधीन था, और गैर सरकारी कोयला संभरकों ने कोयला सप्लाई करना या तो बन्द कर दिया अथवा स्थगित कर दिया था। अतः दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से कोयले की सप्लाई की व्यवस्था की। इसके फलस्वरूप, कोयला की सप्लाई नियमित रूप से प्राप्त हो रही है और कोयले का संचय कर लिया गया है।

संविदा के अनुसार, कम सप्लाई के लिए प्रतिभूत जमा से 25 पैसे प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूली-योग्य है। प्रतिभूत जमा पहले ही संस्थान के पास है। संविदा में किए गए प्रावधान के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

ब्यास इलैक्ट्रिसिटी वर्क्स यूनियन, चण्डीगढ़ की कोआर्डीनेशन कमेटी से प्राप्त ज्ञापन

5875. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्यास इलैक्ट्रिसिटी वर्कर्स यूनियन, चन्डीगढ़ की कोआर्डीनेशन कमेटी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें शामिल हैं :-

(1) 1971-72 वर्ष के लिए 8.33 की दर पर बोनस ;

(2) बिजली रियायतें ;

(3) अनुग्रहपूर्व अदायगियां; और

(4) सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यालयों के गठन की तिथि से परियोजना-भत्ता (चण्डीगढ़ में नियुक्त कर्मचारियों सहित) ।

(ग) इन मांगों पर व्यास निर्माण बोर्ड की स्थायी समिति ने फरवरी, 1973 में विचार किया था तथा अब सम्बन्धित कर्मचारी बोनस तथा बिजली रियायतों के स्थान पर 1-10-1972 से 8.33% की दर पर बिजली बोर्ड भत्ता अथवा बोनस और सेवांत लाभों के स्थानों पर 4 की दर पर बिजली बोर्ड भत्ता लेना चुन सकते हैं । पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1969-70 वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत 1 की दर पर अनुग्रहपूर्ण अदायगी तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए उनके मूल बोर्ड द्वारा स्वीकृत 7 दिन की मजदूरी व्यास परियोजना में कार्य कर रहे उन मजदूरों के लिए स्वीकृत की जा चुकी है जो इन दोनों बोर्डों से लिए गए हैं ।

Getting up of Thermal Power Station in Coal Fields in Madhya Pradesh

5876. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to stae :

(a) whether coal suitable for generating power is available in large quantity in Madhya Pradesh

(b) Whether Government of Madhaya Pradesh are urging upon the Central Government time and again for setting up of thermal power stations in coal fields ; and

(c) if so, the reasons for not taking action in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes sir. Large quantity of coal mostly of inferior grade suitable for power generation, is available in Madhya Pradesh.

(b) & (c) . Madhya Pradesh Government had submitted proposals for setting up thermal power stations in the State near the coal fields. The extensions (3×120 MW) at Korbar & Amarkantak have been sanctioned and work on these has commenced. The project reports for setting up large thermal power stations at Satpura and near Singrauli mines have been received and are under examination. Government have also appointed a Committee to select sites for setting up of large thermal power stations near pit-heads and the Committee has been asked to select two suitable sites in Madhya Pradesh.

Generation of Power through National Grid

5877. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether power generated at far-off places by transporting coal there is more costly than the power generated in the coal fields and then supplied to far off places through national grid; and

(b) if so, the difficulties being experienced by Government in producing and supplying cheap and sufficient quantum of electricity through national Grid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) Techno-economic studies carried out in the Central Water and Power Commission indicate that relative economies of electrical transmission of bnlk power and transportation of coal are dependent on a number of factors and vary considerably. It would not be correct to generalise that pit-head power stations are always preferable to power stations at load centres.

(b) Installation of large thermal power stations involves considerable investigations with regard to the availability of suitable sites which are near the coal fields and which have adequate supply of cooling water. Planning and designing of such large thermal powerstations consequentely take considerable time. Long delivery periods are required for supply of indigenous equipment to be installed in the thermal power stations. The production capacity of the mines has also to be planned and coordinated in order that the coal is available in time for the power stations. Indigenous equipment for 400 Kv extra high tension transmission lines is so far not available in the country and will be developed only in the Fifth Plan.

रेलवेमैनों की सहकारी आवास समितियों को दिल्ली के निकट भूमि का आवंटन

5878. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय की नीति रेलवेमैनों को गृह निर्माण सम्बन्धी कार्यों में उन्हें उत्साहित करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली अथवा दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों में पड़ी अतिरिक्त रेलवे भूमि को रेलवे मैनों की सहकारी आवास समितियों को आवंटित करने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय के पास कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) कोई फालतू भूमि उपलब्ध नहीं है । फिर भी, रेलवे कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की जाती है ।

सिंचाई और विद्युत विभाग में काम कर रहे इंन्जीनियर और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही

5879. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत विभाग में काम कर रहे इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पर्यवेक्षण नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे द्वारा बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों को बिजली की सप्लाई

5880. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली की सप्लाई ठप्प करने के प्रयासों को देखते हुए सरकार बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों को बिजली की सप्लाई करने के लिए अपनी निजी व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अवधि में बिजली की सप्लाई को इस प्रकार ठप्प होने से रोकने के लिए सरकार का विचार क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

5881. **श्री अनादिचरण दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारतीय स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान उड़ीसा में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण किया गया ; और

(ख) जिला-वार गांवों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जैसा कि उड़ीसा राज्य में बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया है राज्य में भारतीय स्वतंत्रता के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान अब तक 52 आदिवासी/हरिजनों गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं ।

(ख) ग्रामों के जिलावार नाम, इस प्रकार हैं :–

जिला	गांवों की सं०	गावों के नाम
क्योंझर	15	पालसा, झार ग्राम, त्रासुगांव, बसुदेवपुर, तातां, कसिया अगुतिया, सिराकलैं, कापसपारा, टोकरो, पातला, ससांग, केनता, महेश्वरपुर, जामुडाल
कोरापुट	16	बिक्रमपुर, सउनों, दुतागुडा, संमासोगांव, कामलोपुट, महलिया पुट, कालिया गुड्डा, सनपडिया, जगन्नोगुड्डा, वेजावल, मेंजर, नुआगुडा, कालिंदा
फूलबानो	1	हिलुंग । गनोपुर, भटाचिचो, कुनतुरो वाले
सुन्दरगढ़	20	रूपोदिहो, कुर्गा, कोनापालो, बालोजुरो, कैकानर, रत्नपुर, अंगोपुण्डा पतरापलो, झारमुडा, लंगाहुराज, कुसिगा, राजपुर, बिरिटोला, हिमरोपुर भगपलो, पंचमहल, तसलदेहि, चत्तनपलो, बरतकांला, झारियापलो ।

बायरी और धनमंडल रेलव स्टेशनों (दक्षिण पूर्व रेलव) के बीच बारोथानगड्डा पर नया रेलवे स्टेशन खोलना

5882. **श्री अनादिचरण दास :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दक्षिण पूब रेलवे के बायरी और धनमंडल स्टेशनों के बीच वारी-थान गूड्डा पर नया रेलवे स्टेशन खोलने का है ।

रेल मंत्रालय में उपमं त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी हां, दक्षिण-पूर्व रेलवे में बायरी और धन मंडल स्टेशनों के बीच वारीथेंगढ़ पर गाड़ी हाल्ट खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Survey for Laying Railway Lines in Hilly Areas

5883. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have sent any teams to the hilly areas to conduct survey for running trains there, if so, the names of the states to which these hilly areas belong ;

(b) if no survey teams have been sent in this regard, whether Government propose to send such teams in the hilly areas in the near future, and if not whether Government have any scheme under consideration to run trains in these hilly areas without conducting any survey ;

(c) if so, the time by which this proposal would be accepted ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes. In Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Assam, Orissa and Tripura States, surveys for important new lines are being carried out, where more or less hilly terrains are encountered.

(b) to (d). It is not possible to construct new lines without carrying out surveys. As regards new lines in States mentioned (a) above, the proposal will be further considered after the surveys are completed and the reports thereon examined from all aspects.

Trains for Hilly Areas

5884. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he or his Ministry has been receiving repeated requests from the people living in hilly areas for running trains there; and

(b) if so, the steps taken so far by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Survey are at present in progress for new lines in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Assam, Orissa and Tripura States, where more or less hilly terrains are encountered. Further consideration to the proposals for the construction of these lines will be given after the surveys are completed and the reports thereon are examined from all aspects.

मुख्य एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सूखा राहत कार्य

5885. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश की मुख्य एवं मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सूखा राहत के रूप म किए गए कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इनके अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और उन के वेतन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इन कार्यों के परिणामस्वरूप क्या स्थायी लाभ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कमी वाले क्षेत्र को राहत देने के लिये मिरजलातूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना]

5886. **श्री अण्णा साहिब गोटखिडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कमी वाले क्षेत्र को राहत देने के लिये मिरज-लातूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी देने की घोषणा की है ;

(ख) तत्काल आरम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या मिराज और संगोला के बीच के मार्ग का काम भी इसी के साथ आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वह कार्य किस तारीख को आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख): 26 फरवरी, 1973 को रेल मंत्री द्वारा दिये गये बयान में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि मिरज लातूर खण्ड में मिट्टी डालने का काम सूखा राहत कार्य के रूप में किया जायेगा ।

(ग) और (घ) : मिरज से लातूर तक के खण्ड में लिये जाने वाले कामों में यह काम पहले से ही शामिल है ।

पांचवी योजना के अधीन बनाई जाने वाली नई रेल लाइनें

5887. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक रेलवे जोनों में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अधीन कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनें बनाये जाने की प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या प्राथमिकता निर्धारित करते समय क्षेत्रीय विषमता को ध्यान में रखा जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पांचवी योजना में जिन नयी लाइनों पर निर्माण-कार्य शुरु किये जाने की संभावना है उनके बारे में विनिश्चय योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय, देश क आर्थिक विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा ।

मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के समापन के लिये उड़ीसा को तदर्थ सहायता

5888. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से मध्यम दर्जे की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने तथा नई परियोजनाओं को चालू करने के लिये तदर्थ सहायता देने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वर्ष 1972–73 तथा वर्ष 1973–74 में प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार अनुरोध करती रही है कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिये उन्हें राज्य योजना के बाहर विशेष केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था की जाए ।छः ऐसी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं नाशयम सलिया, घोडाहाडे, बहुड़ा (चरण-एक), उन्तेयो, बधुआ और डाहुका के साथ-साथ महानदी डेल्टा परियोजना जिसका त्वरित निर्माण आगामी तीन वर्षों में महत्वपूर्ण योजनात्मक सिंचाई शक्यता के निर्माण में सहायक हो सकता है, के लिए ऐसी सहायता प्रदान करने के प्रश्न की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

पत्तनों से खाद्यान्न की ढुलाई के लिये किये गये प्रबन्ध

5889. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि : फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 1973 में प्रत्येक पत्तन के लिये प्रतिमास आवंटित वैगनों की संख्या और क्षमता के संदर्भ में फरवरी, 1974 के बाद से पत्तनों पर उतरने वाल खाद्यान्न की शीघ्र ढुलाई हेतु प्रत्येक पत्तन के लिये रेलवे ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : कृषि मंत्रालय से प्रतिमास प्राप्त माल डिब्बों की मांग क कार्यक्रम के अनुसार, जो विभिन्न बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों की प्रत्याशित आमद पर आधारित होता है, आयातित खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई की व्यवस्था प्राथमिकता की मद "बी" में की जाती है । फरवरी और मार्च 1973 के दौरान माल डिब्बों के दैनिक कोटे इस प्रकार थे :

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
फरवरी, 73	220	50
मार्च, 73	355	165

बन्दरगाहों से आयातित खाद्यानों की ढुलाई अति उच्च प्राथमिकता पर की जाती है, अतः सामान्यतः शीघ्र निकासी करने में कोई कठिनाई नहीं होती ।

मनीपूर तक रेलवे लाइन का विस्तार

5890. **श्रीमति ज्योत्सना चन्दा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना में मनीपुर तक रेल लाइन का विस्तार करने के लिये सर्वेक्षण करने का है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे पांचवी योजना में शामिल करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : सिलचर से जीरीघाट तक मीटर लाइन के विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण पहले से ही किया जा रहा है । फिर भी, सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे और विचार किया जायेगा ।

भारतीय उर्वरक निगम के कुप्रबन्ध के बारे में संसद सदस्यों से मिली शिकायतें

5891. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1972 के सामाचार पत्र "टाइम्स आफ इंडिया" में "चेरी प्रास्पेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय लख की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि भारतीय उर्वरक निगम में कुप्रबंध का दोष स्पष्टत: प्रबंधकीय अकुशलता पर है ;

(ख) क्या सरकार को संसद-सदस्यों से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों का सार क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस बारे में कुछ शिकायतें इस सुझाव के साथ प्राप्त हुई हैं कि कार्यकुशलता के हित में निगम के उच्च प्रबन्धकों को बदल देना चाहिए । इन पर विचार किया जा रहा है ।

बहुप्रयोजनीय बैरक परियोजना

5892. **श्रीमति ज्योत्सना चन्दा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुप्रयोजनीय बैधक परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को शुरु करने का है ?

सिंचाई और विद्यत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : भुबन्धर स्थल पर बारक बांध की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा तैयार कर दी गई है तथा अप्रैल, 1972 में असम सरकार को भेज दी गई थी । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए इनको मणिपुर राज्य सरकार के साथ उससे प्रभावित जनसंख्या, जलमग्न भूमि आदि से संबंधित मामलों पर अभी विचार-विमर्श करना है । उसके बाद इसको राज्य योजना के भाग के रूप में कार्यान्वित करने के लिए, योजना आयोग की स्वीकृति उपलब्ध करने के लिए योजना पर अनुरूप कार्यवाही की जाएगी ।

Posts Sanctioned for Hindi Work in the Ministry of Irrigation and Power

5893. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of posts sanctioned for Hindi work in his Ministry ;

(b) whether regular appointments have been made against all these posts; and

(c) if not, the steps being taken to check delay in regularising the appointments made against the posts sanctioned for Hindi Work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) :

(a) Ten.

(b) & (c) Six posts have been filled on regular basis. The remaining posts are at present filled on ad-hoc basis. These will be filled on regular basis as soon as recruitment rules have been finalised.

Employees Working in Work-Study Unit of C. W. and P.C.

5894. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of employees working in the Work-Study Unit of the Central Water and Power Supply Commission along with the qualifications prescribed for them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) :

A statement giving the requisite information is attached.

STATEMENT

Designation of post	*No. of posts*	*Qualifications*
Deputy Director (Engineering)	One	No specific qualifications have been prescribed for officers working in the Works Study Unit. However, according to requirements, an Engineer of the rank of Deputy Director/ Executive Engineer has been posted as Head of the Unit. He is assisted by one Senior Professional Assistant and two Assistants who have been trained in Works Study methods.
Senior Professional Assistant (Statistics)	One	
Assistants	Two	

Arrangements made for Implementation of Official Language Act in the Ministry of Irrigation and Power

5895. Shri Yamuna Prasad Mandal: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the arrangements made for the implementation of Official Language Act in his Ministry;

(b) the number of posts sanctioned therefor and the number of regular appointments made so far;

(c) whether regular appointments to the posts of the Hindi Officers and some Translators have not been made on the basis of proper selection; and

(d) if so, the steps being taken to remove the irregularities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) :

(a) In accordance with the provisions of the Official Languages Act progress use of Hindi is being made in the Ministry's work. A fullfledged Hindi Section has been set up. Replies to letters received in Hindi in the Ministry are sent in Hindi. All Resolutions, Notifications, Administrative Reports, etc. are being issued in Hindi in addition to English. The staff are encouraged to use Hindi in Official work. The progress made in this regard is reviewed from time to time by the Official Languages Implementation Committee set up in the Ministry.

(b) Ten posts have been sanctioned of which six posts have been filled on regular basis.

(c) The post of Hindi Officer has been filled on regular basis but the incumbent is at present on deputation to another office. The resultant vacancy has been filled on ad-hoc basis. The posts of Hindi Translator Grade I and Hindi Translator Grade II, have been filled on *ad-hoc* basis pending the finalisation of Recruitment Rules.

(d) Appointments to the posts of Hindi Translator would be made on regular basis as soon as the Recruitment Rules have been notified.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्य अध्ययन यूनिट की सिफारिश

5896. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एस० एम० आर० एस० और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अन्य विभागों तथा निदेशालयों के लिए कार्य अध्ययन यूनिट की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान प्रत्येक विभाग और प्रत्येक निदेशालय के अध्ययन के लिए कार्य अध्ययन-यूनिट ने कितना समय लगाया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । (ग्रंथालय में रखा गाया । देखिये संख्या एल० टी० 4705/73)

केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग का कार्य अध्ययन विभाग

5897. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्य अध्ययन यूनिट में कितने कर्मचारी हैं और उनके कर्त्तव्य क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान अध्ययन कितने निदेशालयों/विभागों में शुरू किया गया है और इसका क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

1 **कार्य अध्ययन यूनिट में अधिकारियों की संख्या**

उप-निदेशक	एक
वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक (सांख्यिकी)	एक
सहायक	दो

2. **कार्य अध्ययन यूनिट के कार्य**

(एक) संगठनात्मक संरचना, कार्य पद्धतियों तथा प्रक्रिया का ऐसे उपाय सुझाने के उद्देश्य से अध्ययन करना जिनसे संगठन की कार्य-कुशलता में सुधार किया जा सके ।

(दो) प्रशासनिक कुशलता के अनुरूप कर्मचारियों में मितव्ययिता सुझाने के उद्देश्य से आयोग के अधीन संगठनों के कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन करना,

(तीन) आयोग से संबंधित विशिष्ट कार्य के लिये कार्य निष्पादन तथा कार्य के मानदण्डों का विकास करना।

3. 1972-73 **के दौरान कार्य अध्ययन यूनिट द्वारा जांच किये गये निदेशालयों/प्रनुभागों की संख्या ।**

1972–73 के दौरान कार्य-अध्ययन यूनिट ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के 13 निदेशालयों/प्रनुभागों का कार्य अध्ययन किया था ।

4. **कार्य अध्ययन यूनिट की सिफारिशों के परीणाम**

कार्य अध्ययन यूनिट ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में अनेक पदों के सृजन करने की सिफारिशों की हैं । इन पर बिचार किया जा रहा है ।

बोंगाई गांव से गोहाटी के बीच की मीटर गेज लाइन को बरौड गेज लाईन में बदलना

5898. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाई गांव से गोहाटी के बीच की मीटर गेज लाइन को बरौड गेज लाइन में बदलने सम्बन्धी योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण किया जा चुका है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) बोंगाई गांव-गोहाटी मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का काम रेलों की आमान परिवर्तन संदर्शी योजना में शामिल कर लिया गया है । इस आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षणों का काम पूरा हो गया है और इस समय रिपोर्टों की जांच की जा रही है । आर्थिक अध्ययन भी किया गया है । इस आमान परिवर्तन योजना पर तत्परता से विचार किया जा रहा है और रिपोर्टों तथा आर्थिक अध्ययन की सभी पहलुओं से जांच करने के बाद कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

Increase in Ticketless Travelling on North Eastern Railway.

5899. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether ticketless travelling in the North Eastern Railway has increased heavily during the last one year ;

(b) If so, the steps taken to check it; and

(c) the extent to which ticketless travelling has been checked as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quareshi)

(a) No.

(b) Apart from effective propaganda against such social evils, the following steps will continue to be taken :—

(i) In addition to regular and surprise checks, massive checks by mobilising large forces of ticket checks staff, Railway Protection Force and Government Railway Police accompanied by Railway Magistrates will be conducted on vulnerable sections.

(ii) Joint drives with the cooperation of the State Governments will be carried out.

(iii) Punishments for erring employees and rewards for those rendering exemplary service will be awarded to ensure effective staff participation.

(iv) An ad-hoc organisation consisting of 50 Travelling Ticket Examiners, assisted by Railway Protection Force Personnel, under the charge of a serior Scale Officer is conducting intensified drive against ticketless travel in North Bihar Portion of North Eastern Railway.

(c) The number of persons detected travelling without or with improper tickets came down from 1,49,777 in 1971 to 1,44,489 in 1972 registering a fall of more than 3%.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं मोटर-गाड़ियों द्वारा टक्कर मारकर और चोट पहुंचाकर भाग जाने के मामलों में प्रतिकर के सम्बन्ध में विधि आयोग के 51वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

79वां प्रतिवेदन

श्री सेमियान (कुम्बोणम) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (रेल) में सम्मिलित रेल परिचालन, व्यय आदि से सम्बन्धित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 79वा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

संयुक्त समिति में सदस्यों का नामनिर्देशन

श्री एस० एम० सिद्धया (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रति-निधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में, श्री आर० डी० भंडारे की इस सभा की सदस्यता न रहने और सर्वश्री सुबोध हंसदा तथा डी० पी० यादव द्वारा उक्त संयुक्त समिति से त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, सर्व श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, ए० एम० चेलाचामी और अमरसिंह चौधरी को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में, श्री आर० डी० भंडारे की इस सभा की सदस्यता न रहने और सर्वश्री सुबोध हंसदा तथा डी० पी० यादव द्वारा उक्त संयुक्त समिति से त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, सर्वश्री कृष्ण चन्द्र पन्त, ए० एम० चेलाचामी और अमरसिंह चौधरी को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खान (संशोधन) विधेयक

MINES (AMENDMENT) BILL

एक सदस्य का नामनिर्देशन और संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि का बढ़ाया जाना।

श्री ए० पी० शर्मा (वक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री बाल गोविन्द वर्मा द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री पुरुषोत्तम काकोडकर को नियुक्त करती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री बालगोविन्द वर्मा द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री पुरुषोत्तम काकोडकर को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री ए० पी० शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

श्री अटल विहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : वह अवधि बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं। ऐसा दूसरी बार किया जा रहा है।

श्री ए० पी० शर्मा : इस समिति की 28 मार्च, को जो बैठक हुई थी उसमें श्रम और पुनर्वास मंत्री ने अनुरोध किया था कि उन्हें विचाराधीन विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये 7 अप्रैल, 1973 तक समय दिया जाये। उसके बाद सदस्यों से संशोधन प्राप्त करना और निर्धारित समय के अन्दर प्रतिवेदन पर खण्डवार चर्चा करना और उसे पास करना सम्भव नहीं था। इसलिये समिति ने निर्णय किया कि आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति ले ली जाये। समिति 4 मई, 1973 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहती थी परन्तु इस बीच कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस मामले के सम्बन्ध में मैंने कुछ प्रश्न उठाये थे और श्रम मंत्री अधिक समय चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री किरुतिनन (शिवगंज) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिल नाडु में रामानाथपुरम जिले और धर्मपुरी जिले को सूखाग्रस्त जिले घोषित किया गया था और सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपय की धनराशि आवंटित की गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केवल धर्मपुरी जिले को शामिल किया गया है और इस योजना अवधि में 4 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने का विचार है परन्तु इसमें रामनाथपुरम जिले को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार रामनाथपुरम के साथ अन्याय किया गया है। मैं मांग करता हूं कि रामनाथपुरम को भी सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाये और पांचवीं योजना में उस जिले के लिये 2 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की जाये।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : मैं सभा का ध्यान देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्यशाली हरिजनों पर समय समय पर किये जाने वाले अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। 29 मार्च, 1973 के 'इंडियन ऐक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है कि सवर्ण हिन्दुओं के एक ग्रुप नें विसेंद पुलिस थाने के अन्तर्गत सून ग्राम में हरिजनों के एक ग्रुप पर बन्दूकों और लाठियों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप एक हरिजन मारा गया। एक अन्य मामले में अस्पताल के अहाते में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में हरजिनों के हितों की रक्षा करने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अजमेर रेलवे स्टेशन पर श्री लालजी भाई ससंद सदस्य के साथ कथित हुर्व्यवहार के बारे में

RE : ALLEGED MALTREATMENT OF SHRI LALJI BHAI, M. P. AT AJMER RAILWAY STATION

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में एक सूचना मिली है कि कुच्छ नवयुवकों ने माननीय सदस्य श्री लालजी भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर दुर्व्यवहार किया था। पन्तु वह यहां पर अब उपस्थित नहीं हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Lalji Bhai was coming to attend the sitting of this House. When he reached Ajmer, some people enquired of his ticket but they were not the railway officials. The hon'ble Member told them that they were neither railway officials nor they were in uniform. So he refused to show them the ticket. Consequently he was taken to the room of T.T.E. Railway officials also came there. The hon'ble Member told them that he is a Member of Parliament and he has the Identity Card. But he was maltreated and abused. His suit case was snatched and he was served with a cash Memo to the effect that he should be fined Rs. 201/-. When they searched his suit-case they found his identity card. Even then the Railway Officials did not apologise. The railway officials wanted to hush up this matter. This is a very serious matter and you should look into it and got this matter investigated.

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अजमेर स्टेशन पर यह जो घटना हुई थी उस पर मुझे बहुत खेद है, मैं इस मामले की अवश्य जांच करूंगा और समस्त ब्यौरा प्राप्त करूंगा। यदि यह पाया गया कि रेलवे कर्मचारियों ने, यह जानते हूए कि वह संसद् सदस्य हैं और उनके पास आईडेंटटी कार्ड (पहचान-पत्र) भी है, उचित आदर के साथ व्यवहार नहीं किया तो गम्भीर कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : दो बातें स्पष्ट की जानी चाहिये। वे लोग कौन थे जो वर्दी में नहीं थे ? वे टिकट कैसे देख सकते थे ? ऐसी बातें क्यों होती हैं ? दूसरे जब उन्होंने रेल कर्मचारियों को बताया था कि वह संसद सदस्य हैं, तो उन्होंने उन के सामान की तलाशी क्यों ली। वे माननीय सदस्य को आइडेंटटी कार्ड दिखाने को कह सकते थे। भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहिये।

अनुदानों की मांगें 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS—1973-74

औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग

Shri M. C. Daga (Pali) : Poverty cannot be removed without increasing the production. In view of this we have to harness all the resources for the development of industries. If wealth of the country can be increased by nationalising the industries, it is well and good. But we should encourage private sector as well. I am not against nationalisation but there should be a clear cut policy about it. Ambiguity creates fear and doubts in different circles. I do not want the capitalists and monopoly houses to be encouraged or the concentration of wealth. The Government should clearly define the areas of operation of public, joint and private undertakings in terms of economic criteria. In case private sector has no place in this country, the capitalists should be told that they are responsible for black money and we do not want their cooperation. On the other hand even the Prime Minister has repeatedly said that nationalisation is not the panacea for the problems the Country is beset with. In fact, Government should clearly define as to which industries are proposed to be nationalised.

In order to make use of expert knowledge of the capitalists and expertise of management, the Government has adopted the policy of joint sector. We have to treat people working in private sector equally patriotic. On one hand we criticise them but on the other hand we seek their cooperation. We cannot blow hot and cold in the same breath. There are many loopholes in Government machinery which stand in the way of industrialisation. The technical officers who have gathered valuable experience and who have the capacity to give guidance to industry should give greater attention to their developmental role. Government machinery should be tightened and there should be coordination among the Railway Ministry, Finance Ministry and other Ministries dealing with raw materials. We cannot think of industrial development in the absence of such coordination.

The amount of deposits in the banks has been increased but loans are not made available for setting up industries. It has been stated in a book published by the government that lack of adequate finance and credit has always been a major problem of small scale industries in India. They neither get finances nor raw material. It will not be out of place to mention that goods worth crores of rupees are smuggled into India. Many of the units producing perfumery goods are in the small scale industry sector, and the Government should reorient its policy towards them so as to provide it with, more credit facilities as also meeting its requirements of imports. We could earn foreign exchange worth crores of rupees. In brief Government should formulate a clear cut policy to achieve industrial development.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : वास्तव में सामाजिक विकास के लिये औद्योगिक विकास एक इंजन के समान है। औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है उस से हमारे देश और समाज की कोई भलाई नहीं हुई है। यदि एकाधिकार रोक कर और गरीबों को राहत दे कर सामाजिक न्याय प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है तो यह बहुत अच्छी बात है परन्तु आज तक जिस नीति का अनुसरण किया गया है उससे एकाधिकार में वृद्धि हुई है।

वास्तव में सरकारी क्षेत्र में बड़ी बड़ी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं परन्तु मेरे विचार में सरकार को इन सब मामलों पर नये सिरे से विचार करना चाहिये। उन्हें सोचना चाहिये कि उन्हें अपने आप को मूल उद्योगों तक कहां तक सीमित रखना है और कहां तक घरेलू काम में आने वाली वस्तुएं बनाने वाले उद्योग स्थापित करने हैं। एक ओर सरकारी क्षेत्र के मूल उद्योगों में निरन्तर घाटा हो रहा है और दूसरी ओर एकाधिकार गृह दिन प्रतिदिन अधिक लाभ कमा रहे हैं। वे सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और फिर इस ढंग से व्यापार को चलाते हैं कि उन्हें बहुत लाभ होता है। इन पूंजीपतियों के सामने एक ही ध्येय होता है और वह यह कि किसी न किसी ढंग से धन बटोरना है। अतः सरकार को देश में औद्योगिक विकास के बारे में फिर से विचार करना चाहिये। हमें घरेलू खपत की और जनता के लिये अधिक आवश्यक वस्तुएं बनाने पर अपना ध्यान संकेद्रित करना चाहिये। इस समय घरेलू खपत की अधिकांश वस्तुएं एकाधिकार क्षेत्र में बनाई जा रही हैं जिसके कारण उनके मूल्यों में बार बार वृद्धि होती जा रही है। वे बनावटी कमी की हालत पैदा कर देते हैं और जब मांग अधिक होती है और सप्लाई कम होती है तब मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं। क्या मंत्री महोदय ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिस से यह पता लगाया जा सके कि ये बड़े एकाधिकार गृह लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार उत्पादन क्यों नहीं करते हैं। जो लोग क्षमता से कम उत्पादन करते हैं उनके विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? औद्योगिक विकास, रोजगार और उत्पादन परस्पर सम्बद्ध हैं। अब बिजली की कमी के कारण अनेक उद्योग बन्द कर दिये गये हैं या उन्हें स्थानान्तरित करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हुआ है। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि योजना स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

जहां तक उद्योगों के लिये धन की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है औद्योगिक विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और लाइसेंस प्राप्त उद्योग सम्बन्धी आयोग में समन्वय होना चाहिये अन्यथा वित्तीय संस्थाओं पर समुचय नियंत्रण रखना कठिन होगा और देश में औद्योगिक विकास को योजनाबद्ध तरीके से प्रगति में बाधा पड़ेगी। हमें पता लगा है किये वित्तीय संस्थान गैर–सरकारी क्षेत्र को अधिकाधिक वित्त दे रहे हैं और वह 20 बड़े–बड़े गृहों तक सीमित है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि जुलाई, 1971 और जून 1972 के बीच 164 करोड़ रुपये का वित्त दिया गया है। इसका अधिकांश भाग गैर–सरकारी क्षेत्र को गया है। इससे हमारी सुनियोजित अर्थ–व्यवस्था का सामाजिक उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा ?

पश्चिम बंगाल के उद्योगों के विकास के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा अपर्याप्त सहायता दिये जाने के क्या कारण हैं ?

यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक विकास मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिये ताकि लघु उद्योगों को, जहाँ आवश्यक हो, सहायता दी जा सके।

यह कहा गया है कि लघु उद्योगों का विकास करना सरकार की नीति है परन्तु जब भी छोटे निर्माता या सहकारी समितियां वित्तीय संस्थानों या बैंकों के पास सहायता के लिये पहुंचती हैं तो उन्हें उचित सहायता नहीं मिलती। इस दिशा में कुछ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरे पास यहां आल इंडिया स्माल स्केल लैम्प मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' का एक ज्ञापन है। वे बल्ब बनाते हैं। उनका कहना है कि बल्ब बनाने के मामले में बड़े और अधिक आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा उनकी पांच से दस गुना अधिक रोजगार क्षमता है। क्या ऐसी नीती की घोषणा करना वांछनीय नहीं है जिसमें उनको थोड़ा आरक्षण/या संरक्षण दिया जा सके और वे पनप सकें।

क्या उत्पाद–शुल्क के मामले में छोटे उद्योगों को, बित्त मंत्रालय से परामर्श करके, छूट दी जायेगी ?

सेल्यूलाइड कंघा उद्योग पर उत्पादन–शुल्क 89 प्रतिशत से 208 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। क्या इस मद पर उत्पाद–शुल्क में कुछ रियायत देना संभव होगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राम रतन शर्मा यहां नहीं हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैंने बहुत से माननीय सदस्यों का भाषण सुना, उनके भाषण से तीन बातें स्पष्ट हैं : पहली लाइसेंसों के बारे में हैं, दूसरी बड़े–बड़े व्यावसायिक गृहों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण और तीसरी लघू उद्योग के महत्व के बारे में है ।

इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने की बजाय जिस नई औद्योगिक नीति की 3 फरवरी, 1973 को घोषणा की गई है वह व्यावहारिक रूप से पुरानी नीति की पुनरावृत्ति ही है । उक्त संकल्प में यह स्पष्ट कहा गया है कि बड़े–बड़े गृहों को संयुक्त क्षेत्र के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी , जिसमें उन्हें सामान्य परिस्थितियों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

इसके पश्चात् यह बताया गया कि सरकार बड़े–बड़े व्यापार गृहों और एकाधिकार गृहों को लाइसेंस दे रही है और उन्हें विस्तार करने दे रही है । मैं प्रत्येक मामले का विस्तार पूर्वक उत्तर नहीं दे सकता लेकिन 1969 में बड़े व्यापार गृहों को 17.2 प्रतिशत लाइसेंस दिये गये । 1970 में उन गृहों को 5.5 प्रतिशत लाइसेंस दिये गये और 1972 में, जब लाइसेंसों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई अर्थात् 563 तो बड़े–बड़े गृहों का अंश 10.6 प्रतिशत हुआ । सरकार की घोषित नीति है कि बड़े–बड़े गृहों को केवल सरकार की नीति के विस्तृत ढांचे के अन्तर्गत ही विस्तार करने अथवा नया निवेश करने की अनुमति दी जायेगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की भूमिका पर आपत्ति की गई और कहा गया कि इसने उद्योगों के आधुनिकी–करण और उन्हें फिर से चालू करने के लिये ऋण देने की बजाय परामर्श देने का काय करना आरंभ कर दिया है । परामर्श देने के क्षेत्र में इस निगम ने प्रशंसनीय सेवा की है पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान उसने 60 मामलों के सम्बन्ध में कार्य किया । परामर्श देने का कार्य प्रगति की ओर एक परिवतन है ।

सीमेंट की कमी का उल्लेख किया गया है । वास्तव में सीमेंट की कोई कमी नहीं है । 1968 से लेकर प्रतिवर्ष सीमेंट का उत्पादन बढ़ रहा है । 1968 में 119.4 लाख टन उत्पादन था जिसकी 1972 में 150 लाख टन बढ़ जाने की आशा है ।

श्री के० गोपाल (करूर) : क्या मंत्री महोदय सीमेंट की मांग के बारे में बतायेंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सीमेंट की मांग बढ़ती जा रही है । अनुमान है कि यह प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह मांग 289 लाख टन तक हो सकती है अतः हमें क्षमता को बढ़ा कर 120 लाख टन करना होगा । हम पहले ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को काफी अधिक लाइसेंस जारी कर चुके हैं और चौथी योजना अवधि के अन्त तक हम 17.4 लाख टन अतिरिक्त, उत्पादन की आशा करते हैं । यह आशा की जाती है कि उत्पादन इसी प्रकार जारी रहा तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी ।

जहां तक सीमेंट क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है । यद्यपि बड़े–बड़े गृहों को उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी गई है और गैर–सरकारी उद्यमीयों का भी ऐसा करने की अनुमति दी गई है एवं यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथापि सीमेंट क्षेत्र में नये उद्यमी उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं । इस बात को देखते हुए भारतीय सीमेंट निगम जैसे सरकारी उपक्रम को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

इस सम्बन्ध में में यह बता सकता हूं कि उन्होंने छह अतिरिक्त परियोजनाओं को लिया है भारतीय सीमेंट निगम के अर्न्तगत सीमेंट के दो कारखाने चल रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं तथा पांचवीं योजना के अर्न्तगत और अधिक परियोज–नायें आरम्भ की जायेंगी !

यह कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही है । मैं इस बारे में आंकड़े दे सकता हूं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 2,231.75 लाख रुपये और आई एफ० सी० आई० ने उसी अवधि में 1,437 लाख रुपये की सहायता दी है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों को आधारभूत ढांचा तैयार करके महत्वपूण भूमिका अदा करनी है ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं सम्बन्धी योजना का विस्तार कि जा रहा है । दस प्रतिशत राज–सहायता की योजना का भी विस्तार किया जा रहा है वित्तीय संस्थानों की ओर से रियायती वित्तीय सहायता के अर्न्तगत अधिका–धिक जिलों को लिया जा रहा है । कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनके लिये शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई थी और कुछ क्षेत्र उनसे लाभ उठा रहे हैं तथा कुछ नहीं । अतः इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

*श्री ए० दूराईरासू (पैरम्बलूर) : सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में अंग्रेजी में लिखे गए मंत्रालय के नाम के नीचे मंत्रालय का हिन्दी नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हय बात 1970 में श्री राजबहादुर द्वारा दिये गए आश्वासन के विरूद्ध है। मैं हिन्दी का इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से लादे जाने का घोर विरोध करता हूं।

श्री सी० सुब्रहमण्यम द्वारा औद्योगिक विकास मंत्रालय का कार्य संभालने के एक वर्ष के अन्दर ही सरकारी क्षेत्र के छह उपक्रम, जो इस मंत्रालय के अधीन थे, ले लिये गए।

7 मार्च, 1973 को आधे घंटे चर्चा के दौरान श्री सी० सुब्रहमण्यम ने समयानल्लूर तापीय संयंत्र के सम्बन्ध में कहा था कि समयानल्लूर तापीय संयंत्र को बेचते समय द्रमुक सरकार को सोच विचार से काम लेना चाहिये था क्योंकि इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता 34 मेगावाट थी। मैं सभा के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता 14 मेगावाट थी और इससे तमिलनाडु की एक प्रतिशत मांग ही पूरी हो सकती थी। इसके अतिरिक्त 1965 में गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी कि इस संयंत्र को बंद कर दिया जाना चाहिये। इस सिफारिश को राज्य सरकार ने क्रियिन्वित किया। दूसरे अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था।

1 जून, 1970 को एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम बनाया गया था। ढ़ाई वर्ष के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 25,000 कम्पनियों में से केवल 853 कम्पनियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है जिनकी शुद्ध (नेट) परिस्थितियां गैर-सरकारी क्षेत्र की कुल कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की कुल कीमत की लगभग 50 प्रतिशत है।

चौथी योजना अवधि में औद्योगिक विकास के लिये 24,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। परन्तु अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। इस प्रकार के तुच्छ कार्यकरण का मुख्य कारण गलत लाइसेंस नीति का अनियमित क्रियान्वयन है। मंत्रालय के मंत्री महोदय के बदलने से नीति में भी परिवतन हो जाता है। एक मंत्री यदि नीती को उदार बनाता है तो दूसरा उस पर बहुत से प्रतिबंध लगा देता है।

कुछ वर्ष पहले सभा की प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि नये एककों की स्थापना के लिये उसी स्थिति में लाइसेंस दिये जायें जब विद्यमान एकक ने अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग कर लिया हो, परन्तु 1970 में उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा लाइसेंस नीति उदार बनाये जाने के कारण अनेक नये लाइसेंस जारी किये गये और जिन लोगों को ये लाइसेंस दिये गये थे उन्होंने उद्योग स्थापित नहीं किये। मंत्री महोदय इतना कर सकते हैं कि, जिन उद्योगों ने अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया हो, उन्हें नये लाइसेंस न दें।

1969 में 75 एकाधिकार गृहों को 286 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये, 1970 में 47 जारी किये गये लाइसेंसों में से 20 लाइसेंस 20 एकाधिकार गृहों को गये। इस प्रकार लाइसेंस देकर फिर जोर-जोर से चिल्लाने में क्या फायदा है कि देश में एकाधिकारी बढ़ रहे हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष जितने लाइसेंस जारी किये गये उनमें से 80 प्रतिशत लाइसेंस महाराष्ट्र को जारी किये गये। सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकांश सुविधायें भी महाराष्ट्र के उद्योगपतियों ने उठाई हैं, क्योंकि 90 प्रतिशत सरकारी वित्तीय संस्थाऐ महाराष्ट्र में स्थित हैं। इससे देश के औद्योगिक विकास के मामले में क्षत्रीय असन्तुलन बढ़ा है। इन सरकारी वित्तीय संस्थाओं के कुछ मुख्यालय अथवा उक्त संस्थाओं की शाखायें मद्रास में स्थापित की जायें, जिससे दक्षिण भारत के चार राज्य भी उक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

वार्षिक प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि हमारा देश संसार के विकास शील देशों की मांगों की पूर्ति करने में समर्थ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान इन 17 उद्योगों के लिये कितने अतिरिक्त लाइसेंस जारी किये गये हैं और ये लाइसेंस किन उद्योगपतियों को दिये गये ?

वर्ष 1972 के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भारत से जितने व्यक्ति भेजे गये, उनमें से चार दक्षिणी राज्यों के कितने व्यक्ति थे।

कुछ क्षेत्रों में कारखानों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। यह कच्चे माल के वितरण की गलत व्यवस्था के कारण है। कच्चे माल के वितरण का काम राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि राज्य सरकारें उद्योगों की समस्याओं से वाकिफ होती हैं।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ मूलभूत प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker, in the Chair.

रिपोर्ट के प्रारंभ में ही कहा गया है कि औद्योगिक विकास विभाग सरकारी और गैर–सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े मध्यम और लघु उद्योगों के व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन देकर देश के औद्योगिक के लिये उत्तरदायी हैं। मैं लघु, मध्यम और बड़े उधोगों के व्यवस्थित विकास पर अधिक बल देना चाहूंगा।

सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि केवव कुछ व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति और धन के केन्द्रीकरण को रोकने की नीति में हम कहां तक संफल हुए हैं। औद्योगिक नीति संकल्प के बारे में बोलते हुए 1956 में पं0 नेहरू ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थव्वयस्था के महत्वपूर्ण अंगों को नियन्त्रित करना चाहिये, जबकि गैर–सरकारी क्षेत्र को एक सीमा के अन्तर्गत कार्य करना चाहयि – गैर–सरकारी क्षेत्र के विकास से (1) समाज को लाभ होना चाहयि और (2) उत्पादन में अनियत्रित वृद्धि से कुछ व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति और धन का केन्द्रीयकरण नही होना चाहिए गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले लाभ का उपयोग देश की अर्थ–व्यवस्था के विकास में होना चाहिये। महालानोबिस समिति के अनुसार गैर–सरकारी क्षेत्र में अर्जित किया गया लाभ 200 उद्योग गृहों के हाथों में चला गया और बांचू समिति के अनुसार काले धन की मात्रा 7,000 करोड़ रुपये है।

आर्थिक समीक्षा में यह बताया गया है कि वर्ष 1961–62 में जो राष्ट्रीय आय 13,200 करोड़ रुपये थी, वह वर्ष 1971–72 में बढ़कर 19,200 करोड़ रुपये हो गयी थी। राष्ट्रीय आय में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु प्रति व्यक्ति आय 308 रु0 से बढ़कर केवल 348 रु0 ही हो सकी। इसमें केवल 13 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। यह सारा धन आखिर गया कहां ? चारों पंचवर्षीय योजनाओं में इस धन का दुरुपयोग होने का कारण अंकर्मण्यता और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में गलत धारणा है। सरकार ने सम्पूर्ण उपभोक्ता सामग्री उद्योग गैर–सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ रखा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सरकारी क्षेत्र में पूंजी विनियोजन के बावजूद 95 प्रतिशत और अधिक धन गैर–सरकारी क्षेत्र में है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में पूंजी क्रमश: 46.4 प्रतिशत., 54.75 प्रतिशत,. 60.6 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत पूंजी लगाई गई है। गैर–सरकारी क्षेत्र में कम पूंजी लगाने के बावजूद अमीर और अधिक अमीर क्यों होते जा रहे हैं ? घाटे की अर्थ–व्यवस्था के रूप में, सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी और कृषि क्षेत्र में विकास एवं राज सहायता के रूप में लगाये गये धन का लाभ किसने उठाया है ? यह सब धन गैर–सरकारी क्षेत्र के मुठ्ठी भर आदमियों के पास संग्रह होता रहा है। इसका कारण मिश्रित अर्थ–व्यवस्था की मूलत: गलत अवधारणा है। अब मिश्रित अर्थ–व्यवस्था से संयुक्त क्षत्र का नया सिद्धांत निकाला गया है। यह कोई नया सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार के साथ समझौता होगा। पूंजीवादी व्यवस्था का आधार ही भ्रष्टाचार है। यह संयुक्त क्षेत्र का सिद्धांत न कवल राजनीति को ही अपितु सारे शासन तन्त्र को भ्रष्ट कर देगा। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु बिक्री के लिये होती है। आठ उद्योग गृहों–टाटा, बिड़ला, मार्टिन वर्न्स, बांगड़, थापर सूरजमल नागरमल, मफतलाल और ए0सी0सी0 की पूंजी 1966–67 में 1597 करोड़ रुपये थी, जो 1969–70 में बढ़कर 2085 करोड़ रुपये हो गई। जहां तक उद्योग गृहों पर नियन्त्रण का प्रश्न है, मिश्रित अर्थ–व्यवस्था के सिद्धांत का परित्याग किये बिना एकाधिकार गृहों पर नियन्त्रण किया ही नहीं जा सकता। देश में 227 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में क्रमश: 1000, 626 और 877 लाइसेंस तथा 500, 1015 और 563 आशय पत्र जारी किये गये, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें से कितने लाइसेंस और आशयपत्र पिछड़े जिलों के लिये अथवा पिछड़े क्षेत्रों के लिये जारी किये गये। महाराष्ट्र के लिये छ: महीने की अवधि में 43 लाइसेंस और 37 आशयपत्र जारी किये गये थे, परन्तु सभी कारखाने बम्बई–पूना क्षेत्र में ही हैं। अकोला, नागपुर और चन्दा आदि विदर्भ क्षेत्रों में भी अधारभूत ढांचा उपलब्ध है, परन्तु वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा। क्या क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये भी सरकार प्रयास कर रही है अथवा नहीं ?

पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध किया जाना चाहिये। एक अन्य महत्वपूर्ण बात बिक्री के लिये गारंटी। इससे क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने में सहायता मिलेगी। देश में पहले सी ही कम साधन उपलब्ध हैं–उन्हें श्रृगांर सामग्री के उत्पादन पर खर्च मत कीजिए। सयुक्त क्षेत्र अथवा मिश्रित अर्थ–व्यवस्था के स्थान पर आज एक मात्र राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है।

श्री एस0 एल0 पेजे (रत्नगिरी) : मैं औद्योगिक विकास मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय का कार्य छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देकर देश के औद्योगिकरण में योगदान देना है ।

वर्ष 1970–71 में देश के उद्योगों के विकास को धक्का पहुंचा था, परन्तु वर्ष 1972 के पहले नौ महीनों के दौरान उद्योगों के विकास में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इस वर्ष कच्चे माल और बिजली की कमी के कारण शेष अवधि में यह विकास दर कायम नहीं रह सकेगी ।

एक करोड़ से कम पूंजी वाले उद्योगों को लाइसेंस से छूट प्राप्त है, उन्हें केवल पंजीकरण कराना पड़ता है । इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये नये उद्यमकर्ता आगे आ रहे हैं, परन्तु उद्योगों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों की बजाय पहले से ही विकसित क्षेत्रों में हो रही है । सरकार इस के कारणों का पता लगाने कि रियायतों और अन्य सुविधाओं के बावजूद उद्यमकर्ता पिछड़े क्षेत्रों की ओर क्यों आकर्षित नहीं होते ? मैं रत्नगिरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं जो देश के 226 पिछड़े जिलों में से एक है । इन पिछड़े क्षेत्रों में संचार साधनों का अभाव है, मण्डी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता ।

यद्यपि सरकार ने भारतीय और आयातित कच्चे माल में से 10 प्रतिशत कच्चा माल इन पिछड़े ज़िलों के लिये नियत किया है, परन्तु यह कच्चा माल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने पर भी इन पिछड़े ज़िलों को नहीं दिया जाता । कच्चे माल की सप्लाई में लघु उद्योग क्षेत्र को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये । उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री ने दावा किया है कि पिछले चार वर्षों के दौराग सीमेन्ट का उत्पादन 110 लाख टन से बढ़ कर 170 लाख टन हो गया है, परन्तु तालुक और ज़िला स्तर पर सीमेन्ट चोर बाजार में 25 रु० प्रति बोरी की दर से बिक रहा है ।

सरकारी क्षेत्र में अब तक लगभग 3,500–4,000 करोड़ रु० की पूंजी लगाई जा चुकी है, परन्तु पिछले दस सालों के दौरान उनका कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं रहा है । बहुत से कारखाने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं ।

औद्योगिक क्षेत्र में 'सयुक्त क्षेत्र' कोई नई विचारधारा नहीं है । अनेक छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे हैं । सरकार पूंजी विनियोजन में ही सहयोग कर रही है । प्रबन्ध, बिक्री व्यवस्था आदि पर प्रभावी नियन्त्रणा नहीं होगा । निदेशकों की नियुक्ति में सरकार को भी अधिकार होगा । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार संयुक्त क्षेत्र के कारखानों के प्रबन्ध में प्रभावी ढंग से नियन्त्रण करे ।

भारत सरकार ने लगभग दस वर्ष पहले राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि पिछले क्षेत्रों में सहकारी आधार पर औद्योगिक बस्तियों को स्थापित किया जाय । महाराष्ट्र के कई जिलों में दस वर्ष 1963–64 में सरकारी आधार पर औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं । इनकी स्थापना में सदस्यों ने 20 प्रतिशत: सरकार ने 20 प्रतिशत और शेष 60 प्रतिशत पूंजी जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने लगाई । परन्तु अब ये सब आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, क्योंकि उन्हें कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता और उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देता । कुछ संगठन जाली नामों से सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं ।

कच्चे माल के वितरण केन्द्र ज़िलों में होने चाहिये, न कि राज्यों की राजधानियों में । कच्चा माल राज्यों की राजधानियों में ही बट जाता है और वह ज़िलों में पहुंच ही नहीं पाता ।

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Sir, I rise to support the demands for Grants of the Ministry of Industrial Development. Now the Ministry has resolved to base their programmes on Science and Technology. The Central Buildings Research Institute, the National Geological Reserarch Institute, National Chemicals Laboratory, the Central Fuel Research Institute, the Central Leather Research Institute have been working commendably.

I would urge the Hon'ble Minister to examine the resources as well as the facilities and difficulties in backward and rural areas.

There are certain backward districts in the Country, where means of transport and communication and other infra-structure are not existing for co-ordinated development, the Government would come forward and establish small scale industries in the public sector.

The huge army of the unemployed has been growing day by day. The small scale industries should be set up in larger number so that the problem of unemployment can be solved. Under Rural Industries scheme, 1,33,000 persons were provided employment.

Forty per cent of the natural resources are found in Bihar, but it is very unfortunate that it is most backward state in the Country. Only 440 persons out of one lakh persons are dependent on industries in Bihar. 10·59% of the total population in the country is in Bihar, whereas Bihar has only 5·71% of the total land. The contribution of Bihar towards industrial growth is only 6%. The Central Industrial Finance Corporation should give more financial assistance to Bihar, so that it may come up to the level of the developed states in the Country.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए ।

Shri Chiranjib Jha : The large and larger houses are also responsible to a certain extent for the backwardness and poverty in the country. The Government should control them.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : First of all I would like to thank all those Members who have stressed the need of an acceleratted development of small scale industries to solve the problem of unemployment. I would also thank them for urging the removal of regional imbalance and development of backward areas.

There were only 61,000 registered small scale units, where there are now 2,81,000 registered small scale units. It is apparent from this that we are moving in the right direction.

Five factors relate to the development of industry, namely raw material, machinery credit facilities, Infrastructure and technical know-how. Even if any one of them is neglected, we would not be able to develop industries and thus would not be able to remove regional imbalance and help solve unemployment problem.

First of all, I would like to place before the house the figures regarding supply of raw material to small scale industries. Imported raw material worth Rs. 117·95 crores was allotted to small scale industries as against imported raw material worth 16·58 crores of rupees in 1961-62. In 1972, 2,72,966 tonnes of iron and steel was allotted to small scale sector as against 1,68,370 tonnes of iron and steel in 1970. In 1969-70, imported machinery worth 4·56 crores of rupees was allotted to small scale industries whereas machinery worth 10·75 crores of rupees was allotted in 1971-72. 56,983 small scale units had got financial assistance worth 286 crores of rupees upto June, 1969 before nationalisation of banks whereas 1,25,067 units have received financial assistance worth 597 crores of rupees. But I agree with the Members that there is still much scope for more and more financial assistance.

Proper training is also essential for new entrepreneurs, otherwise we would not be able to achieve our targets. Small Scale Industries Service Institutes have trained many persons in managerial talent development, training, technical training and self employment training etc.

Educated youngmen always think of getting a job after their education, but an atmosphere should be created so that people may be encouraged to set up industries after their education.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): What has been done for marketing and Infra-structure ?

Shri Ziaur Rahman Ansari: I would come to that also. Small Scale industry has been given protection in the matter of production and purchases. So far as production is concerned, 124 items have been reserved for manufacture in the small scale sector.

Small Scale Industries in West Bengal producing electric lamps are facing hardships due to award of licences to big industries and allowing them to increase their capacity. I assure the House that they would not be allowed to suffer and close down.

According to our new industrial policy, we would like to indentify the ancillaries to be produced in a project for which licence is given to any big industry. We also propose to enact legislation in the biggest of Bhat Committee Report provide protection to small Scale Industries. We also want to give a fresh direction to the development in respect of agro-based, ancillary industries of export oriented large Scale industries and defence-oriented industries.

I agree that the facilities provided to Small Scale Industries in backward areas and backward districts of the country are not adequate and that is why the Minister of Finance has proposed enhanced subsidy for these areas.

To avoid difficulties to small Scale industry due to leak of infra-structure, sufficient number of industrial States are proposed to be established.

I want to add at the end that the solution of country's development and un-employment problem lies in the development and expansion of Small Scale Sector and our endeavour is to ensure that. :

Shri Tarkeshwar Pandy (Salempur) : Sir, I feel that on the one hand the Centre discriminates against U.P. and on the other, its eastern wing having 37·5 percent population is discriminated against by the State. We should have a free and frank discussion on whether we can achieve our economy and goal of socialism by having a mixed economy and in my opinion this system is not going to help us. I therefore request Government, this House and the entire intellegentsia to seriously consider this state of affairs and if they feel that this is not going to help, they should consider what radical steps should be taken in the matter.

While making allocation in all the previous Five Year Plans U.P. and its problems have all along been ignored and these allocations had been entirely insufficient and that is why U. P. is lagging behind in all walks of life. The Goverment should therefore ensure that the causes of resentment among the people of the State are removed.

I would like to know from the Industry Minister about the backward districts of the country and those of U. P. in particular whether any licence has been granted for setting up an industry there and whether any industry has been actually established there. The conditions in my constituency are harrowing. We cannot solve problems by slogans. The real problem is that nobody comes forward to establish industries in backward areas because of lack of all sorts of basic amenities and Government have not encouraged them to do so.

Unless the backwardness of these regions is removed the country is not going to move an inch forward. As long as disparities among various regions are not removed we are not going to achieve any thing in the Eastern region of U. P. only Banaras and Gorakhpur have industries out of a total of 18 districts. The Cottage industries are nearing extinction (**Interruptions**). Licences you give but nobody is prepared to take them because of lack of basic facilities.

In the end while supporting these Demands I would again request that a solution be found to develop the backward regions of the country.

Shri Panna Lal Basupal (Sri Ganganagar): I do not believe in the statistics etc. given here but on the basis of personal knowledge, I can say that the poor people engaged in Cottage Industries are facing extinction. Small Scale Leather industry is facing grave crisis because Government have enouraged Bata and other monopoly house and that is why it is being said that shoe-maker has been swallowed by Bata, black-smith by Tata and the weaver has been Swallowed by Birlas, and artisains and labourers have been swallowed by Dalmia and its cement factory. Khadi Gramodyog has forced all the weavers to close down their establishments. This is the real picture of Socialism today. I am sorry to say that not single steps has been taken by the Government in the right direction. Today you can get cement from anywhere where Government construction is going on at Rs. 5/- per bag but you wo'nt get it at even Rs. 15/- in the market.

The Government should be ashamed of its policies which have led to the present state of affairs. As I do not aspire for any office of profit, I frankly say what I see and feel. The Prime Minister wants to usher in Socialism but some of her collegues in the Cabinet do not want it as they themselves are capitalists. What has Pay Commission report given to Government employees-nothing but lakhs of rupees were spent thereon. I, therefore, warn the powers that be, that a bloody revolution is round the corner, and matters are not set right in time, conequences will be disastrous.

श्री के० गोपाल (करूर): मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं और मैं खुश हूं कि 1971 में 2.9 और 1970 में 4.8 की अपेक्षा अप्रैल से दिसम्बर, 1972 तक औद्योगिक विकास की वृद्धि 7*8 प्रतिशत हुई है और सीमेंट, कागज़, एलुमिनियम कास्टिक सोडा आदि उद्योगों में 90 प्रतिशत क्षमता को काम में लाया गया, परन्तु इतने पर ही हमें संतोष नहीं करना होगा। हमें निर्यात में सहायक उद्योगों में और उत्पादन बढ़ाना होगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि यदि अभ्रक का तैयार माल निर्यात किया जाये तो इससे 10 गूना से भी अधिक आय हो सकती है अतः हमें तैयार माल का ही निर्यात करने का प्रयास करना चाहिये इसी प्रकार हम खनिज लोहे का भी निर्यात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अभ्रक इस मंत्रालय के अधीन नहीं है।

श्री के० गोपाल : संयुक्त क्षेत्र यदि गैर-सरकारी क्षेत्र का स्थान लेता है तब तो मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु मेरे विचार से इस से कोई समस्या हल नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह नया क्षेत्र भी पूंजीपतियों की नई चाल है क्योंकि इस क्षेत्र के कुछ कारखानों में प्रबन्धक वही हैं जो पहली गैर-सरकारी क्षेत्र में थे।

प्रबन्ध-व्यवस्था में प्रतिनिधियों के रूप में सचिवालय से किसी को भेजने के बजाय उन सरकारी वित्तीय संस्थाओं से वे भेजे जाने चाहये जिनमें बहुमत में शेयर उन कारखानों में हैं। यदि आई०ए०एस० अधिकारी भेजे जाते हैं तो सभी प्रकार की योग्यताएं रखते हुए भी उन्हें अपने काम की जानकारी नहीं होती है क्योंकि मेरे विचार में एक तकनीकी व्यक्ति अच्छा अफसर तो हो सकता है इसके विपरीत नहीं। देश की कुल 630 कपड़ा मिलों में से 103 मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास आ गई हैं और मुझे खुशी है कि इन्हें अपने हाथ में लेने के बाद से ये लाभ कमा रही है।

आशा है अनाज के थोक व्यापार के हस्तांतरण से खाद्य समस्या हल हो जाएगी इसीलिए मेरा सुझाव है कि सभी कपड़ा मिलों का सरकारी करण कर दिया जाए। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार केवल उन्हीं क्षेत्रों में एकाधिकारियों को अपना काम करने की आज्ञा होनी चाहिए थी जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हों परन्तु हम देखते हैं कि उन क्षेत्रों में भी उन्हें घुसने दिया गया है जिनका प्रबन्ध हम स्वयं चला सकते हैं—जैसे कि यूनियन कार्बाइड और इन्डियन टोबेको के मामले में किया गया है। इसका तर्क यह दिया गया है कि इस से हम विदेशी शेयर पूंजी कम कर रहे हैं परन्तु जब तक वास्तव में ऐसा न किया जाये जो कि केवल राष्ट्रीयकरण से ही हो सकता है, यह पूंजी कहां कम होगी। उनका राष्ट्रीयकरण यद्यपि हम कानूनी तौर पर नहीं कर सकते परन्तु नैतिक तौर पर तो कर ही सकते हैं। प्रसाधन सामग्री के अनेक नामों की अपेक्षा इनका मानकीकरण करना बैहतर होगा क्योंकि इससे सरकारी करण करना आसान हो जाएगा।

यहां पिछड़े क्षेत्रों की बात कही गई है। इसके लिए मूलभूत ढांचा बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता अतः यदि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है तो पहले वहां यह ढांचा तैयार करना होगा और मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मेरे अपने राज्य में औद्योगिक विकास वंछित गति से नहीं हो रहा है और इसका कारण केन्द्र द्वारा लाइसेंस देने में किया जाने वाला अत्यधिक विलम्ब है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह संगत आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि व्यर्थ ही केन्द्र पर दोष न आए। मंत्रालय की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन के बारे में कुछ नहीं है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कुछ करें क्योंकि उनके बिना देश का विकास और प्रगति संभव नहीं है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैंने सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों के आलोचनात्मक और सुझावपूर्ण भाषण ध्यान से सुने हैं और इनके लिए मैं उनका आभारी हूं।

औद्योगिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी दर में 1970 और 1971 की अपेक्षा वृद्धि होना है, इससे भी अधिक संतोष इस बात का है कि कुछ उद्योगों जैसे कपड़ा, रसायन और अलौह धातु खनिजों के उद्योगों में यह वृद्धि क्रमशः 9.3, 18 और 8.2 प्रतिशत थी। ऐसा भी नहीं है कि यह वृद्धि गैर-आवश्यक क्षेत्र में ही हुई है क्योंकि अनेक प्रथामिकता प्राप्त उद्योगों में भी वर्ष 1972 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष 1973–74 इसलिए महत्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा क्योंकि इससे चौथी योजना की सफलता का स्तर मालूम होगा और इसी वर्ष की औद्योगिक क्षमता और उत्पादन स्तर के अनुसार ही पांचवीं योजना को कार्यरूप दिया जाएगा और भविष्य में प्राथमिकताओं के निर्धारण में हमें सहायता मिलेगी। मैं इसे तीन शीर्षों के अन्तर्गत चर्चा करूंगा एक विद्यमान क्षमता का उपयोग, दूसरे आशय पत्रों और लाइसेंसों का कार्यान्वयन और तीसरे भविष्य में लाइसेंस नीति और औद्योगिक प्रगति की रूपरेखा।

जहां तक पांचवी योजना के पहले और दूसरे वर्ष में औद्योगिक विकास की दर का संबंध है इसका आधार विद्यमान क्षमता का उपयोग है क्योंकि इनका पूरा पूरा उपयोग ही अधिक विकास में सहायक होगा और इसीलिए हम विभिन्न उपाय कर रहेहैं और इसीलिए हम कुछ क्षमता का नियमन करना चाहते हैं। इसलिए हमने सभी से आवेदन मांगे थे और लघु तथा मध्यम कारखाने वालों के 55 से 60 प्रतिशत आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं।

बड़े उद्योगों में अधिक क्षमता का पंता लगाने के लए हमने एक कार्य दल बनाया है। हमने बहुत ही आवश्यक मदों के लिए ही उनकी क्षमता को नियमित किया है—जैसे औद्योगिक विकास के लिए परमावश्यक नियति में सहायक उद्योगों के मामले में विद्यमान क्षमता का पूरा उपयोग करने में विशेषकर इंजीनियरी और रसायन उद्योगों में कच्चा माल न मिलना बहुत बाधक बन रहा है। हम इस्पात अलौह और धातुओं और रसायनों की कमियों का पता लगा रहे हैं और इसके आयात का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है मैं सभा में यह आश्वासन देता हूं कि लघु उद्योगों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी आवश्यकताएं पूरी करने का भरसक प्रयास किया जाएगा :

चिन्ता का दूसरा कारण बिजली की कमी है। इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से तो सिंचाई और विद्युत मन्त्री अपनी मांगो पर चर्चा के समय बताएंगे। इस समय मैं किए गए प्रयत्नों की रूपरेखा का ही उल्लेख करूंगा।

प्रधान मन्त्री ने योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और इसकी सहायता के लिए एक तकनीकी दल भी बनाया गया है जिसने 18 मुख्य तापीय बिजली घरों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विशिष्ट सुझाव दिए हैं। दूसरे उन बिजली परियोजनाओं को शीघ्र पुरा करने के लिए जो लगभग पूरी होने वाली हैं 26 करोड़ की राशि की व्यवस्था के साथ साथ काम की गति तेज़ करने के भी कार्य-क्रम तैयार किए गए हैं। इन तथा अन्य ठोस उपायों के फलस्वरूप सामान्य वर्षा होने की स्थिति में स्थिति दिसम्बर, 1973 में काफी हद तक सुधरेगी और जून 1974 तक संतोषजनक हो जाएगी। बिजली की इस कमी ने हमें बाध्य किया है कि हम साहसपूर्ण योजना बनाएं ।

तमिल नाडु के एक सदस्य के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 6–7 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बनाने वाला अयातित यंत्र बेच दिया है क्योंकि वह इसे महंगा समझती थी परन्तु अब जबकि बिजली की इतनी अधिक कमी है और जहां बिजली उत्पादन लागत 20–30 और कहीं कहीं तो 35 पैसे प्रति यूनिट है। इसे महंगा नहीं समझा जाना चाहिये था ।

परिवहन के सम्बन्ध में रेलवे के भूतपूर्व मंत्री ने ठोस कदम उठाए थे और आशा है वर्तमान मन्त्री भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे होंगे क्योंकि इससे न केवल कोयले की ढुलाई आसान हो गई है परन्तु तैयार माल की ढुलाई भी सुगम हो गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू श्रमिक संबंधो का है और आशा है संबंधित मंत्री इस पर अधिक प्रकाश डालेंगे जब उनके मंत्रालय की मांगों पर यहां चर्चा होगी ।

मजदूर जनता के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है वहां यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि इस प्रक्रिया से औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः हमें पैसे ऐसे तरीके तैयार करने पड़ेगें जिससे औद्योगिक अशांति के कारण इस संकटमय काल में औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव न पड़े।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन के बारे में सब से बड़ी कठिनाई प्रबन्ध की है। आरम्भ में प्रबन्धक सम्बन्धी कठिनाई रही जिसका हम हल नहीं ढूंढ पाये किन्तु अब हम इस कठनाई को दूर कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु योजना आयोग के एक सदस्य श्री एम०एस० पाठक की अध्यक्षता में पुनः एक कार्य समिति नियुक्त की गई है। यह कार्य समिति प्रत्येक परियोजनाओं की स्थल पर जांच कर रही है, कि इनके तकनीकी प्रबन्ध में वस्तुतः क्या कमियां हैं। इसी आधार पर प्रत्येक परियोजना के सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1972–73 के दौरान इनका कार्यनिष्पादन उत्हसाजनक रहा है।

1970–71 में 87 परियोजनाओं में से 52 परियोजनाओं ने लाभ अर्जित किया और 1971–72 में लाभ अर्जन करन वाली परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 58 हो गई। और इसी दौरान छः और परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो गया। 1970–71 में इन परियोजनाओं का कुल लाभ 74.97 करोड़ रुपये था जो 1971–72 में बढ़कर 99.65 करोड़ रुपये हो गया :

इस्पात कायखानों के सम्बन्ध में हमे बहुत संघर्ष करना पड़ा है क्योंकि उनकी समस्यायें ही कुछ ऐसी थी। किन्तु अब पिछले छः महीनों से इनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

यह बढ़ने वाली प्रवृति मेरे अपने मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के कारखानों के संदर्भ में विशेषरूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। इस इंसंट्रमेशन लिमिटेड कोटा का जो हमार सर्वोत्तम, कारखानों में से एक है,बहुत अच्छा कार्य निष्पादन रहा है और पालघाट (केरल) में एक नया कारखाना लगाने में सक्रिय रूप से प्रयत्न कर रहा है और इसमें 1974 में उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है। इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड केवल उत्पादन में ही आगे नहीं है बल्कि वहां कार्मिक सम्बन्ध भी बहुत सौहार्दपूर्ण है। वहां के श्रमिक बहुत सुखी है। यह सब उपयुक्त श्रम प्रबन्ध के कारण है। यही नहीं इस कारखाने में मलेशिया में कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होने पर भी 1.5 करोड़ रूपये का गौरवपूर्ण निर्यात आदेश प्राप्त किया है।

विशेषकर हमारी औद्योगिक परियोजनाओं में चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में केवल प्रौद्योगिकी और उपकरण ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु प्रबन्ध भी एक अच्छे औद्योगिक उद्यम का एक अंग है। किन्तु इससे बढ़कर भी एक तीसरा अंग भी आवश्यक है और वह है अनुसन्धान और विकास कार्य जिनके बिना हम केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कभी प्रगति नहीं कर सकते। इन तीनों क्षेत्रों में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड एक उदाहरण है।

हिन्दुस्तान साल्टस नें भी लाभ में वृद्धि की है। हिन्दुस्तान केबल्स ने 1971–72 के अतिरिक्त अन्य वर्षों में लाभ अर्जित किया है। नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी ने 1971–72 के दौरान अपनी स्थिति में सुधार किया है और आगामी वर्षों में और प्रगति होने की आशा है। एक अन्य कारखाने हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मे इस वर्ष काफी सुधार हुआ है और इसके उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। यह सब सुयोग्य प्रबन्ध के कारण है कि इस कारखाने में मार्च 1973 (एक महीने) में एक करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। गत छः महीने की तुलना में अक्तुबर 1972 से मार्च 1973 की अवधि के दौरान उत्पादन मूल्य में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घाटा 35 प्रतिशत कम हो गया है। ऐसा आश्चर्यजनक सुधार केवल एक ही अल्पकालिक अध्यक्ष, जो व्यवसायिक प्रबन्धक भी है, के कारण ही हुआ है।

कलकत्ता स्थित नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, भारत आफथेलमिक ग्लास लिमिटेड टेनरी एण्ड फूटवीयर कारपोरेशन जैसे अन्य कारखानों की समस्याओं को प्रबन्ध सम्बन्धी सुधारों विविधीकरण, आधुनिकीकरण उत्पादन में घाटे को दूर करना विपणन में सुधार आदि करने के लिए विभिन्न योजनाओं को भली प्रकार समझ लया गया है। सरकार ने प्रत्येक मामले को जान समझ लिया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतीय सीमेंट निगम के बारे में कहा गया है यह निगम भी सुधार कर रहा है। इसकी दो परियोजनाएं पहले ही उत्पादन कर रही हैं। एन० आई० डी० सी० प्रबन्ध निदेशक ने माफी मांग ली थी और वह मामला वहीं समाप्त कर दिया गया है। यह एक सुगठित संगठन है और हमारे देश में औद्योगिक विकास की आगे प्रगति में योगदान कर रहा है और विदेशों को परामर्श देने की सेवा कर रहा है।

फरवरी, 1970 में औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की घोषणा होते ही आशय पत्रों के लिए अत्यधिक मात्रा में आवेदन पत्र आने लगे हैं। 1972 तक 3,000 आवेदन पत्र आगये हैं। सरकार को निवेश सम्बन्धी आवेदन पत्रों की गति को भी बढ़ाना पड़ा है जैसा कि इस तथ्य से सिद्ध है कि जहां 1970 में 438 आशय पत्रों की मंजूरी दी गई थी, वहाँ 1971 और 1972 में क्रमशः 1015 और 877 आवेदन पत्रों को मंजूर कियां गया है।

आश्य पत्र जारी करना केवल प्रथम पग है जब कि इसे वास्तविक उत्पादनहेतु मूर्त रूप देने से पूर्व कई कार्यवाहिं य करनी पड़ती है। सर्वप्रथम जहां विदेशी सहयोग पूंजीगत सामान का आयात और पूंजी जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवशयकता पड़ती है। दूसरे, भूमि, जल बिजली तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे आधार भूत ढांचे और उपयोगिता आदि के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य वित्त निगमों, और आई० डी० बी० आई०, आई० एफ०सी०आई०, आई० सी० आई०सी०आई० जैसे वित्त संस्थानों से दीर्घ कालिक और अल्पकालिक ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन तीनों एजैंसियों के समन्वय और सहयोग से ही आशय पत्रों और लाइसेंसों के कार्यान्वियन को तीव्रगति दी जा सकती है। अतः हमने यह ऐसा प्रयास आरम्भ किया है जिससे आशय पत्र के आधार पर आशय पत्र या लाईसेंस लेने के पश्चात कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अतः आशय पत्रों के जारी करने से पूर्व यह विचार करना आवश्यक है कि क्या आशय पत्र किसी एक व्यक्ति को जारी किए जाएं या किसी कम्पनी को और इसके लिए सारी ऐहतियात बरतनी चाहिए जिससे आशय पत्र आवांछित तत्वों के हाथों मे न पड़ जाये। इसके पश्चात प्रत्येक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आशय पत्रों और लाइसेंसों से उत्पादन होना आरम्भ हो। अतः इन सब कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने नये कदम उठाये हैं।

जहां तक बड़े औद्योगिक गृहों का सम्बन्ध है, वे इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए सक्षम है। केवल नवागत और निर्बल तत्व इन कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाते हैं। अतः हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना चाहिए कि इस क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्ताओं, नवागतों और लघु निर्माताओं को ये सब सहायता मिले ताकि कार्यान्वियन शीघ्र होने लगे। यह पता लगाने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं कि इस प्रक्रिया में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। आगामी दो या तीन महीनों में इस मामले मे कुछ ठोस प्रस्ताव लाये जाने की मुझे आशा है।

गत दो वर्षों में निवेष में निश्चित सुधार हुआ है। 1970–71 में 1927 नई कम्पनियां रजिस्टर्ड की गई जबकि 1971–72 में 2524 कम्पनियां रजिस्टर्ड की गई। इसी अवधि के दौरान पूंजीगत सामान के लाइसेंस भी 127 करोड़ रुपये से बढ़कर 252 करोड़ रुपयों के हो गये। वित्तीय सस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता 133 करोड़ रुपये से बढ़कर 162 करोड़ रुपये की हो गई है। अतः यह उत्साहजनक प्रवृति आशय पत्रों की संख्या के आधार पर ही नहीं है अपितु कार्यान्वियन के सम्बन्ध में भी हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं और इसमें और अधिक वृद्धि की जानी है।

जो भी नीति बनाई जाती है वह सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है। और वह सरकार की ही नीति कहलाती है।

नीतिनिर्धारण के सम्बन्ध में जहां तक हमारी औद्योगिक निति का सम्बन्ध है , 1956 का संकल्प आधारभूत दृष्टिकोण है। विकास के हमारे समस्त सामरिक महत्व के भाग के रूप में 8. 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तीव्र औद्योगीकरण की ओर इन उद्देश्यों का लक्ष्य है। विकास की यह दर विकास सम्बन्धी उस ढांचे से सम्बन्धित है जिसमें कुछ प्राथमिकताएं पंचवर्षीय योजनाओं में दृष्टिगत होती है। वे आधार भूत निवेशसामग्री के उत्पादन से मुख्यत: सम्बन्धित है जो कि भविष्य में विकास की दर बनाए रखने, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्द्धन, आत्मनिर्भरता, अनावश्यक मदों के उत्पादन पर नियंत्रित है तथा पर्याप्त और मूलभूत उपभोक्ता सामग्री के सामयिक विकास में विशेषकर है। हमारे विकास के प्रतिमान में एक विशेष पहलू यह भी है जिसका अभिप्राय यह है कि हम देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास और सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की इच्छा करते हैं।

हमें विकास की सामाजिक न्याय के साथ मिलाना है। सामाजिक न्याय से विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक उपाय करना हमारा तात्पर्य है जिसके द्वारा सामान्य कल्याण के प्रतिकूल आर्थिक शक्ति संचयन को कम करना है। इस क्षेत्र में सकारात्मक उपाय वे हैं जो 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची (क) के सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के साथ साथ अनुसूची (ख) में शामिल कुछ अन्य उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान बढ़ाने का एक मात्र उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की संवर्द्धनात्मक सहायता से लघु मध्यम, और नये उद्यमियों के संवर्द्धन द्वारा इस संचयन को कम किया जाना है। फिर लाइसेंस नीति और एम० आर० टी० पी० अधिनियम को. समन्वित ढंग से प्रयोग में लाना है जिससे कि संसाधनों का उपयोग किया जा सके और बड़े उद्योग गृहों तथा प्रतिष्ठित उपक्रमों द्वारा किए गए निवेश की जांच पड़ताल और नियंत्रण बनाये रखना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित उद्यमियों से उपलब्ध विशेष ज्ञान को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के प्रयोग में लाया जा सके। सार रूप में यही हमारी नीति है जो 1973 के लाइसेंस सम्बन्धी नीति संकल्प में भी दृष्टिगत होती है

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : क्या सरकार ने एकाधिकार प्राप्त गृहों को लाइसेंस देना बिल्कुल बन्द कर दिया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : 1973 के नीति लाइसेंस सम्बन्धी नीति संकल्प में परिशिष्ट–1 में कुछ उद्योगों का उल्लेख किया है जिनमें कुछ बड़े उद्योग गृह भी कुछ शर्तों के अन्तर्गत शामिल हो सकते हैं। आरोप लगाया गया है कि 20 करोड़ रुपये के लाइसेंस वाले बड़े उद्योग गृह हैं। किन्तु यह स्वाभाविक है कि विकास से और अधिक विकास होता है। किन्तु किस अवधि में यह विकास हुआ है ? 1966–70 के दौरान की अवधि लाइसेंस युक्त अवधि रही है। इस अवधि में विशेषकर बड़े उद्योगिक गृहों ने इसका लाभ उठाया है। 1970 के पश्चात् आप देखेंगे कि 1970 में 363 लाइसेंसों में से केवल 20 लाइसेंस ही बड़े उद्योग गृहों को दिए गए हैं। 1971 में 625 लाइसेंसों में से 114 लाइसेंस बड़े उद्योग गृहों को दिए गए। इनमें से 87 लाइसेंस सी० ओ० बी० लाइसेंस कहलाये गए। 625 लाइसेंसों में से केवल 27 नये लाइसेंस ही बड़े उद्योग गृहों की दिए गए। बाद के वर्ष में 563 लाइसेंसों में से कैवल 34 सी० ओ० बी० लाइसेंस और 26 नये लाइसेंस बड़े औद्योगिक गृहों को दिए गए। उनके कार्य क्षत्रों को दृष्टि में रखते हुए बड़े उद्योगों को बहुत कम लाइसेंस दिए गए हैं। किन्तु हमारा दावा है कि इसके अतिरिक्त हमने अपनी लाइसेंस नीति में व्यवस्था की है कि बड़े औद्योगिक गृह भी इन क्षेत्रों में आ सकते हैं किन्तु प्राथमिकता नवांगतुकों और मध्यम क्षेणी के एककों को ही दी जायेगी। किन्तु संयुक्त क्षेत्र के बारे में बहुत भ्रांति व्याप्त है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस योजना अवधि क दौरान सम्पूर्ण औद्योकिगक विकास के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में जाना सम्भव नहीं है। अत: पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं और गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं होगी जिससे कि औद्योकिग विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में एक करोड़ रूपये से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा और इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीमेंट, कागज, चीनी, उर्वरक आदि के कारखानों के लिए बहुत भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। जो सरकारी क्षेत्र में ही सम्भव है। अत: औद्योगिक विकास के लिए आवष्श्यक है कि बड़े उद्योग गृहों और इन परियोजनाओं में शामिल होने की क्षमता रखने और अपने ही संसाधनों का उपयोग करने वालों की अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को भारी योगदान देना होगा। ये सरकारी वित्तीय संस्थान केवल ऋण ही नहीं देते हैं अपितु अपना अंशदान करते हैं और यहां तक कि इक्विटी में भी भागीदार होते हैं। अत: पांचवी योजना में ये लोग सरकारी संस्थानों से ऋण लेंगे और उनका अपना ही प्रबन्ध होगा। हमारा आशय है कि जब हम इक्विटी में भागीदार होते हैं तो हमें प्रबन्ध में भी शामिल होना चाहिए। संयुक्त क्षेत्र की यही नयी धारणा है।

जब हम यह कहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत कार्यकुशलता होती है तो उसका अर्थ है व्यावसायिक प्रबन्ध की कार्यकुशलता। इस प्रबन्ध की वफादारी किस लिए हैं ? इस की वफादारी बड़े उद्योग गृहों के प्रति है न कि उस संस्थान के प्रति जिसमें वे कार्य करते हैं। अत: व्यावसायिक व्यक्तियों को कुशल प्रबन्ध व्यवस्था के कारण ही बड़े

उद्योग गृहों का और अधिक विकास होता है ? इसलिए जब हम संयुक्त क्षेत्र की कल्पना करते हैं तो इस कड़ी को तोड़ना होगा और हमें व्यावसायिक प्रबन्ध व्यवस्था की वफादारी बड़े उद्योग गृहों की ओर से संगठन के प्रति मोड़नी होगी। हम यही करना चाहते हैं। नीति निर्धारण करने वाले प्रबन्ध मण्डल में हमारा भी हस्ताक्षेप होना चाहिए। हमें उस प्रबन्ध व्यवस्था का नियंत्रण करना चाहिए ।

औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लक्ष्य प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से प्रबन्ध व्यवस्था का इस प्रकार व्यावसायीरण करने की हमारी इच्छा है, जिससे कि बड़े उद्योग गृहों के हितों को लाभ न होने पाये ? आशा है हम इससे कुछ सुपरिणाम प्राप्त करेंगे ।

राष्ट्रीयकरण की बहुत मांग की गई है। किन्तु यह नीति संबन्धी मामला है और इस पर अभी निर्णय किया जान है। सिगरेट, आटोमोबाइल, वाहनों, सीमेंट, टायरों और चीनी आदि अनेक प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग गत सप्ताह संसद में उठाई गई है। औद्योगिक नीति के निर्धारण के समय से ही राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी गई है। यहां तक 1945 के औद्योग्रिक नीति संबंधी वक्तव्य में भी यह बात स्पष्ट कर दी गई है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु समाजवादी समाज की स्थापना के लिए और योजना बद्ध और तीव्र विकास की आवश्यकता को देखते हुए मूल तथा महत्वपूर्ण औद्योगों को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लिया जाए और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सरकार किसी भी औद्यागिक उत्पादन कारखाने को अपने हाथ में ले सकती है। इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि इस समय व्याप्त आय और धन की विषमता को तीव्र कम किया जाए और कुछ व्यक्तियों के अधिकार से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक शक्ति संचयन और निजी एकाधिकारों को रोका जाए। इसके अनुसार नये औद्योगिक कारखाने स्थापित करने और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना सरकार की सीधी और मुख्य जिम्मेदारी है। राज्य व्यापार में भी वृद्धि की जायेगी।

अभी हाल में ही 2 मार्च, 1970 को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री ने सरकारी नीति का स्पष्टीकरण किया था ।

संक्षेप में सरकारर की यही नीति रहेगी कि राष्ट्रीयकरण सार्वजनिक भलाई के लिए ही किया जाए। इसी भावना को लेकर ही कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरणं किया गया है।

नीति संबंधी दूसरा मामला भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों का है। इस सम्बन्ध में हमें बहुत सावधानी से काम लेना है। एक ओर तो हमें विदेशी तकनीकि जानकारी और इक्विटी सहयोग के बारे में बहुत चयनात्मक कार्य करना है तो दूसरी ओर हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि लाभ और लाभांश भेजने पर कोई कठिनाई न लगे। ये दोनों सिद्धांत साथ साथ चलते हैं क्योंकि यदि हम उचित चयन नहीं कर सकते तो हम अपने विदेशी निवेशकों के साथ सम्मानजनक वाणिज्यिक स्थिति नहीं बनाये रख सकते।

हमें सदा की तरह भारत को तकनीकि का अध्ययन करने वाला देश नहीं समझना चाहिये। हम अब पूंजी और तकनीकि का निर्यात भी कर रहे हैं। कम से कम 25 देशों में भारतीय पूंजी कै सहयोग से 97 संयुक्त कारखाने स्थापित किये गये हैं ? इनमें से 37 संयुक्त करारखानों में उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का भी एक विकासशील देश के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हमारे भीतर आत्म-विश्वास पैदा होना चाहिए। जब हम यहां काम कर रही विदेशी कम्पनियों की बात करते हैं तो हमें विदेशों में कार्य कर रही भारतीय कम्पनियों पर भी विचार करना चाहिये । हम अन्य देशों से जो कुछ प्राप्त करने की आशा करते हैं तो हमें उन्हें वस्तुएं निर्यात के योग्य होना चाहिए अन्यथा हमारी कोई नीति नहीं है।

जहां तक पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है, हम वहां थोड़े से उद्योगों की स्थापना करके उनका किवास कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं तथा वहां नए नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। यहां की विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कै आयोजन के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हमारी वैज्ञानिक और औद्योगिकी संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाये। यह भी आवश्यक है कि राष्ट्र, विशेषकर लोक प्रतिनिधि के रूप में संसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सराहना करें कि उन्होंने देश की समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए क्या किया और क्या कर सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम यह बात स्वीकार कर लें कि तकनीकि सम्भाव्यता तथा अर्थव्यवस्था में संगत टेक्नोलोजी की दाणिज्यिक क्षमता के लिए सावधानी से जो कि परिव्यय किया गया है, वह "व्यय" नहीं है अपितु "निवेश" है ।

हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों में निराशा की भावना नहीं है। वे आत्म विश्वास से परिपूर्ण हैं और चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। यदि हम अपने वैज्ञानिकों और तकनीशियनों से समृद्ध संसाधनों का उपयोग कर पायें तो दैश का भविष्य उज्जवल है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री सत्यन्द्र नारायण सिन्हा और श्री डी० के० पन्डा द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव मतदान क लिय रख गय तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions moved by Shri Dinen Bhattacharya, Shri S. N. Singh and Shri D. K. Panda were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास मंत्रालय की निम्नलखित मांगें मतदान के लिय रखी गयी तथा अस्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Industrial Development were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
58	औद्योगिक विकास मंत्रालय	1,61,82,000 रुपए
59	उद्योग	12,61,34,000 रुपए

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान कै लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Science and Technology were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
95	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3,19,35,000
96	भारतीय सर्वेक्षण	8,04,68,000
97	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद का अनुदान	20,19,58,000

भारी उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1973–74 की अनुदान की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

The following Demands in respect of the Ministry of Heavy Industry were moved.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
44	भारी उद्योग मंत्रालय	10,50,000
45	भारी उद्योग	4,52,22,000

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (ओसग्राम) : मैं भारी उद्योग मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं। नये भारी उद्योग मंत्रालय के गठन के पश्चात् यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय बन गया है और 16 महत्वपूर्ण भारी इंजीनियरी उद्योग इसके अन्तर्गत आ गये हैं। यदि यह महत्वपूर्ण उद्योग सुचारु रूप से काम करें, तो देश आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है । किन्तु हम देखते हैं कि उनमें अकार्यकुशलता और कुप्रबन्ध विद्यमान हैं। एच० ई० सी० हैवी इलैक्ट्रीकल्स एवं एम० ए० एम० सी० में संचित हानि क्रमश: बढ़ती जा रही है। हमें उन कार्य करने वाले उच्च अधिकारियों का जो इन भारी हानियों के लिए जिम्मेदार हैं और जो गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों के एजेंट के रूप में भारी इजीनियरी के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रगति को निष्फल करना चाहते हैं, अनिवार्य रूप से पता लगा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिये ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सभी नियंत्रों का उल्लंघन करके 1500 व्यक्तियों की भर्ती की गयी है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । दुर्गापुर में आतंक का साम्राज्य है ।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल ने 1961–62 से उत्पादन करना शुरु किया। तब से लेकर उसे निर्णात्मक वर्षों से ही हानि हो रही है। वहां के श्रम सम्बन्ध बहुत ही बिगड़े हुये हैं। हैवी इलैक्ट्रीकल्स में बहुत भ्रष्टाचार है । यद्यपि जी० ई० सी० तथा ए० ई० आई० के साथ समझौते हो चुके हैं। किन्तु लालफीताशाही के कारण निर्णय लेने में देर होती है और उसी कारण तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

उद्योग सामान देने के अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता जिसके फलस्वरूप देश के कई भागों में बिजली के संयंत्र नहीं लगाये जा सकते जिससे बिजली का संकट पैदा होता है।

भारी इंजीनियरी निगम रांची शुरु से ही संकट में है। परियोजना के लिए लगाए गये अनुमानों में किसी न किसी बहाने परिवर्तन किया जाता रहा है और अब परियोजना की अनुमति 211.77 करोड़ रखी गयी है। यह निश्चित नहीं कि क्या यह भी स्थायी है अथवा अस्थायी है।

दोषयुक्त आयोजन अथवा प्राक्कलननों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह टिप्पणी उचित ही की है कि अनुदानों को आंशिक रूप में लेना ठीक नहीं है। विभिन्न संयंत्रों के बीच कतई तालमेल नहीं है।

भारी मशीन निर्माण संयत्र की वर्तमान निर्धारित क्षमता 20 से 25 प्रतिशत है। सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या प्रत्येक संयत्र के लिये मांग का अनुमान लगाया गया है, किसम नियंत्रण की कसौटी पर 7.94 लाख मूल्य का सामान त्रुटिपूर्ण पाया गया और भारी इंजीनियरी निगम को बदलना पड़ा। किसम पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिये।

मशीनों और श्रमिकों का उपयुक्त ढंग से उपयोग नहीं किया जाता। कुछ संयंत्रों में 50 प्रतिशत तक की बरबादी होती है। इसे रोका जाना चाहिये।

भारी इंजीनियरी निगम में श्रमिकों के साथ सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। भ्रष्टाचार बहुत है। 1970 तक सोवियत रूस में प्रशिक्षित 100 तकनीशियनों नें इस निगम को छोड़ दिया ताकि अमरीका, कनाडा और योरुप में रोजगार प्राप्त कर सकें। योग्यता के आधार पर, पदोन्नति नहीं की जाती। निगम में दो ग्रुप बने हुये हैं। एक ग्रुप अध्यक्ष का है। और दूसरा ग्रुप उपाध्यक्ष का है।

प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ केवल 20 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलाता है। उसका लाभ सभी को मिलना चाहिये। तभी स्थिति में सुधार हो पायेगा। क्या सरकार इस उद्योग में नियंत्रक कम्पनी बनाना चाहती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अधिक उत्पादन के लिये प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों का भी भाग होना चाहिये। वहां संवर्ग बनाया जाये ।

इसके अतिरिक्त भाई-भतीजाबाद रोका जाये, भर्ती, स्थायीकरण, पदोन्नति आदि सम्बन्धी नियमों को अंतिम रूप दिया जाये। नवयुवकों के लिये पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जायें।

भारी इंजीनियरी निगम और भारी इंजीनियरी उद्योग के अपने एककों में पूर्ण समन्वय होना चाहिये। तकनीकि विशेषज्ञों और गैर राजनीतिज्ञों को सर्वोच्च पदों पर लगाया जाना चाहिये।

Shri R.N. Sharma (Dhanbad) : I support the demands of Ministry of Heavy Industry. The Government has paid special attention towards the development of heavy industry by creating a separate Ministry.

People who do not believe in the development of public sector undertakings are appointed on key posts in these heavy industries. They are also changed too frequently. The position of workers representation in the management of heavy industry is also not satisfactory. May I know the number of industries out of 6 mentioned in the Report having workers participation in the management ? Workers participation should be maximum in the management. It should not be a participation of workers merely in the board. The exclusively board should be managed by the workers. Government should pay necessary attention towards it. It is really sad that Heavy Engineering corporation Ranchi is not functioning as was expected. It has not achieved the targets.

Similarly Heavy Machine Tool Plant has touched only 10 per cent of the targeted production. It has been showing losses worth croress of rupees every year since 1969-70. It is Constantly running into heavy losses since inception.

Generally 80 per cent capacity remains unutilised which is due to the fact that there is shortage of trained personnel.

The production of Bokaro plant started from October which should actually have started from April or May. It will be better if these industries are freed from the setbacks they are suffering.

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : सर्वप्रथम तो मैं इस पर हर्ष प्रकट करता हूं कि इस मंत्रालय को श्री टी० डा० पाई जैसे प्रतिभाशाली तथा श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जैसे अत्यन्त पश्चिमी मंत्रीयों कै अधीन रखा गया है तथा साथ ही उसमें श्री मनोहर सोंधी जैसे उच्च श्रेणी के तकनीकी व्यक्ति को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री सोंधी की अध्यक्षता में रक्षा उद्योग में विजयन्त टैंक का निर्माण हुआ जिनकी बदौलत हमने अमरीकी शास्त्रास्त्र प्राप्ति पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिये थे। ये एक बड़े अच्छे आसार हैं कि सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के स्थान पर तकनीकि-विज्ञ व्यक्तियों की नियुक्तियां करना आरंभ कर दिया है। परन्तु यह गलत बात है कि जब तक कोई मंत्री अपने विभाग की समस्याओं को समझे इसी बीच उसका स्मानान्तरण कर दिया जाता है (श्री एन० के० पी० सालवे पीठासीन हुए) (Shri N. K. P. Salve in the Chair) कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि ये सरकारी उपक्रम जिन्हें की नेहरू तीर्थ-स्थल कहा करते थे श्री पाई की देखरेख में सर्वतोन्मुखी प्रगति करेंगे ।

अनेक सदस्यों ने हैवी इंजीनियरिंग निगम हिन्दुस्तान एयरोनाटिकस्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की आलोचना की है। मैं इनके कार्यकरण के बाद में इतना निराशावादी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि ये सरकारी उपक्रम एक दिन हमारे देश को आदर्श संस्थान बनेंगे। हमें याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय में हमारी सेना की शक्ति का तथा महानता के साथ साथ इन सरकारी उपक्रमों पर भी बहुत बड़ा हाथ था। जिन्होंने हमें अनेक बातों में आत्मनिर्भर बनाया जबकि पाकिस्तान दूसरों पर निर्भर था।

भारी इंजीनियरिंग निगम तो वर्ष 1972–73 में पहले से काफी प्रगति करके दिखाई है। इन उपक्रमों की कर्मचारी संघों को मान्यता प्रतिनिधित्व के आधार पर दी जानी चाहिये तथा उनका प्रतिनिधित्व चुने गये व्यक्तियों द्वार किया जाना चाहिये और जो भी व्यक्ति चुने जायें उन्हें अपना कार्य करके दिखाने के लिए दो वर्ष का समय दिया जान चाहिये ।

कुछ सरकारी उपक्रमों में रेलवे के सेवा निवृत्त वृद्ध अधिकारियों को अध्यक्ष अथवा प्रबंध निर्देशकों के पदों पर नियुक्ति कर दिया जाता है। वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति उत्साहपूर्ण सक्रियता खो बैठते हैं तथा फिर उनके अधीनस्थ अधिकारियों का भी वही हाल हो जाता है।

सरकार ने समुचित जांच करने के पश्चात् ब्रेथवेट (इण्डिया) लिमिटेड को अपने अधिकार में लिया है जिसमें 7300 कार्यकुशल कर्मचारी कार्य करते हैं क्या जिनमें कि कई तो उच्च कोटि के तकनीकी व्यक्ति हैं। परन्तु अब ऐसे एक उच्च सैनिक अधिकारी को उस एकक में नियुक्त कर दिया जाता है जो कि आबादी स्थिति भारी गाड़ी कारखानें में सर्वथा असफल रहा है। वह सैनिक जनरल है तथा वहां के कर्मचारियों को भी सूबेबार-मेजरों की भांति व्यवहार करने को कहता है जो कि असैनिक व्यक्तियों के लिये सरकारी उपक्रमों में बड़ा असंभव है। वह कर्मचारी संघों

की प्रगति में विश्वास नहीं रखते और उन्हें वाहियात चीजें समझते हैं। उन्हें अपना व्यवहार बदलना चाहिये। वहां श्री सोंधी के होते हुए हम चाहते हुए भी वहां हड़ताल आपसे न करा सके क्योंकि उस समय वहां के कर्मचारी सब तरह से प्रसन्न थे। परन्तु इन सैनिक अधिकारी का व्यवहार तो एक बड़े सरकारी उपक्रम के महाप्रबंधक अथवा प्रबंध निदेशक जैसा बिल्कुल नहीं है।

भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड हरिद्वार के कर्मचारी अपनी मांगों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मिले थे तथा श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने उनसे पांच छः घण्टे तक बातचीत की थी। इन लोगों में देश के मिशन को पूरा कर दिखाने का उत्साह तथा दृढ़ता थी। वे हमारे समाजवाद के नारे को साकार कर दिखाना चाहते हैं। परन्तु इसका मतलब यह है कि इनको बोनस से वंचित किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि उनके लिये बोनस अधिनियम में परिवर्तन करके एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें बोनस पानी का अधिकारी बनाया जावे।

वहां पर कार्य विभिन्न कर्मचारी पिछले 8 से 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। परन्तु वे अभी तक आचाभी है। नैमित्तिक कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों जैसे लाभ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् नियमित कर दिया जाना चाहिये क्योंकि सेवा की सुरक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी योग्यता तथा कुशलता से कार्य नहीं कर पाता है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस विषय पर ध्यान दें।

त्रिवेणी हैवी इलैक्ट्रिकल्स इलाहाबाद (नैनी) में हाल ही में कुछ अधिकारियों की तानाशाही के कारण हड़ताल हुई परन्तु सौभाग्य से केन्द्र के कहने पर वह हड़ताल समाप्त हो गई।

सरकारी उपक्रमों में दुर्भाग्य से राज्यों बात श्रम-कानून लागू होते हैं जिसके कारण मंत्री महोदय मार्मिन अथवा निगमों को अध्यक्ष बिना राज्य सरकार पर आश्रित गृहों समस्याओं को हल नहीं कर सकते। हालांकि इन केन्द्रीय नियंत्रों में सरकार द्वारा नियुक्त मजूरी बोर्ड को निर्णय तथा केन्द्र सरकार के निर्णय लागू होते हैं परन्तु श्रमिक-कानून वही लागू किये जाते हैं जो राज्य सरकारों ने बनाये हैं। परिणाम स्वरूप वहां राजनीति आजादी है और कर्मचारी संघों के कर्मकार पर इसका प्रभाव पड़ता है। सुझाव दिया गया था कि इन सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय श्रम कानून लागू किये जायें तथा प्रमुख श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) इन समस्याओं के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें परन्तु सरकार तो इस संबंध में मुख्य मंत्रियों से परामर्श लेती है। इस प्रकार राजनीति आड़े आ जाती है। मंत्री महोदय कृपया इस पर कुछ सोच-विचार करें।

सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को न केवल बोनस के रूप में बल्कि अन्य पहलुओं की दृष्टि से भी भागीदार बनाया जाना चाहिये। उन्हें यह अनुभव कराया जाये कि जिस उपक्रम में वे काम करते हैं वह उनकी अपनी चीज है। कर्मचारी को निदेशक मण्डल का सदस्य बनाया जाना चाहिये। मंत्री महोदय इस प्रकार कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

सभी सरकारी उपक्रमों में मनोनीत की गई वरन् चुनी गई अनुभाग-समितियां गढित की जायें मनोनीत करने के पश्चात् इन समितियों में दल-बाजी शुरू हो जाती है और कार्य में बाधा पड़ती है।

प्रतिरक्षा डाक व तार तथा रेलवे के सभी उपक्रमों में संयुक्त सलाहकार व्यवसाय हैं। फिर सभी सरकारी उपक्रमों में भी अन्य संयुक्त सलाहकार समितियां क्यों न हों? यदि श्रमिकों को अपनी शिकायतें पेश करने के लिये मंच मिल जाये तो फिर श्रमिक-असन्तोष नहीं फैल सकता।

श्रम संबधी समस्या मानवीय समस्या है। और यदि हमें वास्तविक रूप में हृदय से समझ लिया जाये तो हमारे उपक्रमों में असन्तोष ही न फैले। बिन संघों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उनकी ओर से मैं मंत्री महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि इस खाम्खा कोई संघर्ष खड़ा नहीं करेंगे केवल आत्म-रक्षा को ही लड़ेंगे तथा केन्द्रीय मंत्री को फजूल में परेशान नहीं करेंगे। कुछ प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो सरकारी उपक्रमों को भ्रष्ट करके उन्हें बदनाम करते हैं। यदि सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दे तो हम अपनी सभी अन्य मांगे छोड़कर पूरी शक्ति से सरकारी उपक्रमों की रक्षा करेंगे।

सरकारी उपक्रमों के हितों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। हम चाहते हैं कि अधिकाधिक उद्योग सरकारी क्षेत्र के अधीन आयें तथा यथाशीघ्र सभी कुछ एक झण्डे के नीचे काम करें। मुझे आशा है कि वह दिन अवश्य आयेगा।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Criticism of Public Undertakings is understandable. The philosophy behind Public Undertakings is to bring in Socialism in the Country. And, therefore, those who now support, the idea of these undertakings should be forwarded to extend their whole hearted support and Cooperation.

Earlier, there have come shortcomings in the public sector undertakings because of non-availability of managerial talent. There is no institution to provide the public undertakings with proper code of management. The Bureau of Public Enterprises is also not working to its fullest capacity. I suggest that there should be an institute for public enterprises which may function under the Government and explore ways and means to make the public sector profit earning bodies. At present overstaffing is being done in the public Sector as a result of favouritism and nepotism. In Italy a V.I.P. is fined Rs. 5,000 in case he makes any recommendations in such matters. I suggest that such a provision should be in India also. Until you legally check influence, pressure or recommendations, you cannot expect efficient performance and good results. There has been indiscriminate recruitment in public undertakings which has resulted in heavy losses therein.

The rights of labourers have not been given due importance and there is a very wide gap between the labourer and an officer, both economically and intellectually. Trade Unionism also should be made democratic. Only elected representatives should be included in the Management. A cunning officer always creates dissension among workers and then controls and supresses them.

No further action has been taken in regard to the participation of workers in the Management as recommended at a Conference held about 3 years ago and which was attended by the Prime Minister herself. It should be expedited so as to create a sense of confidence and belonging among the workers. This would reduce the possibilities of many Unions.

Public Sector will have to stay and prosper in the country as they are the source of property and progress of the Country. Nobody on earth can retard or put obstacles in the way of our growth and progress.

From military point of view, we stand fourth as world power but we should come up as such in economic field also for which we shall have to give up attitude of sabotage and adopt a constructive and productive approach throughout.

Public sector has saved a good part of import. The whole future of our country depends on the Public Sector. Nobody imagined that the Adivasis will do technical work. These big plants have brought about a social change.

Research and development centres should be given all assistance and be made self-reliant.

The question of cadre and discipline is also very important. The persons working in these industries should be made permanent. Some people receive training in Public Sector and serve the Private Sector. We must see that our talents do not leave the public sector.

The discrimination between the labourers and the officers should be removed. It is essential for the progress of public sector that a socialistic awakening should be created in the labour and management and cordial

relations established between them. The Ministry should set up study circles and educational centres for creating a cadre of personnel committed to socialism.

Necessary amenities should be provided to the labour. If the labour are frustrated, they will not work efficiently.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : At the outset I welcome the creation of a separate Ministry of Heavy Industry and hope that the new Minister will improve the functioning of our public sector so that the country can derive necessary benefit from this sector.

I am sorry to say that when an industry is esatablished with political overtones then the whole approach is changed. About the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, it is said in a report of a Committee that despite the recommendation of the Committee the Government decided to set up the Plant with technical collaboration and credit assistance of the U.S.S.R. The Committee has said that agreement was signed with that country by ignoring the good terms of another country. It is clear from the report of the Committee that when political overstones creep in establishment of the industry, then troubles are likely to be there.

The Committee has observed in its report the frequent changes in top managemtnt as one of the reasons of malfunctioning of our factories. The politician like Shri K.D. Malviya was appointed as Chairman of Heavy Engineering Corporation, Ranchi, He did not work for a year. The politicians must not be appointed in such industries as Chairman.

The industries in the public sector are suffering losses continuously. The Heavy Electricals, Bhopal has been incurring lossses since its inception.

The loss in the H.E.C. was Rs. 89·90 crores. I have a newspaper in which it is reported that this loss might touch the figure of Rs. 100 crores. The hon. Minister is reported to have expressed the hope that he would break even. But the report of the Committee on Public Undertakings deplores in that regard. In order to remove the deficiencies in the public sector undertakings, the facts noted down by the Committee should be given due attention.

On the one hand there is over-staffing and on the other there are not necessary material and personnel for technical know-how. There is unutilized capacity in every plant.

Produces are there in Heavy Electricals, Bhopal but the situation is that there is no market for those produces. The Government should, first, assess the market, otherwise that is likely to result in losses.

Public Sector undertakings are getting into disrepute because of continuous losses. Changes should be brought about in this situation. We are not against the public sector. We want that both the public and private sector should be run on according to the plan so that the country may benefit.

There is need to pay attention towards the labour trouble in public sector undertakings, particularly in the H.M.T. The H.M.T. has been earning profits for the last 3, 4 years but now it is suffering losses due to labour trouble and power shortage. Is this loss due to labour trouble only. ?

A good deal has been said about labour participation in the management but nothing practical is done. The Government should come out as an ideal industrialist in order to put an end to the labour trouble. The Government should accept the principle of labour participation and implement it.

The hon. Minister has accepted that the demand for tractors has gone down because of the uncertainty created by land ceiling. We should have tractors of less horse-power so that they can be used in smaller tracts of land. There is great demand for scooters and cars. I would not like to go into the question of public or private sector but the Government should have a definite policy with regard to scooters and cars.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने से पहले भारी उद्योग मंत्री का स्वागत करता हूं। भारी उद्योग को इस्पात और खान मंत्रालय से अलग कर दिया गया है। यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय श्री एम0 सोंधी को इस मंत्रालय का सचिव नियुक्त करना है। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है नये मंत्री तथा सचिव के सहयोगपूर्ण कृत्या से भारी उद्योग का भविष्य उज्जवल होने की आशा है।

उद्योगों के सम्बन्ध में मंत्रालय की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। इन उद्योगों में गड़बड़ चल रही है। आये दिन हड़ताल होती हैं। हड़तालों के लिये मुख्यत: श्रमिकवर्ग ही उत्तरदायी नहीं है ऊंचे पदों पर नियुक्ति व्यक्ति भी जो ऊपर से ही निदेश देते रहते हैं इसके लिये सामान रूप से उत्तरदायी हैं। सर्वोच्च पदों पर उचित व्यक्ति नियुक्ति किये जाने चाहिये। यदि राजनैतिक विचारधारा से इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी तो किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। हमें तथ्यों को देखना चाहिये और लाभ के सिद्धांत में परिवर्तन करना चाहिये। सरकारी उपक्रमों में लाभ का सिद्धांत क्या है ? गत वर्ष हमें 15 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस वर्ष कहा जाता है 14.99 करोड़ रुपये की हानि है। हम तथ्यों को सामने नहीं रखना चाहते हैं वस्तु स्थिति को छुपाना चाहते हैं। हम बहुत आशावादी दीखते हैं जबकि प्रत्येक क्षेत्र में स्थिति बिगड़ी हुई है। मंत्री महोदय और सचिव के प्रमुख आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे के स्थान पर लाभ हो।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची का भारी मशीनें बनाने वाला संयंत्र यदि 10,000 मीटरी टन के उपकरण बनाता है तो यह नहीं बताना चाहिये कि संयंत्र 40,000 मीटरी टन के उपकरण बनाता है। यदि कोई बात गलत है तो वह सामने लाई जानी चाहिये। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। स्थिति में सुधार करने के लिये हम साधन सम्पन्न होने चाहिये।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में आये दिन हड़ताल चलती रहती है। मैंने हाल ही में सुना है कि वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में वहां रोष चल रहा है। इस सम्बन्ध में किसी एक नीति का अनुसरण नहीं किया जाता है। श्रमिक वर्ग में उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं की गई है। वे पूरा पैसा लेकर कम काम करना चाहते हैं। श्रमिकों को यह बात समझनी चाहिये कि उद्योग के विकास में वे बराबर के भागीदार हैं। सुना है कार्यालय में देरी से पहुंचने के कारण आदिवासी जाति के एक मैडिकल आफिसर को निलम्बित कर दिया गया है अथवा सेवा से निकाल दिया गया है : ऐसा नहीं होना चाहिये। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि आदिवासी जाति के लोगों ने भारी उद्योगों के लिये अपनी भूमि दी है। 3,000 विस्थापितों को रोज़गार नहीं दिया गया है। उस क्षेत्र के लोगों के साथ कोई भी सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं रखता है। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो कोई व्यक्ति आदिवासियों को डराता धमकाता है उसे वहां न रहने दिया जाये।

औद्योगिक नीति संकल्प एक नारा मात्र है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जिन आदिवासियों ने अपनी भूमि दी है वे अपने घर में ही शरणार्थियों की तरह हो गये हैं। हमें इस स्थिति के प्रति सावधान रहना चाहिये। संकल्प में कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र की औद्योगिक तथा कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने से समस्त देश का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। यहां जीवन स्तर गिर रहा है।

बहुत से मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि 500 रुपये तक वेतन के पद स्थानीय व्यक्तियों को दिया जायेगा। परन्तु आदिवासी तथा स्थानीय व्यक्ति या तो कार्य के अनुसार मजूरी पाते हैं अथवा उन्हें दैनिक मजूरी पर रखा गया है। इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देना है। कहा जाता है कि 8 1/3 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये। मजूरी बेतन और बोनस उत्पादन से सम्बद्ध होने चाहिये। यह ठीक नहीं है कि उपक्रमों में प्रतिवर्ष घाटा हो और ऊपर से बोनस दिया जाये। औद्योगिक नीति संकल्प का पालन नहीं किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसे जानने का प्रयास नहीं किया जाता है।

सर्वप्रथम इन परियोजनाओं के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहियें। परियोजना में तीन वर्ष तक उत्पादन करने के पश्चात् पूंजीगत परिव्यय कम से कम 10 प्रतिशत लाभ दिया जाना चाहिये। यदि इतना नहीं दे सकते तो उन्हें अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिये। इन परियोजनाओं के कार्यभारी यदि अच्छे परिणाम नहीं दिखा पाते हैं तो उनकी पदोन्नति कभी नहीं की जानी चाहिये।

कार भते का प्रश्न है। यदि परियोजना के प्रबन्ध में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में है तो उसे कार भत्ता मिल जाता है। इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है कि कार की उसे आवश्यकता है या नहीं और वह कार का उपयोग करता भी है या नहीं। दूसरी ओर यदि प्रबन्ध में किसी की कोई पहुंच नहीं है तो उसे कार भत्ता नहीं मिलता है। मंत्रिमहोदय को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

दूसरे क्षेत्रों में विकास कार्य करने से पहले विद्युत का विकास किया जाना चाहिये। आशा है मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

लाभांश के विषय में भी एकरूप नीति होनी चाहिये। दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसा नहीं है। एक ही पद पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न भिन्न बेतनमान तथा भिन्न भिन्न सुविधायें दी जाती हैं। सरकारी क्षेत्र लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि एक से पदों के लिये एक से वेतनमानों की व्यवस्था हो सके और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का रोष समाप्त किया जा सके। उपक्रमों में उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिये। सरकारी उपक्रमों में होने वाले घाटे को लाभ में परिणित किया जाना चाहिये अन्यथा आप लोगों को रोजगार तथा भोजन नहीं दे सकेंगे।

विदेशी सहयोग कितना भी आवश्यक क्यों न हो राष्ट्रीय प्रयासों में गतिरोध पैदा करता है। विदेशी सहयोग तकनीकि ज्ञान के स्थान पर हमारे पास प्रशीक्षित स्वदेशी कर्मचारी होने चाहिये। कब तथा कहां भेजे जाने के लिये भारी उद्योगों की एक वरिष्ठता सूची होनी चाहिये। इन उद्योगों को इस संकट के समय में समाजिक परिवर्तन लाना है। मैं मंत्रीमहोदय से अनुरोध करता हुं कि उद्योगों कै कार्यकरण की जांच करने तथा सुधारने के उपाय खोजने के लिये वह वहां विशेषज्ञों का दल भेजें।

उद्योगों कि स्थिति बहुत बुरी है। आपको स्थिति में सुधार करना है। अतः भारी उद्योगों में अच्छे बुद्धिमन कुशल व्यक्ति नियुक्ति किये जाने चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 अप्रैल, 1973/14 चैत्र 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, April 4, 1973/Chaitra 14, 1895 (Saka).

M/B(N)2LSS--490--28-9-73—GIPS